ISSN-0971-8397

योजना

सितंबर 2009 | विकास को समर्पित मासिक | मूल्य : 10 रुपये

शिक्षा का पुनर्गठन

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शुरुआती 100 दिन का एजेंडा

क़ानूनी पहल

- संविधान के 86 वें संशोधन के मुताबिक़ बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा संबंधी बिल को लागू करना।
- अखिल भारतीय मदरसा बोर्ड की स्थापना के लिए आम राय तैयार करना।

उच्च शिक्षा

- यशपाल समिति और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अनुशंसा के आधार पर उच्च शिक्षा और शोध के लिए एक अधिकार संपन्न स्वायत्त प्राधिकरण का गठन।
- गैरक़ानूनी शिक्षण गतिविधियों पर प्रतिबंध और दंड के लिए नया क़ानून बनाना।
- उच्च शिक्षा में अनिवार्य मूल्यांकन और मान्यता के लिए स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण का गठन।
- विदेशी शिक्षा प्रदाताओं के नियमन के लिए नया क़ानून लाना।
- उच्च शिक्षा में सभी भागीदारों जैसे शिक्षक, छात्र, कर्मचारी और प्रबंधन के बीच विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए एक प्राधिकरण के गठन के लिए क़ानून बनाना।
- अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर बने राष्ट्रीय आयोग को और अधिकार संपन्न बनाने के लिए ज़रूरी क़ानूनी सुधार।
- कॉपीराइट संबंधी अधिकारों की रक्षा के लिए कॉपीराइट अधिनियम, 1957 में संशोधन।

नीतिगत पहल

स्कूली शिक्षा

- स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में निजी-सार्वजनिक भागीदारी मॉडल की शुरुआत के लिए नीतिगत मसौदा तैयार करना और उसकी व्यावहारिकता सुनिश्चित करना।
- माध्यमिक स्कूल और दूरस्थ स्कूली शिक्षा में ब्रॉडबैंड के ज़रिये सूचना और संचार तकनीक का इस्तेमाल।
- शिक्षकों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क (एनसीएफ) 2005 के दिशा-निर्देशों के अनुसार और सभी पक्षों से सलाह-मशविरे के बाद राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क का विकास।

उच्च शिक्षा

- देश के मौजूदा और नये शिक्षण संस्थानों की ओर विदेशों से 'प्रतिभा-लब्धि' नीति का निर्माण।
- समाज के कमज़ोर तबके के विद्यार्थियों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए रियायती दरों पर शिक्षा ऋण देने के लिए नयी स्कीम का शुभारंभ।
- उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए सुधारात्मक प्रशिक्षण योजना को मज़बूत करना और उसका दायरा बढ़ाना।
- वंचित तबके तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सभी विश्वविद्यालयों में 'समान अवसर कार्यालय' की स्थापना।
- दूरस्थ शिक्षा के संबंध में नयी नीति।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय, अमरकंटक का क्षेत्रीय केंद्र मणिपुर में खोलना।
- समाज के कमज़ोर और अल्पसंख्यक तबके की बहुतायत वाले देश के 100 ज़िलों में आदर्श महाविद्यालयों की स्थापना।
- कमज़ोर और अल्पसंख्यक तबके की अधिकता वाले देश के 100 ज़िलों में महिला छात्रावास की अनुमति।

प्रशासनिक और अन्य पहल

- स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में एक स्वतंत्र मान्यता प्रदाता प्राधिकरण की स्थापना की संभावनाओं की तलाश।
- राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क, 2005 के दिशा-निर्देशों के अनुसार परीक्षा प्रणाली में सुधार पर बल। इससे कक्षा 10 की परीक्षा वैकल्पिक हो जाएगी और विद्यार्थी उसी स्कूल में आगे पढ़ सकेगा।
- केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में कक्षा 9 और 10 में अंकों के बजाय ग्रेड पद्धति की शुरुआत करना।
- महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान देने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का पुनर्गठन।
- मुस्लिम समुदाय के बच्चों के लिए प्रतिभा विकास और जागरुकता बढ़ाने के लिए मदरसों और मक़तबों का आधुनिकीकरण।

उच्च शिक्षा

- वर्तमान डीम्ड विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली की समीक्षा।
- नवगठित 12 केंद्रीय विश्वविद्यालयों और दो नये भारतीय तकनीक संस्थानों में कामकाज की शुरुआत।
- अन्य केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में केंद्रीय विश्वविद्यालय कानून, 2009 के अंतर्गत अनिवार्य अकादमिक सुधार, यथा सत्र प्रणाली, ऐच्छिक क्रेडिट प्रणाली, पाठ्यक्रम को सतत अद्यतन करना और शोध पर ज़ोर आदि को लागू करना।
- कॉपीराइट कार्यालयों का आधुनिकीकरण।
- सूचना एवं संचार तकनीक के ज़रिये राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के अंतर्गत 5,000 कॉलेज और विश्वविद्यालयों के विभागों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था।
- उन राज्यों में जहां फिलहाल कोई पॉलीटेक्निक संस्थान नहीं हैं, कम से कम 100 नये पॉलीटेक्निक संस्थान स्थापित करने में सहायता प्रदान करना।
- मौजूदा पॉलीटेक्निक संस्थानों में महिलाओं के लिए 100 हॉस्टलों का निर्माण और 50 मौजूदा पॉलीटेक्निक के उन्नयन के लिए राज्यों को सहायता उपलब्ध कराना।
- अनारक्षित राज्यों में 10 नये राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान स्थापित करने के लिए मंजूरी हासिल करना जिससे हर राज्य में कम से कम एक राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान हो।
- ग्रामीण युवाओं के प्रतिभा विकास के लिए 700 कम्युनिटी पॉलीटेक्निक के उन्नयन के बाद पुन: शुरुआत।
- विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नयी वरीयता छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत हर वर्ष 41,000 छात्र-छात्राओं के बैंक खातों में छात्रवृत्ति की राशि सीधे जमा कराना। ❑

योजना

वर्ष : 53 • अंक : 9 सितंबर 2009 भाद्रपद-आश्विन, शक संवत 1931 कुल पृष्ठ : 56

प्रधान संपादक
नीता प्रसाद

वरिष्ठ संपादक
राकेशरेणु

संपादक
रेमी कुमारी
दुर्गानाथ स्वर्णकार

संपादकीय कार्यालय

538, योजना भवन, संसद मार्ग,
नयी दिल्ली-110 001
दूरभाष : 23096738, 23717910
टेलीफैक्स : 23359578
ई-मेल : exeed.yojana@gmail.com
yojanahindi@gmail.com
वेबसाइट : www.yojana.gov.in
www.publicationsdivision.nic.in
a) dpd@nic.in
b) dpd@hub.nic.in

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
जे.के. चन्द्रा

व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार एवं विज्ञापन)
सूर्यकांत शर्मा
दूरभाष : 26100207, 26105590
फैक्स : 26175516
ई-मेल : pdjucir_icm@yahoo.co.in

आवरण : **साधना सक्सेना**

इस अंक में

संपादकीय	–	3
ज्ञानवान समाज के निर्माण की ज़रूरत	सैम पित्रोदा	5
साक्षात्कार : विश्वविद्यालय और समाज के बीच संवाद आवश्यक – यश पाल	निमिष कपूर	7
श्रम बाज़ार के अनुरूप उच्च शिक्षा	पवन अग्रवाल	11
शिक्षा का अधिकार अधिनियम	–	15
शिक्षा अधिकार अधिनियम की समीक्षा	सुनील	17
अनिवार्य शिक्षा कानून और अग्रणी प्राथमिक शिक्षा योजनाएं	–	20
शिक्षा में संशोधन नहीं परिवर्तन चाहिए	संतोष कुमार वर्मा	23
भारत में उच्च शिक्षा : समस्याएं एवं समाधान	मुकेश चन्सौरिया	27
जनजातीय शिक्षा : मंज़िल अभी दूर है	ऋतु सारस्वत	31
सर्वशिक्षा अभियान : समन्वय से मिलेगी मंज़िल	मनीष कुमार सिन्हा	33
उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग	कनक शर्मा	35
शिक्षा का माध्यम और भारतीय भाषाएं	सतीश चंद्र सक्सेना	39
हरियाणा में शिक्षा का प्रारूप व विकास	राजेश्वरी	41
जहां चाह वहां राह : संवेदनशीलता की मिसाल	के.आर.शर्मा	43
नयी कर संहिता का प्रारूप जारी	–	45
दांपत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन	जगदीश प्रसाद 'भारती'	48
ख़बरों में	–	51

योजना हिंदी के अतिरिक्त असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु तथा उर्दू भाषाओं में भी प्रकाशित की जाती है। पत्रिका मंगवाने हेतु, नयी सदस्यता, नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिए मनीआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'निदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें : व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार एवं विज्ञापन), प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक IV, लेवल VII, आर.के. पुरम, नयी दिल्ली-110066 दूरभाष : 26100207, 26105590, तार : सूचनाप्रकाशन।

सदस्य बनने अथवा पत्रिका मंगाने के लिए आप हमारे निम्नलिखित बिक्री केंद्रों पर भी संपर्क कर सकते हैं :- सूचना भवन सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003 (दूरभाष : 24367260, 5610), हाल सं. 196, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 (दूरभाष : 23890205) * 701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर, नवी मुंबई-400614 (दूरभाष : 27570686) * 8, एसप्लानेड ईस्ट, कोलकाता-700069 (दूरभाष : 22488030) * 'ए' विंग, राजाजी भवन, बंसल नगर, चेन्नई-600090 (दूरभाष : 24917673) * प्रेस रोड नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट, तिरुवनंतपुरम-695001 (दूरभाष : 2330650) * ब्लॉक सं-4, पहला तल, गृहकल्प, एमजी रोड, नामपल्ली, हैदराबाद-500001 (दूरभाष : 24605383) * फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, बंगलुरु-560034 (दूरभाष : 25537244) * बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ, पटना-800004 (दूरभाष : 2683407) * हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर-H, अलीगंज, लखनऊ-226024 (दूरभाष : 2225455) * अंबिका कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, पाल्दी, अहमदाबाद-380007 (दूरभाष : 26588669) * के.के.बी. रोड, नयी कॉलोनी, मकान संख्या-7, चेनीकुटी, गुवाहाटी-781003 (दूरभाष : 2665090)

चंदे की दरें : वार्षिक : 100 रु. **द्विवार्षिक :** 180 रु.; **त्रैवार्षिक :** 250 रु.; **विदेशों में वार्षिक दरें : पड़ोसी देश:** 500 रु.; **यूरोपीय एवं अन्य देश :** 700 रु.

'योजना' में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। ज़रूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए 'योजना' उत्तरदायी नहीं है।

आपकी राय

योजना युवाओं में जोश भरती है

योजना का जुलाई '09 अंक काफी उपयोगी एवं संपादकीय उत्कृष्ट लगा। नियमित पाठक के रूप में मैं यह पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह पत्रिका बेरोज़गार युवकों के जीवन में जोश भरकर उन्हें सफलता की ओर अग्रसर करती है। पत्रिका में प्रकाशित सभी आलेख व्यक्ति एवं व्यक्तित्व-निर्माण पर केंद्रित होते हैं जो स्वत: राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

'ख़बरों में' तथा अन्य आलेख सामयिक विषयों पर सामान्य अध्ययन के लिए व्यापक तथ्य प्रस्तुत करते हैं। वी.के. शर्मा, रवि मित्तल, सुरिंदर सूद, उर्मिलेश सिंह, जोगेंद्र शर्मा, विवेकानंद जैन, सरोज कुमार वर्मा एवं शमशेर अहमद ख़ान के आलेख अच्छे लगे।

देश के आर्थिक विकास में जनसंख्या वृद्धि बाधक तत्व है। मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी है इसलिए उसे समझना चाहिए कि उसकी अज्ञानता उसके भविष्य को नष्ट कर देगी। वर्तमान संदर्भ में भारत की अर्थव्यवस्था का जो प्रश्न है, उसके लिए आवश्यक है जागरुकता। ढेरों योजनाएं कागज़ पर बनती हैं किंतु उनका क्रियान्वयन उचित ढंग से नहीं हो पाता। आज जब हम मूलभूत आवश्यकताओं की बातें करते हैं, तो उसमें कई कारक अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं यथा- बिजली, सिंचाई, शिक्षा, सड़क, चिकित्सा आदि। अंक को पढ़कर आशा बंधती है कि भारत का भविष्य उज्ज्वल है।

प्रवीण कुमार शर्मा
बिहार
ई-मेल: prabin.kne82@yahoo.com

आपदा प्रबंधन - अविकसित परियोजनाएं

पृथ्वी के ऐसे क्षेत्रों में जहां विकास कार्य पर्यावरण को भुलाकर किए जा रहे हैं वहां पर आपदा का प्रकोप ज्यादा होता है। विश्व में जंगल या वनस्पतियों का प्रतिशत दिन-प्रतिदिन कम होता जा रहा है। जिससे वायुमंडल और पृथ्वी दोनों प्रभावित हैं इस कारण वर्षा का अनुपात शनै: शनै: घट रहा है या अनिश्चित है। चेरापूंजी में वर्षा का प्रतिशत 70 प्रतिशत से कम हो गया है। केवल भारत में ही नहीं वरन विश्व के सभी देशों में वर्षा का अनुपात घट रहा है। भारत की भांति विश्व के सभी देशों में वनस्पतियों का प्रतिशत घट रहा है। वनस्पतियों का प्रतिशत घटने से तापमान बढ़ रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं। क्षार तेज़ी से बढ़ रहा है। भूजल स्तर दिन-प्रतिदिन कम होता जा रहा है।

वनस्पतियों के प्रतिशत घटने से वायुमंडल में कार्बन डाई-ऑक्साइड गैसों का प्रतिशत बढ़ रहा है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है। इस वजह से वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत असंतुलित हो रहा है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार वर्ष 2020 तक विश्व के सभी क्षेत्रों में प्रकृति का संतुलन तेज़ी से बिगड़ने के कारण आपदाकारी घटनाएं बढ़ेंगी।

विकास के नाम पर जो कार्य हो रहे हैं उसमें भी आपदाकारी घटनाओं में वृद्धि हुई है। इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता। विगत पांच वर्षों में हमारे देश में स्वर्णिम राष्ट्रीय मार्गों का निर्माण तेज़ी से हुआ। इन राष्ट्रीय मार्गों के निर्माण में साठ लाख घनमीटर से ज्यादा मिट्टी का खनन हुआ जो उस क्षेत्र की भूमि में असंतुलन पैदा करने का कारक बना। इसी प्रकार लोहा, कोयला व अन्य खनिजों के लिए भारी पैमाने पर खनन हो रहा है जो भूमि में असंतुलन पैदा करने में सहायक होता है। उत्तरांचल में भी बड़े पैमाने पर चूने की पहाड़ियों में खनन कार्य हुआ जो प्रकृति की अवस्था को असंतुलित करने में सहायक बना। इसी प्रकार टिहरी में जिस बांध का निर्माण हुआ है उस बांध में आठ सौ मीटर पानी भरा हुआ है जो उस क्षेत्र की पारस्थितिकी को असंतुलित कर सकता है।

प्रश्न यह है कि विकास कार्यों के चलते आपदाओं को रोकने के प्रयास कैसे संभव हों? भूगर्भ वैज्ञानिकों और कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार यदि विकास कार्य की योजनाओं में वनस्पतियों का प्रतिशत बढ़ाने के प्रयासों पर ज्यादा ध्यान दिया जाए तो आपदा की घटनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। नदियों में तटबंधों, सड़कों के किनारों तथा अन्य बंजर एवं अनुपयोगी भूमि पर भारी पैमाने पर घने जंगल लगाना सर्वोत्तम प्रयास होगा। घने जंगल वातावरण में तापमान को स्थिर रखने में महत्वपूर्ण योगदान करेंगे, भूमि क्षरण रोकेंगे और बाढ़ के पानी को रोकेंगे। चीन इसका श्रेष्ठ उदाहरण है।

कृष्णमोहन गोयल
अमोदा

संपादकीय

समावेश शब्द न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में, नीति निर्माताओं के लिए विकास का मंत्र बन चुका है। समावेशी विकास के लिए, सभी के लिए शिक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण योगदान भला किस का हो सकता है। उत्तम और समग्र शिक्षा न केवल लोगों को सशक्त बनाती है, बल्कि व्यक्तिगत और सामूहिक हक़ों के साथ-साथ सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भाग लेने और उत्पादक रोज़गार के लिए अवसर पैदा करती है। संक्षेप में, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन को हवा देती है और आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करती है।

समूचे विश्व समुदाय ने सर्व शिक्षा को सहस्राब्दी विकास लक्ष्य के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में स्वीकार किया है। जी-आठ देशों को कहना है कि वर्तमान आर्थिक संकट से पार पाने के लिए इस क्षेत्र में निवेश नितांत आवश्यक है। इधर, भारत भी देश में शिक्षा के पुनर्गठन और पुनरुद्धार के अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। निश्चित रूप से, ऐसा बहुत कुछ है जिसको पुनर्गठित करने और नये सिरे से संगठित करने की आवश्यकता है।

सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन जैसी योजनाओं के चलते देश में विद्यालय की संख्या बढ़ने के साथ-साथ पिछले कुछ वर्षों में भर्ती दरों (विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या) में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बावजूद इसके सार्वभौमिक बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के अपने लक्ष्य से हम अभी भी काफी दूर हैं। विद्यालयीन शिक्षा, अधोसंरचना की कमी, शिक्षकों के अभाव और प्रशिक्षण एवं अभिप्रेरण के निम्न स्तरों के साथ-साथ पढ़ाई और भर्ती की दर में सामाजिक, आंचलिक और बालिकाओं के साथ भेदभाव से प्रभावित है। इसके अलावा, निर्धनता और आजीविका जैसे मुद्दे भी हैं जो बच्चों को पढ़ाई से दूर रखते हैं।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेक मुद्दे हैं जिनका समाधान होना है। तकनीकी और व्यावसायिक संस्थाओं सहित महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि के साथ-साथ शिक्षा का स्तर और गुणवत्ता को सुनिश्चित करना इनमें सर्वप्रमुख है। जिज्ञासा की भावना को प्रोत्साहन के साथ-साथ रोज़गार प्रदान करने वाली अर्थपूर्ण शिक्षा का पाठ्यक्रम का निर्धारण भी नीति निर्माताओं के लिए चुनौती का सबब बने हुए हैं।

अपेक्षानुसार, समूचे शिक्षा जगत में गतिविधियां तेज़ी से चल रही हैं। सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य बुनियादी शिक्षा देने का युगांतरकारी विधान इस क्षेत्र में छाई गड़बड़ियों को दुरुस्त करने की दिशा में बस एक कदम भर ही है। ग्यारहवीं योजना में शिक्षा पर ज़ोर, ज्ञान आयोग और उच्च शिक्षा के पुनर्गठन और पुनरुद्धार पर परामर्श देने के लिए आयोग के गठन से शिक्षा से जुड़ी उन समस्याओं के निराकरण को ठोस रूप देने का प्रयास किया गया है, जिनको हल करना अत्यावश्यक है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नयी सरकार के पहले 100 दिनों के लिए अनेक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई है। यह एजेंडा दिखने में महत्वाकांक्षी हो सकता है पर इससे निश्चित रूप से सरकार के संकल्प की गंभीरता की झलक दिखाई देती है।

लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के मामले में ऐसा बहुत कुछ है जिसे सरकार के लिए करना ज़रूरी है परंतु समाज को भी वैसा ही दायित्व निभाना होगा। अनेक गैर-सरकारी संगठनों के साथ कई व्यापार और उद्योग घरानों ने भी ग़रीबों को अच्छी शिक्षा मुहैया कराने की दिशा में क़दम बढ़ाए हैं। हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि नयी पीढ़ी के नवयुवा निजी क्षेत्र की लाभप्रद नौकरियां छोड़कर ज़रूरतमंदों को पढ़ाने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इस बढ़ती सामाजिक चेतना को आगे बढ़ाने और इसे बनाए रखने की ज़रूरत है। युवा जनसंख्या बहुल भारत को यदि लोकतांत्रिक लाभों की फ़सल काटनी है, तो हमें इस दिशा में तेज़ी से काम करना होगा। ❑

R. C. SINHA'S ™

NEW DELHI IAS

JOIN

AND FEEL -THE DIFFERENCE

FOUNDATION BATCHES-IAS 2010

COMMENCE OCT-2009

1) INTERACTIVE CLASSES
2) FOCUSED STUDY MATERIAL
3) PIN POINTED CLASS NOTES
4) EMPHASIS ON NEW TOPICS.
5) NEWS & VIEWS WEEKLY CIRCULATION

CORESSPONDANCE COURSE AVAILABLE

GENERAL STUDIES

by R.C. SINHA & Team

PUBLIC ADMINISTRATION

by R.C. SINHA

PHILOSOPHY

by Dr. AMBUJ

CENTRAL DELHI 11-A/19, Old Rajinder Nagar Market, New Delhi-60.Ph:011-25751890/09313431890 English Medium Only

NORTH DELHI A-1, 3rd Floor, Near Batra Cinema, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 09.Ph.: 011-32035347 / 09312478450, हिन्दी / English Medium

Visit Us At - www.newdelhiias.com

YH-9/09/2

ज्ञानवान समाज के निर्माण की ज़रूरत

● सैम पित्रोदा

विकास और नवाचार की नयी शताब्दी की ओर बढ़ने के लिए हमें सभी मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में हमें नयी संरचनाओं और विचारों की आवश्यकता है ताकि बाधाएं दूर हों, उसकी प्राप्ति सुगम हो सके

भारत जैसे-जैसे विकास और प्रगति के रोमांचकारी नये भविष्य की ओर बढ़ रहा है, सतत विकास का एजेंडा गढ़ने में ज्ञान की भूमिका महत्वपूर्ण होती जाएगी। ज्ञानवान समाज के निर्माण की धारणा अब कोई विमर्शनीय विलासिता नहीं रह गई है, इसके महत्व को विश्वभर के नीति-नियामक अब भलीभांति स्वीकार कर चुके हैं। भारत में यह विचार, देश के समक्ष चुनौतियों के कारण और भी महत्वपूर्ण बन गया है। हमारी जनसंख्या के 55 करोड़ लोगों का 25 वर्ष से कम आयु का होना एक बहुत बड़ा जनसंख्यात्मक लाभांश है, क्योंकि यह एक विशाल मानव संसाधन है। मानव संसाधन की इस अतुलनीय निधि की शिक्षा और कौशल विकास एजेंडा पर ज़ोर देते हुए उसे सलीक़े से साधने की जरूरत है ताकि वह 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना कर सके। देश में आज जो विशाल असमानता दिखाई दे रही है वह ज्ञान प्राप्ति के पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण है। उसके निराकरण के लिये हमें शिक्षा के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि करनी होगी, एक ऐसी समावेशी शिक्षा प्रणाली लानी होगी कि कोई भी इसकी परिधि से बाहर नहीं रह सके। अंततः देश के विकास को गति देने के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली के गठन की आवश्यकता है जो नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा दे सके और बढ़ती अर्थव्यवस्था की कौशल आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

ज्ञानवान समाज के निर्माण में किस चीज की आवश्यकता होती है, इसके बारे में भारत के प्रधानमंत्री को परामर्श देने वाली उच्चस्तरीय संस्था– राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एनकेसी) में विस्तार से विचार हो चुका है। आयोग को देश की ज्ञान दात्री संस्थाओं और बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिये खाक़ा तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। आयोग ने ज्ञान के विस्तृत आयाम को आच्छादित करने वाले 27 प्रमुख क्षेत्रों पर क़रीब 300 सिफ़ारिशें दी हैं।

आयोग ने पांच पहलुओं से ज्ञान के बारे में विचार किया– ज्ञान प्राप्त करने की सुविधाओं में सुधार, उन संस्थाओं को अनुप्राणित करना जहां ज्ञान की धारणा बलवती होती है; ज्ञान के सृजन के लिए विश्वस्तरीय शैक्षिक वातावरण का विकास; सतत और समग्र विकास हेतु ज्ञान के उपयोग; और सार्वजनिक सेवाओं की कार्य कुशलता बढ़ाने में ज्ञान के उपयोग को प्रोत्साहन देना। आयोग ने अनुभव किया कि मानव पूंजी को अपनाने और उस पर अमल करने की यह रणनीति, भारत को सतत विकास के मार्ग पर दृढ़ता से स्थापित कर देगी।

ज्ञान पिरामिड के सबसे निचले स्तर पर हमें उच्चस्तरीय विद्यालयीय शिक्षा की सुविधाओं में सुधार लाना है ताकि ज्ञानवान समाज के लिए सही आधार तैयार किया जा सके। वर्तमान में, भारत में बच्चों की एक बड़ी संख्या को या तो विद्यालयीन प्रणाली से बाहर ही रहना पड़ता है, या फिर कम उम्र में ही पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती है।

भारतीय विद्यालयीन शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता पर एएसईआर के एक अध्ययन के अनुसार चार वर्ष की स्कूली पढ़ाई पूरी करने वाले 38 प्रतिशत बच्चे छोटे-छोटे वाक्यों वाला वह पैराग्राफ नहीं पढ़ सकते, जो दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए होता है। ऐसे 55 प्रतिशत बच्चे तीन अंकों की संख्या को एक अंक की संख्या से भाग नहीं दे सकते। यह इस बात का द्योतक है कि अन्य विषयों की पढ़ाई में स्थिति कितनी बुरी हो सकती है। बुनियादी शिक्षा की सुविधा में विस्तार और गुणवत्ता में

सुधार के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में हमने शिक्षा का अधिकार कानून बनाने और प्रबंधन में अधिकाधिक विकेंद्रीकरण पर ज़ोर देते हुए विद्यालयीय शिक्षा प्रणाली में पीढ़ीगत परिवर्तन लाए जाने की सिफ़ारिश की है। इसके अतिरिक्त, निर्णय लेने की प्रक्रिया में सामूहिक भागीदारी जैसी अन्य सिफ़ारिशें भी की गई हैं।

कौशल विकास ज्ञान की दिशा में राष्ट्र की पहल का एक महत्वपूर्ण तत्व है। आज इस बात को लेकर चिंता बढ़ रही है कि शिक्षा प्रणाली कुशल और रोज़गार के लिए तैयार जनशक्ति का निर्माण करने की अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा रही है, जिसके कारण कौशल संबंधी बाज़ार की आवश्यकताओं और रोज़गार चाहने वालों के कौशल के बीच खाई बढ़ती जा रही है। इसमें यह भी कहा गया है कि भारत में 57 प्रतिशत युवा रोज़गार पाने की योग्यता नहीं रखते। इस समस्या के समाधान के लिए देश की व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रणाली (वीईटी) में आमूल परिवर्तन लाने की आवश्यकता है।

एनकेसी में देश में वेट (वीईटी) की गुणवत्ता सुधारने की संस्तुतियां की गई हैं। हमने मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली के भीतर ही वेट का लचीलापन बढ़ाने के उपाय सुझाए हैं जोकि विद्यालय और उच्च शिक्षा के साथ उचित संपर्क साध कर हासिल किया जा सकता है और यह दो वर्षीय संबद्ध डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले सामुदायिक महाविद्यालयों के जरिये किया जा सकता है। साथ ही, उच्च गुणवत्ता वाले कौशल के प्रभावी विकास के लिए हमने नवोन्मेषी अदायगी प्रादर्शों के माध्यम से क्षमता में वृद्धि के उपायों की सिफ़ारिश की है। इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच मज़बूत भागीदारी शामिल है। हमने मान्यता प्रदान करने वाले एक नियामक ढांचे के गठन, असंगठित क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण का विकल्प और देश में वेट के बारे में जो धारणा है उसे बदल कर नया आकर्षक स्वरूप प्रदान करने वाले उपाय की सुझाए हैं।

इस परिदृश्य के दूसरी ओर, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमने अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए व्यवस्था में विस्तार एवं शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है और समानता के हित में समावेशन का समर्थन किया है।

उच्च शिक्षा में हमारे 10-11 प्रतिशत के मौजूदा सकल भर्ती अनुपात (उच्च शिक्षा संस्थाओं में भर्ती 18-24 वर्ष आयु समूह) को देखते हुए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि अन्य अनेक विकासशील देशों के 25 प्रतिशत के अनुपात की तुलना में यह बहुत कम है। इसके अलावा, तीसरे (टर्शियरी) स्तर की शिक्षा में नियामक संरचना के उद्देश्य से सुधार भी हमने सुझाए हैं। प्रशासन के ऐसे प्रतिमान तैयार करने की पहल की गई है जो खुलापन और पारदर्शिता को प्रोत्साहित करने के अलावा उच्च शिक्षा के नये संस्थानों में प्रवेश में बाधक बने बोझिल अवरोधों को भी दूर करेंगे।

भारत के ज्ञान और कौशलपूर्ण अर्थव्यवस्था में रूपांतरण के लिए अनुसंधान के अनुकूल सुदृढ़ वातावरण की नितांत आवश्यकता है। देश में अनुसंधान का स्तर दयनीय है। विभिन्न देशों में अनुसंधान के योगदान का आकलन करने वाली टॉमसन रायटर्स की रिपोर्ट के अनुसार चीन पांचवें और भारत बारहवें स्थान पर है। यह रिपोर्ट 1 जनवरी, 1999 से 31 अक्तूबर, 2008 तक की अवधि के निष्पादन के आधार पर तैयार की गई थी। इसके अलावा, अध्ययन में इस बात की ओर इशारा किया गया है कि 1988-1993 की अवधि में विश्व में चीन की हिस्सेदारी महज 1.5 प्रतिशत थी जो 1999-2008 के दौरान बढ़ कर 6.2 प्रतिशत हो गई जबकि भारत बहुत मुश्किल से 2.5 प्रतिशत से 2.6 तक पहुंच सका। एनकेसी में हमने विश्वविद्यालयों में शोध और अनुसंधान का स्तर सुधारने के बारे में सुझाव दिए हैं। यदि भारत को कृषि और उद्योग में अति स्पर्धा वाले इस माहौल में आगे रहना है तो ऐसा करना अतीव महत्वपूर्ण है। वर्तमान में, हमारे यहां ऐसे संस्थानों की संख्या गिनी-चुनी है जहां गुणवत्ता वाला अनुसंधान किया जा सकता हो। इसका नतीज़ा यह हुआ है कि हमारी प्रतिभाएं देश से पलायन कर रही हैं। इस प्रतिभा-पलायन को प्रतिभा-प्राप्ति की नयी नीति में बदलना होगा। हमने अनुसंधान और शिक्षण के नवोन्मेषी तरीक़े और विश्वविद्यालयों को अनुसंधान का केंद्रबिंदु बनाने पर भी पुनः विचार किया है। हमने नयी प्रौद्योगिकी के ज़रिये अनुसंधान में सहयोग की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया है। हाई विड्थ ब्रॉडबैंड के माध्यम से देश की अनुसंधान और शिक्षा संस्थाओं को परस्पर जोड़ने वाले राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के गठन से ताज़ा आंकड़ों और संसाधनों के आदान-प्रदान के साथ-साथ अप्रत्याशित सहयोग में मदद मिलेगी। इस क्रांतिकारी नेटवर्क के पहले चरण की शुरुआत सरकार पहले ही कर चुकी है।

इसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति को सुगम बनाने के लिए, एनकेसी ने देश के सभी पुस्तकालय और सूचना क्षेत्र के पुनर्गठन के साथ-साथ एक अनुवाद उद्योग के विकास के बारे में भी सुझाव दिए हैं। एनकेसी की सिफ़ारिशों में विधि, प्रबंधन, चिकित्सा एवं अभियांत्रिकी शिक्षा सहित व्यावसायिक शिक्षा में सुधार के साथ-साथ मुक्त और दूरवर्ती शिक्षा के प्रोत्साहन तथा प्रतिभाशाली छात्रों को गणित और विज्ञान की धाराओं की ओर आकर्षित करने पर भी ज़ोर दिया गया है। हमने नवाचार, उद्यमिता और आईपीआर (बौद्धिक संपदा अधिकारों) जैसे मुद्दों पर भी विचार किया है, जो प्रतिस्पर्धी ज्ञानमय वातावरण के सृजन के लिए अति महत्वपूर्ण है। लोक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हमने ई-प्रशासन में सुधार के सुझाव भी दिए हैं। इसके अलावा, हमने भारतीय कृषि और पारंपरिक स्वास्थ्य (चिकित्सा) प्रणालियों के सामने मौजूद चुनौतियों के समाधान का भी प्रयास किया है, और ज्ञान प्राप्ति के उन प्रयासों का वर्णन किया है जो आम आदमी के जीवनस्तर को बेहतर बना सकते हैं। संक्षेप में, व्यापक सुधारों के सुझाव देकर, एनकेसी ने एक वास्तविक ज्ञानवान समाज के निर्माण का ख़ाका पेश करने की कोशिश की है।

विकास और नवाचार की नयी शताब्दी की ओर बढ़ने के लिए हमें सभी मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में हमें नयी संरचनाओं और विचारों की आवश्यकता है ताकि बाधाएं दूर हों, उसकी प्राप्ति सुगम हो सके। इस संदर्भ में, शिक्षा का अधिकार विधेयक की संसद में मंजूरी एक महत्वपूर्ण शुरुआत है। हमें सेवाओं की अदायगी सरल बनाने, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने और नये-नये अवसरों के सृजन के लिए प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग के वास्ते नयी सोच की ज़रूरत है। हम अपनी रूढ़िग्रस्त प्रणालियों को बदल कर और उन्हें नयी सच्चाइयों के अनुकूल ढालकर ही एक ऐसे ज्ञानवान समाज की रचना कर सकते हैं जो भावी पीढ़ियों को अप्रत्याशित लाभ दे सकेगी। ❑

(लेखक राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष हैं।
ई-मेल : sam.pitroda@e.sam.com)

विश्वविद्यालय और समाज के बीच संवाद आवश्यक

उच्च शिक्षा पर गठित यश पाल कमेटी रिपोर्ट में भारत के 75वें वर्ष तक का एजेंडा तैयार किया गया है, जिसमें स्वाधीनता के 75वें वर्ष यानी 2022 तक 70 करोड़ ऐसे नौजवान तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, जिन्हें विश्व में कहीं भी रोज़गार मिल सके। उच्च शिक्षा के आरंभिक प्रारूप में कहां चूक रह गई और यश पाल समिति रिपोर्ट उच्च शिक्षा की ख़ामियों को किस तरह दूर करेगी और इसकी सिफ़ारिशों के पीछे क्या विचारधारा काम कर रही है, इन सभी सवालों से जुड़े पहलुओं पर समिति के अध्यक्ष वैज्ञानिक एवं शिक्षाविद प्रो. यश पाल से योजना के लिए निमिष कपूर *ने बात की*

यदि आप एक छात्र हैं, शिक्षक हैं या शोधार्थी हैं और वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की ख़ामियों से नाखुश हैं, आपको कॉलेज और विश्वविद्यालय में नियम-कानूनों में बांधकर, विषयों के पिंजड़ों, में क़ैद कर दिया गया है, लेकिन आप सृजनात्मकता के पंख लगाकर अपने अध्ययन और शोध की गहराइयों में गोते लगाना चाहते हैं तो अब आपके सामने उम्मीद की नयी किरणें हैं। ऐसी शिक्षा की उम्मीदें जहां न कोई दीवार होगी, न बेड़ियां होंगी, आप जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहेंगे, आपके विचारों को दिशा मिल सकेगी। कुछ ऐसी ही उत्साहजनक सिफ़ारिशों के साथ उच्च शिक्षा पर गठित यश पाल रिपोर्ट हाल में जारी की गई। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल ने रिपोर्ट की महत्वपूर्ण सिफ़ारिशों को 100 दिनों के भीतर लागू करने की घोषणा की है, जिससे राष्ट्रीय शिक्षा समुदाय में हलचल मच गई। इससे पूर्व सैम पित्रोदा की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय ज्ञान आयोग रिपोर्ट भी पर कुछ हलचल हुई थी, लेकिन यश पाल कमेटी रिपोर्ट का भविष्य उज्ज्वल नज़र आ रहा है क्योंकि इस रिपोर्ट में शिक्षा को आर्थिक औज़ार के स्थान पर मानवता से जोड़ा गया है और देश में उच्च शिक्षा के विभिन्न

आयामों को एक मंच पर लाकर समाज से सीधे संवाद स्थापित करने की सिफ़ारिश की गई है। स्थानीय मुद्दों, दस्तकारों के कला-कौशल और सामाजिक पहलुओं को विश्वविद्यालयों के अंदर लाने की बात की गई है।

लंबे अरसे से उच्च शिक्षा को जड़ता के बंधन से आज़ाद करा खुले सोच-विचार के उन्मुक्त मार्ग पर लाने की कोशिश की जाती रही है पर अभी सफलता हाथ नहीं लगी है। कारण चाहे नौकरशाही हो, मंत्रालयों का दख़ल हो या पेचीदे नियम-कानून, यश पाल समिति की सिफ़ारिशों से उच्च शिक्षा पर एक नयी बहस छिड़ गई है। वैश्वीकरण के इस दौर में देश में उच्च शिक्षा से जुड़े हर पहलू को नये सिरे से जांचने-परख़ने की रफ़्तार बढ़ानी होगी, तभी हम दुनिया के साथ अपनी विज्ञान की तरक़्क़ी का मुक़ाबला कर पाएंगे।

उच्च शिक्षा को टुकड़ों-टुकड़ों में बांट कर उनके बीच दीवारें खड़ी की गईं, अलग-अलग विभागों के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान पर रोक लगा दी गई और कई शैक्षिक संस्थानों, आयोगों, परिषदों के ज़रिये उच्च शिक्षा के विभाजन को और मज़बूती दी गई, ऐसा ही कुछ निकलकर आया है यश पाल कमेटी रिपोर्ट में, जिसमें देश के 13 नियामक संस्थानों को मिलाकर, चुनाव आयोग की तरह एक राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग बनाने की बात की गई है। यहां यह भी देखना होगा कि क्या यह आयोग जड़ता और गैर-जवाबदेही जैसी समस्याओं से उच्च शिक्षा को निज़ात दिला पाएगा।

इस रिपोर्ट में भारत के 75वें वर्ष तक का एजेंडा तैयार किया गया है, जिसमें स्वाधीनता के 75वें वर्ष यानी 2022 तक 70 करोड़ ऐसे नौजवान तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, जिन्हें विश्व में कहीं भी रोज़गार मिल सके। इनमें 20 करोड़ युवा विश्वविद्यालयों के स्नातक होंगे और 50 करोड़ युवा किसी हुनर-कला

कौशल में माहिर होंगे। प्रधानमंत्री भारत को ज्ञान की भूमि बनाने की दिशा में प्रयासरत हैं। उच्च शिक्षा में नामांकन के मौजूदा दस फीसदी को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) तक पंद्रह फीसदी और 2017 में बारहवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक इक्कीस फीसदी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

इस पृष्ठभूमि में उच्च शिक्षा के आरंभिक प्रारूप में कहां चूक रह गई और यश पाल समिति रिपोर्ट उच्च शिक्षा की ख़ामियों को किस तरह दूर करेगी और इसकी सिफ़ारिशों के पीछे क्या विचारधारा काम कर रही है, इन सभी सवालों से जुड़े पहलुओं पर समिति के अध्यक्ष वैज्ञानिक एवं शिक्षाविद प्रो. यश पाल से *योजना* के लिए निमिष कपूर ने बात की। प्रस्तुत है बातचीत के मुख्य अंश:

प्रश्न : *आज आज़ादी के 60 वर्षों के बाद भी उच्च शिक्षा में दिक्क़तें हल नहीं हो पाईं हैं, आखिर आरंभ में कहां चूक हुई?*

उत्तर : देखिए, उच्च शिक्षा में काफी गड़बड़ी है, इस पर कई वर्षों से बात चल रही है। इस पर भी बहस चलती रही है कि उच्च शिक्षा को चलाने के लिए कौन-सी संस्थाएं हैं और उनमें क्या बदलाव आवश्यक हैं। हमारी सोच शुरू से ऐसी बनी, हमसे पहले तो कहा गया था कि एआईसीटीई में सुधार करो। इस पर शुरू में ही मैंने कहा था कि यह तो बाबू वाला काम लगता है कि हम कहें कि इतने सदस्य बढ़ा दो या कम कर दो या ये कार्यक्रम शुरू करो या बंद करो। पहले हमें यह सोचना होगा कि विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी क्या होनी चाहिए। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमने देश के विश्वविद्यालयों में ही नहीं, कॉलेजों में भी ज्ञान के टुकड़े-टुकड़े कर दिए हैं। और हमेशा यह देखा गया है कि जब भी कोई नयी बात या नयी सोच निकली है, विज्ञान में हो या समाजशास्त्र में, कहीं भी हो, वह सोच वहां से निकली है जहां पर दो टुकड़ों की दीवारें मिलती हैं। यानी ज्ञान की दो विशिष्ट शाखाओं की दीवारें मिलती हैं। तो हमने नयी शाखाएं बनाना भी भुला दिया है। अगर आप इसका एक उदाहरण लीजिए कि अलग-अलग विषयों की शाखाओं में अगर थोड़ी-सी भी दीवार चाहिए तो वह इस तरह की होनी चाहिए जैसे जैविक कोशिका की दीवार होती है। अगर दीवार न हो तो कोशिका अंदर कोई काम न करे। अगर दीवार मोटी बनी हो और उसका बाहर से कोई रिश्ता न हो तो कोशिका मर जाएगी। कोशिका तो तभी काम करेगी जब उसको अंदर काम करने का वक़्त मिले और बाहर से भी आदान-प्रदान हो। तब कोशिका फलती-फूलती है और उसकी ज़िंदगी बनती है। ज्ञान के संदर्भ में भी यही बात लागू होती है। इस प्रकार का विभाजन होना चाहिए कि विषय में थोड़ा विभाजन हो और विषयों को ऐसा न बना दीजिए कि एक-दूसरे से बिल्कुल अलग होकर रह जाएं। यही करने की कोशिश हमने की और इससे स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय सभी जगह गड़बड़ हुई।

प्रश्न : *उच्च शिक्षा में विभिन्न विषयों के बीच विभाजन किए गए उसमें कुछ जड़ता भी आ गई है, लेकिन फिर भी सारे विभाग अपने-अपने विषयों पर काम कर रहे हैं। ऐसे में विश्वविद्यालयों का गठन किस तरह से किया जाना चाहिए कि उनमें शिक्षा के विभाजन से बचा जा सके?*

उत्तर : यह जड़ता हमारी जाति प्रथा से आई या पता नहीं कहां से आई, हमें लगा कि इतने अलग-अलग विषय हैं, इन्हें पढ़ाने वाले भी अलग हैं, फिर हमने कहा इनको सहायता देने वाली जो संस्थाए हैं, वे सभी अलग हो जाएं। हमने मेडिकल संस्थान अलग बना दिए, इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर अलग बना दिए, भाषा अलग कर दी, इस तरह से हमने छोटे-छोटे क़ैदखाने बना दिए और इनका आपस में मिलजुलकर कोई नयी चीज़ बनाना कठिन कर दिया। फिर भी बहुत कुछ बना, जो काम करने वाले होते हैं वे सब कुछ कर जाते हैं। पर आमतौर पर लोगों के लिए यह मुश्किल हो गया। तो इन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए हमारे देश में पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) बनाया गया और कुछ 20-25 विश्वविद्यालय भी बने। लगता था सब ठीक है काम चलेगा। फिर मेडिकल काउंसिल अलग हो गई। बाद में सोचा गया कि तकनीकी के लिए अलग संस्था होनी चाहिए तो हमने एआईसीटीई बना दी। अब एआईसीटीई में आर्किटेक्टचर होगा पर कला या सौंदर्यशास्त्र उसमें नहीं होगा और विज्ञान यूजीसी देखेगी। तो हमने चीज़ों को आपस में मिलने से रोक दिया। आपस में झगड़े करवा दिए कि लोग एक साथ काम न कर सकें। एक तरह का प्रशासनिक रूप प्रदान कर दिया तो यह कोशिश की गई कि इसे कैसे दूर किया जाए। सबसे पहले तो यह है कि आप यह मानकर चलें कि अगर विश्वविद्यालय बनाते हैं तो विश्वविद्यालयों को ऐसे मत समझिए कि वे वर्कमैन हैं, जिनको हमेशा नियंत्रित करना है। विश्वविद्यालय वह जगह है जहां नया ज्ञान पैदा होता है, बहुत सोचने वाले होते हैं। विश्वविद्यालय को आज़ादी चाहिए, सोच में, विचार में आज़ादी। क्या बनाना है, कितना बनाना है और विश्वविद्यालय के अंदर भी यह स्वायत्तता शिक्षकों तक जानी चाहिए। विश्वविद्यालय के अंदर के तंत्र भी इस प्रकार के होने चाहिए। नये पाठ्यक्रमों का निर्माण विश्वविद्यालय में होना चाहिए, यह नहीं कि यूजीसी के सदस्य यह निर्णय लें कि यह होगा और यह नहीं होगा। विश्वविद्यालय को अपने पाठ्यक्रम बनाने का हक़ है, वह औरों से अलग भी हो सकते हैं। जब हम करिकुलम की बात करते हैं तो वह एक रहना चाहिए, पाठ्यक्रम अलग हो सकता है, उससे कोई फर्क़ नहीं पड़ता।

प्रश्न : *आपने अपनी रिपोर्ट में उच्च शिक्षा के विभिन्न निकायों को मिलाकर एक राष्ट्रीय आयोग बनाने की सिफ़ारिश की है, इसमें क्या खास होगा और यह वर्तमान शिक्षा के निकायों से किस तरह बेहतर होगा?*

उत्तर : हमने एक राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग बनाने का सुझाव दिया है, जो एक नयी चीज़ होगी। इस आयोग में अलग-अलग काम होंगे, जैसे मान्यता के लिए, जो विश्वविद्यालयों के गठन पर ध्यान देगा, आदि। लेकिन त्वरित नियंत्रण करने के लिए यह नहीं होगा। यह आयोग ज़ार नहीं है जो केवल हुक्म दे! वास्तव में यह एक फ्रेमवर्क बनाएगा, जिसमें लोगों को काम करने दिया जाएगा। इस तरह के आयोग के गठन बारे में हमने अपनी रिपोर्ट में कहा है। फिर एक और बात है कि जो संस्थाएं पहले हम बनाते हैं, चाहें वह मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) में हैं या राज्य के शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य मंत्रालय अथवा कृषि मंत्रालय में हैं, हर जगह मंत्रालय या विभागों का हस्तक्षेप होता है। वहां निम्न पद के लोग भी यह समझते हैं कि वे संस्थाओं में कोई भी काम करा सकते हैं। बड़ी चिपचिपाहट आ गई है, चिट्ठियों के जवाब नहीं आते हैं, आते हैं तो

बड़ी मुद्दत के बाद, तब तक काम भी हो चुका होता है। यदि नहीं होता है तो फिर भ्रष्टाचार होता है। इसे देखते हुए मैंने कहा कि यह संस्था ऐसी हो कि किसी सरकारी विभाग के अधीन काम न करे। यह एक राष्ट्रीय आयोग हो, जोकि किसी विभाग के नीचे न हो, तो इसको बनाने के लिए हमने एक संवैधानिक प्रस्ताव दिया है। इसको संविधान के अंतर्गत इस तरह बनाया जाए जैसेकि चुनाव आयोग बना है जिसकी वित्त व्यवस्था सीधे वित्तमंत्री द्वारा हो। तब इसे कोई भी सरकारी विभाग अपने अधिकार में नहीं रख सकेगा। हमने कहा है कि आयोग में आवश्यकता के अनुसार सदस्य होंगे और आयोग एक रिसोर्स समिति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। इस प्रकार से हमने इसे राजनीतिक व नौकरशाहों के हस्तक्षेप से बचाना चाहा है।

प्रश्न : *आपने डीम्ड विश्वविद्यालयों की ख़िलाफ़त की है। आपकी समिति इन विश्वविद्यालयों से क्या अपेक्षा करती है?*

उत्तर : यह विचार बहुत साल पहले उठा था। कई संस्थाएं हैं जिन्हें लोग अपने पैसे ख़र्च कर के बनाते हैं, बहुत उम्दा बन जाती हैं, कई विषयों में अच्छे काम करती हैं पर साथ ही डीम्ड विश्वविद्यालय की मुश्किल यह हो गई है कि वे बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, डिग्री नहीं दे सकते। वे अपने काम में लगे रहते हैं। डीम्ड विश्वविद्यालयों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि शिक्षा पद्धति को उसका फ़ायदा मिले। तो बहुत सारी डीम्ड यूनीवर्सिटी बनी, और पिछले कुछ सालों में डीम्ड विश्वविद्यालयों के खुलने का सिलसिला तेज़ हो गया। कुछ साजो सामान इकट्ठा कर के डीम्ड विश्वविद्यालय खोलने के दावे किए जाने लगे, फिर उसमें धांधली शुरू हो गई। इन कारणों से पुनः इनकी ज़ांच की जा रही है। इसमें हमने यह कहा है कि डीम्ड विश्वविद्यालय बनाने पर रोक लगा दी जाए और इनकी जांच की जाए कि ये विश्वविद्यालय स्तर के हैं या नहीं। जो संस्थाएं स्वयं को विश्वविद्यालय कहती हैं उन्हें बहुशाखाओं वाला होना चाहिए, केवल एक शाखा से विश्वविद्यालय नहीं बनते। इस प्रकार तीन साल तक उनको मौका दिया जाएगा, उसके बाद वे जारी रहेंगे या बंद होंगे।

प्रश्न : *विश्वविद्यालय में शिक्षा को सृजनात्मक बनाए जाने पर ज़ोर देने की बात भी आयोग की रिपोर्ट में शामिल है, इसके लिए आपके क्या सुझाव हैं?*

उत्तर : विश्वविद्यालय का अगर ज्ञान के साथ

यश पाल समिति रिपोर्ट : मुख्य तथ्य

- 28 फरवरी, 2008 को तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह ने प्रो. यश पाल की अध्यक्षता में 24 सदस्यीय उच्च समीक्षा समिति का गठन किया।
- यश पाल समिति की 67 पृष्ठों की रिपोर्ट में 19 सिफ़ारिशें हैं, जिन्हें केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल द्वारा 100 दिनों के भीतर लागू करने की बात की गई है।
- रिपोर्ट में यूजीसी, एआईसीटीई और एमसीआई जैसी 13 नियामक संस्थाओं को समाप्त कर चुनाव आयोग की तरह एक सर्व समाहित राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग (एनसीएचईआर) के गठन का सुझाव दिया गया है। इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी।
- इसमें डीम्ड विश्वविद्यालयों की बेतहाशा बढ़ोतरी पर एतराज़ किया गया है और एनसीएचईआर द्वारा इन विश्वविद्यालयों के प्रारूप की समीक्षा किए जाने तक नये डिम्ड विश्वविद्यालयों की स्थापना पर रोक का सुझाव दिया गया है।
- यश पाल समिति रिपोर्ट में देश के उत्कृष्ट 1,500 कॉलेजों का दर्ज़ा बढ़ाकर उन्हें विश्वविद्यालय बनाने का सुझाव, ताकि हमारी उच्च शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन हो सके।
- देश में सभी विश्वविद्यालयों में समान परीक्षा प्रणाली लागू करने के मद्देनज़र जीआरई की तर्ज़ पर एक राष्ट्रीय परीक्षा आयोजन का आरंभ करने का प्रस्ताव रखा गया है जोकि पूरे देश में साल में कई बार प्रवेश परीक्षा संचालित करेगा एवं विद्यार्थी हर बार परीक्षा दे सकेंगे।
- शैक्षणिक संस्थाओं और विश्वविद्यालयों को नौकरशाहों के नियंत्रण से मुक्त कर अकादमिक स्वायत्तता और जवाबदेही विकसित करने के लिए मौका दिया जाएगा। विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन को परख़ने के लिए ऊंची और कड़ी कसौटियां बनाई जाएंगी।
- इसमें अकादमिक शोध और खुले सोच-विचार को बेवजह के नियम-कायदों के ज़ाल से बाहर निकालने पर बल दिया गया है।
- बाहर के निकृष्ट संस्थानों के स्थान पर उत्कृष्ट विश्वविद्यालय और उनके शिक्षाविदों को भारत लाने पर बल, जिससे यहां के शैक्षिक स्तर को ऊंचा करने में मदद मिलेगी।
- ज्ञान के सहज प्रवाह को अवरुद्ध करने के लिए जो अवधारणाओं की दीवारें खड़ी की गई हैं, उन्हें यश पाल समिति की रिपोर्ट में दूर किया गया है। जैसे शिक्षण और अनुसंधान, केंद्रीय और प्रांतीय विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेज, स्कूल और स्नातक जैसे विभाजनों पर सवाल उठाए गए हैं और उनके बीच की दीवार हटाकर निरंतरता बनाए जाने पर ज़ोर दिया गया है।
- विश्वविद्यालयों के स्थानीय ज्ञान, दस्तकारों के हुनर और समाज से कट जाने पर निराशा व्यक्त की गई है।
- यश पाल समिति रिपोर्ट की ख़ास सिफ़ारिश यह है कि परीक्षा केंद्रित स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अनुसंधान, मौलिक लेखन व संगोष्ठियों की कमी को पूरा किया जाए। इसके साथ ही छात्रों को विषयों के पिंजड़ों से अपनी पसंद के पाठ्यक्रम चुनने का अवसर दिया जाए। जैसेकि यदि इतिहास का कोई विद्यार्थी जीवन का अध्ययन करना चाहता है तो उसे मानव विज्ञान के पर्चे के पाठ्यक्रम को पढ़ने की अनुमति क्यों न दे दी जाए? ❑

रिश्ता है तो ज्ञान बढ़ाने के सभी तरीक़े इस्तेमाल करने चाहिए। ये तो नहीं है कि ठीक से न पढ़ाया जाए। और यह भी कहा गया है कि शिक्षित करने का काम और अनुसंधान एक साथ नहीं होने चाहिए। साथ में यह कहा है कि जो पुराने विश्वविद्यालय हैं या नये बने हैं, वहां वरिष्ठ प्रोफेसर पहले वर्ष के बच्चों को पढ़ाएं, यह नहीं कि बच्चे छोटे हैं तो उनको कोई भी पढ़ा सकता है। सबसे अच्छा जानने वाला और पढ़ाने वाला उनको पढ़ाए ताकि वे उत्साहित हों। इस तरह के बहुत-से सुझाव हैं।

प्रश्न : *देश में विदेशी विश्वविद्यालयों को निमंत्रण दिए जाने संबंधी विधेयक पर चर्चा हो रही है। विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत आगमन पर आपकी टिप्पणी क्या है?*

उत्तर : कौन से विदेशी विश्वविद्यालय को बुलाएं? विदेशी विश्वविद्यालय यहां आकर क्या करेंगे? वे अपने कुछ कम अनुभवी शिक्षकों को यहां भेज देंगे, उनसे ज्यादा अच्छे शिक्षक तो हमारे यहां भरे पड़े हैं। बस उनका नाम होगा कि अमुक विश्वविद्यालय से आए हैं। जो बहुत से विदेशी विश्वविद्यालय आजकल यहां आ भी रहे हैं उसमें बहुत सारे गुमनाम विदेशी विश्वविद्यालय लोग चुन-चुन कर बुला रहे हैं, जिनको कोई जानता नहीं, उनके मुल्क़ के लोग भी नहीं। यह एक तरह का विज्ञापनों का खेल है। कोई गहराई नहीं है इसमें। अगर आप सोच रहे हैं कि बड़े नामी विश्वविद्यालय को, कैंब्रिज आदि को कहें कि यहां आ जाओ, तो वे कैसे आएंगे। अगर उनके शिक्षक यहां आकर हिंदुस्तान में काम करना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, तो उनको बसने दो, उनका स्वागत करो। यह ब्रेन गेन का तरीक़ा है न कि उनके देश से जुड़ना ज़रूरी है।

प्रश्न : *बहुत से निजी विश्वविद्यालय जिन्हें राज्य से मान्यता प्राप्त है, आयोग की रिपोर्ट आने के बाद क्या इन्हें नये सिरे से मान्यता लेनी होगी?*

उत्तर : इसकी सही तरह जांच करनी होगी और अगर आयोग की रिपोर्ट मानी जाएगी तो सारे विश्वविद्यालय इसी के अनुरूप मान्यता प्राप्त करेंगे। इस पर भी प्रश्न उठेगा कि राज्य विधायिका से विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त कर सकते हैं या नहीं!

प्रश्न : *रिपोर्ट में यूजीसी के राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में विलय की बात की गई है। आप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्यक्ष रह चुके हैं। तब आप यूजीसी के बारे में क्या सोचते थे?*

उत्तर : मैं यूजीसी में जब आया था, तो उस वक़्त मेरी भी यही मुश्किल थी और आने से पहले भी यही मुश्किल थी। जिन दिनों तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मुझे कहा कि आप आकर यूजीसी ज्वाइन करें। मैंने उन्हें कहा था मैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में काम करता हूं, क्या आपको मेरा काम पसंद नहीं है? तो उन्होंने जवाब दिया था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में नहीं आएगी तो कैसे काम चलेगा। मैंने कहा, कैसे आएगी? विज्ञान हर जगह तो बंटा पड़ा है। कृषि विज्ञान कृषि मंत्रालय की है, इंजीनियरिंग एआईसीटीई में है, कुछ विज्ञान यूजीसी के पास है, तो विज्ञान एक कहां रही? बेहतर होगा कि इकट्ठा विज्ञान की बात सोची जा सके। तब उन्होंने क्या कहा- हां! इसके लिए केवल एक कमीशन होना चाहिए, उच्च शिक्षा आयोग। अगर उच्च शिक्षा आयोग बनाएं तो आप आएंगे? मैंने कहा- बनाइए और मैं एक सम्मेलन में शामिल होकर बाहर से लौटा ही था, तभी उन्होंने एक मीटिंग की, जिसमें कृषि, स्वास्थ्य और सभी विभागों के मंत्री शामिल थे और फिर कैबिनेट सचिव व अन्य सचिवों के साथ बातचीत कर कहा कि इस आयोग के गठन के लिए तैयारी कीजिए। उन्होंने राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग की घोषणा भी कर दी। फिर मुझसे कहा कि अब ज्वाइन कर लीजिए। अब मुश्किल यह थी कि मैं ना कैसे करता। मैंने यूजीसी ज्वाइन तो कर लिया पर यूजीसी में रह कर मैं उच्च शिक्षा आयोग तो नहीं बना सकता था, वो तो कहीं और बनना था। फिर मंत्रालय में एक रिपोर्ट बनाने के लिए 3-4 महीने काम चला और राजीव जी हर हफ़्ते बाद मुझसे पूछते थे कि सब काम हो गया? मैंने कहा यह मेरा काम नहीं है। तीन-चार महीने के बाद वह रिपोर्ट आई जिसमें लिखा था कि ये-ये संस्थाएं हैं और एक समन्वय समिति बनानी होगी और उसका अध्यक्ष बनाया जाएगा आदि। वह उच्च शिक्षा आयोग नहीं था। उसके बाद राजीव जी अन्य कामों में व्यस्त हो गए, फिर चुनाव आ गया। मुझे वह रिपोर्ट मंजूर नहीं थी। मैंने सोचा इससे तो अच्छा है कि मैं सीधे न जुड़ कर अपरोक्ष रूप से काम करूं। इसीलिए इंटर यूनीवर्सिटी सेंटर बनाए गए ताकि सभी को मिलाकर काम किया जाए। जैसेकि आयुका, न्यूक्लियर साइंस सेंटर, डीएई के साथ तीन सेंटर आदि। इसका एक लंबा इतिहास रहा है।

प्रश्न : *आपकी रिपोर्ट में जीआरई की तर्ज़ पर जो राष्ट्रीय परीक्षा योजना की बात की गई है वह विद्यार्थियों के लिए किस तरह लाभप्रद होगी?*

उत्तर : राष्ट्रीय परीक्षा योजना की बात स्व. राजीव जी के दिनों से चलती आ रही है। हमने भी अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया है और उच्च शिक्षा आयोग को यह काम करना पड़ेगा। अगर परीक्षण योजना शुरू करेंगे तो उसमें पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क की बात होनी चाहिए, सिलेबस नहीं। अगर ऐसा हो जाए कि इतने सारे बोर्ड आदि के इंतेहान लेने के बज़ाय एक ही तरह की परीक्षा से काम चल जाएगा। कई लोग यहां पढ़ते हैं, कोई वहां पढ़ता है, कोई मुक्त विद्यालय में पढ़ता है, कोई खुद पढ़ता, सीखता है। तो आप इस प्रकार की परीक्षा लें, जिसे मापा जा सके कि इस इंसान को कितना आता है, सिर्फ विषय में नहीं, अन्य चीज़ों में कैसा क्या आता है। अगर यह परीक्षा योजना बनती है तो ये परीक्षाएं साल में 3-4 बार होंगी, और इन सभी परीक्षाओं में बैठा जा सकेगा और जिस परीक्षा में आपके ज्यादा नंबर आएंगे, उसके आधार पर आप आगे का रास्ता तय करेंगे। इस तरह का विचार है।

प्रश्न : *समिति की रिपोर्ट के मद्देनज़र आप विश्वविद्यालय के शिक्षकों को क्या सलाह देना चाहेंगे?*

उत्तर : मैं विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कुलपतियों से यह कहूंगा कि पहले तो आप यह देखिए कि विश्वविद्यालय कैसे चला रहे हैं और दूसरी चीज़ यह देखिए कि कुलपतियों की नियुक्ति कैसे होती है, शिक्षकों की नियुक्ति कैसे होती है। फिर यह सोचना होगा कि अब आज़ादी मिल चुकी है और अब हमें ही यह फ़ैसला करना होगा कि हमें क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है? विषयों के दरम्यान रिश्ते कैसे बनाने हैं? हर विश्वविद्यालय में यह विचार-विमर्श शुरू हो जाए, अगर इस तरह काम शुरू करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा और नयी दुनिया बनेगी। ❑

(साक्षात्कारकर्ता विज्ञान प्रसार, नोएडा में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी हैं।
ई-मेल : nimish2k@rediffmail.com)

श्रम बाज़ार के अनुरूप उच्च शिक्षा

● पवन अग्रवाल

पहले से चले आ रहे इस अफलातूनी विचार से आज भी अनेक लोग कायल हैं कि उच्च शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति को समर्थ बनाना, लेकिन अब व्यावहारिक बुद्धि वाले यह मानने लगे हैं कि उच्च शिक्षा का मुख्य उद्देश्य कौशल और नवाचार के लिए योग्यताएं विकसित करना है। यह बात उच्च शिक्षा की गुणवत्ता से भी देश के लिए अधिक महत्वपूर्ण है।

हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था तेज़ी से विकसित हुई है। यह जानना रोचक होगा कि निर्माण वाले चरण को लांघते हुए देश ने गैर-परंपरागत मार्ग से विकास तक पहुंचने का रास्ता चुना और अब सेवा क्षेत्र में पहुंच चुका है। इसके परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्रों में स्नातकों की मांग बढ़ गई है जिससे उच्च शिक्षा क्षेत्र भी भौचक रह गया। वह इस मांग को पूरा करने में असमर्थ था। अत: उच्च शिक्षा की जमकर किरकिरी हुई। यह भी एक विरोधाभासी सच है कि जहां एक ओर कमी पूरी नहीं हो पा रही है, वहीं स्नातकों की बेरोज़गारी बढ़ रही है।

कार्य की प्रकृति बदलते रहने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रम बाज़ार के एकीकरण के कारण उच्च शिक्षा और श्रम बाज़ार में तालमेल कठिन हो गया है। इस लेख में श्रम बाज़ार और उच्च शिक्षा की हाल की घटनाओं पर नज़र डाली गई है और दोनों क्षेत्रों में समन्वय के सुझाव दिए गए हैं।

श्रम बाज़ार के घटनाक्रम

हाल के वर्षों में भारतीय श्रम बाज़ार में तीन खास बातें हुईं– पहला देश के आर्थिक विकास के कारण आईटी और आईटी आधारित सेवाओं में नौकरियों के अवसर पैदा हुए। औषधि विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, इंजीनियरी एवं डिज़ाइन सेक्टर में भी काम के अवसर बढ़े। साथ ही, वित्त, बीमा, फुटकर व्यापार, विमानन, सत्कार, एनीमेशन, मीडिया, रीयल इस्टेट और बुनियादी संरचना क्षेत्रों में भी अनेक प्रकार के रोज़गार अवसर बढ़े और इनमें स्नातक योग्यता ज़रूरी हुई।

दूसरे, अब भारतीयों को विदेशों में नौकरी मिल जाती है और अनेक तरह के काम भारत में ही भेज दिए जाते हैं। साथ ही, भारतीय कंपनियां भी विदेशियों को नौकरी पर रख रही हैं। इस प्रकार एक अंतरराष्ट्रीय बाज़ार विकसित हो गया है। भारतीयों के लिए अधिक और बेहतर नौकरियों की पेशकश की जा रही है। वे अंतरराष्ट्रीय श्रम बाज़ार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

अंतिम तौर पर, अब तकनीकी बदलाव के कारण निर्माण और सेवा क्षेत्र की अधिकांश नौकरियां कम उत्पादकता वाले क्षेत्र में आ गई हैं। कुछ नौकरियां ही अधिक उत्पादकता वाले क्षेत्र में रह गई हैं। इस प्रकार अधिकांश जनशक्ति ऐसे कामों में लगी है जिनमें बुनियादी अथवा औसत दर्ज़े की कुशलता की ज़रूरत है।

ये ऐसे घटनाक्रम हैं जिनके प्रमाण भारत की जनगणना 2001 से मिलते हैं। 40.2 करोड़ श्रमिकों में से 1.25 करोड़ उच्च कुशलता वर्ग के हैं जैसे– वरिष्ठ अधिकारी, प्रबंधक और प्रोफेशनल आदि। समझा जा सकता है कि इनका स्नातक होना ज़रूरी है। 12.7 करोड़ किसान, 10.7 करोड़ खेतिहर श्रमिक, 1.69 करोड़ घरेलू काम वाले हैं, जिनका स्नातक होना जरूरी नहीं है।

काफी बड़ी संख्या में श्रमिक, तकनीशियन और एसोसिएट प्रोफेशनल हैं, मशीन चलाने वाले, सेवा कार्य करने वाले, शिल्पकार तथा ऐसे ही अन्य कई काम वाले हैं। इन्हें सिर्फ़ बुनियादी या औसत दर्ज़े की कुशलता चाहिए। प्रारंभिक व्यवसायों (फेरीवाले, घरेलू काम वाले, संदेशवाहक, कुली, श्रमिक आदि) में भी काफी ज्यादा लोग लगे हैं। इनका सिर्फ़ साक्षर होना काफी है।

प्रवृत्तियों से ज़ाहिर होता है कि उन बुनियादी पेशों में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है जिनका आधार सबसे बड़ा है जबकि उच्च कुशलता वर्ग का आधार छोटा है। काफी अधिक संख्या में लोगों को पेशेवर दक्षता की आवश्यकता होती है। इनकी संख्या भी बढ़ रही है।

उच्च शिक्षा एवं प्रशिक्षण क्षेत्र

उच्च शिक्षा के लिए नाम लिखाने वालों के कम प्रतिशत (11 प्रतिशत) के बावजूद (भले ही यह संख्या कुल मिलाकर नाकाफी जान पड़ती हो) यह स्नातकों की मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त है। हाल के वर्षों में इसमें 9 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि हुई है (यह संख्या भी चीन जैसे देशों के साथ तुलना में कम है जहां यह 20 प्रतिशत है) फिर भी अनेक क्षेत्रों में कमी बनी हुई है। इसका कारण भारत में उच्च शिक्षा की आंतरिक संरचना और प्रशिक्षण क्षेत्र के गठन के तरीक़ों में खोजा जा सकता है। भारत में उच्च शिक्षा क्षेत्र में मानविकी विषयों का बोलबाला है और 5 में से लगभग चार स्नातक रोज़गार योग्य कौशल नहीं रखते। शिक्षा व्यवस्था लचीली नहीं है और शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता में काफी भिन्नता होती है जिससे छात्रों को विकल्प नहीं मिलते। अब श्रम बाज़ार में जिस प्रकार के काम निकल रहे हैं उनमें साधारण

स्नातक तालमेल नहीं बिठा पाते। यही कारण है कि आजकल स्नातकों की बेरोज़गारी दर 19.60 प्रतिशत है जो काफ़ी ज्यादा है। 60 प्रतिशत से अधिक स्नातक ऐसे काम में लगे हैं जिसमें स्नातक स्तर के कौशल की ज़रूरत ही नहीं है।

भारत के व्यावसायिक संस्थान भी एक पक्षीय दृष्टिकोण रखने वाले स्नातक तैयार करते हैं भले ही वे विभिन्न सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि के हों। विज्ञान, साहित्य या खेलकूद में रुचि रखने वाले प्रतिभाशाली छात्र भी अक्सर इंजीनियरी इसलिए चुनते हैं क्योंकि उन्हें यह बुद्धिमत्तापूर्ण पाठ्यक्रम लगता है।

पाठ्यक्रम में अपर्याप्तता के बावजूद उच्च शिक्षण संस्थान नयी अर्थव्यवस्था जनित क्षेत्रों के लिए स्नातक उपलब्ध नहीं कराते। नयी नौकरियों में अधिकांशत: अंग्रेज़ी भाषा में निपुणता की ज़रूरत होती है फिर भी ऐसे स्नातकों का अंग्रेज़ी ज्ञान छिछला है।

भारत में जहां व्यावसायिक कुशलता की आवश्यकता बहुत है और बढ़ रही है, व्यावसायिक क्षेत्र अपनी ख़राब छवि के कारण उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा है। 15-29 वर्ष आयु वर्ग के केवल 2 प्रतिशत लोग औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर पाए हैं और सिर्फ़ 8 प्रतिशत को अनौपचारिक प्रशिक्षण मिला है। भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण को नकारात्मक रूप में शारीरिक श्रम के साथ जोड़ा जाता है। यही कारण है कि ग़रीब परिवारों के अपेक्षाकृत कम प्रतिभाशाली छात्र ही व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का विकल्प चुनते हैं। ज्यादा चुस्त बच्चे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की राह पकड़ते हैं।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम से उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में जाने का विकल्प नहीं है और दोनों क्षेत्र अलग-अलग हैं। इस अलगाव के कारण व्यावसायिक क्षेत्र की विकास संभावनाएं बढ़ गई हैं। दुनिया के अन्य अनेक देशों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम से शैक्षणिक पाठ्यक्रमों की ओर चले जाना बहुत आसान है और वहां व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को हीन नहीं समझा जाता। वास्तविकता यह है कि ऐसे देशों में बुनियादी और औसत कुशलता पर खास ज़ोर दिया जाता है और इसके लिए वे व्यावसायिक प्रशिक्षण देते हैं। हाल ही में अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 12 अरब डॉलर की राशि कम्युनिटी कॉलेजों पर निवेश करने की घोषणा की जो उन व्यावसायिक कुशलताओं को बढ़ाने में सहायक होते हैं जो अमरीका की अर्थव्यवस्था की रफ़्तार को तेज़ करते हैं। 'लीथ रिव्यू' के आधार पर ब्रिटेन ने उच्च शिक्षा को कौशल-उन्मुख बनाने के उपाय किए हैं।

कुल मिलाकर, भारत में स्नातकों की आपूर्ति की कोई समस्या नहीं है। समस्या है स्नातकों की गुणवत्ता और नौकरियों के अनुरूप कौशल के कमी की। तेज़ आर्थिक विकास के साथ निवेश बढ़ रहा है और ढांचागत परिवर्तन हो रहे हैं और कुछ क्षेत्रों में स्थिति गंभीर हो रही है जिससे हाल के वर्षों में उच्च शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान गया है।

अब जबकि मीडिया में आर्थिक मंदी और नौकरियां छूटने की ख़बरें आ रही हैं, प्लेसमेंट की गति धीमी हुई है, लोग खुद ही स्वेच्छा से आगे की शिक्षा और कौशल वृद्धि का विकल्प ले रहे हैं। इस प्रकार कौशल की कमी अब सामान्य नहीं बल्कि विनिर्दिष्ट एवं अस्थायी बन गई है। इसलिए समस्या का समाधान उच्च शिक्षा के बड़े पैमाने पर विस्तार में नहीं, बल्कि इस बात में निहित है कि कमियों की पहचान करके संदर्भ-विनिर्दिष्ट समाधान निकाले जाएं और व्यवस्था में अंगीकरण की क्षमता वृद्धि की जाए।

बेहतर तालमेल

उच्च शिक्षा और श्रम बाज़ार में संबंध टिकाऊ है। बेरोज़गारी, कम रोज़गारी और कौशल की कमी की समस्या का हल निकालने के लिए ऐसे उपायों की ज़रूरत है जो उच्च शिक्षा और नौकरियों को अधिक कुशल बनाएं।

अब जबकि ज़माना तेज़ी से बदल रहा है, संस्थानों को बदलते श्रम बाज़ार और छात्र हितों के प्रति अधिक संवेदनशील बनना पड़ेगा। दुर्भाग्य की बात है कि विश्वविद्यालय नवाचारी संस्थान नहीं हैं, वे किसी समस्या या चुनौती का उपलब्ध संसाधनों के इस्तेमाल के साथ हल निकालने या सामना करने की स्थिति में नहीं हैं। व्यवस्था की अपरिवर्तनशीलता, संस्थानों के बीच स्पर्धा की कमी और मानव सोच के कारण यह समस्या भारत में और भी गंभीर है।

हाल के वर्षों में यह अंतर पाटने के उद्देश्य से कई कदम उठाए गए हैं। अनेक क्षेत्रों में उद्योग-विनिर्दिष्ट और संदर्भ-विनिर्दिष्ट समाधान आजमाए जा रहे हैं। अनेक कंपनियों ने अपने परिसर में ही प्रतिभा विकास कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। अलग से अथवा रोज़गार दिलाने वाले कौशल पर आधारित कार्यक्रमों के साथ अब अल्पावधि कार्यक्रम पेश किए जा रहे हैं जो विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में और कार्यस्थल पर ज़रूरी व्यावहारिक कौशल के अंतर को दूर करने में सहायक हैं।

उच्च शिक्षा व्यवस्था इसका माकूल जबाव देने में सुस्त रही। कठोर शैक्षणिक संरचना के कारण विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी रही। अब ज़रूरत इस बात की है कि नियोक्ताओं के सुझावों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पाठ्यक्रम में संशोधन किए जाएं, नये पाठ्यक्रमों और शिक्षा पद्धतियों को अपनाया जाए और कार्य-अनुभव देने के लिए अवसर प्रदान करने हेतु प्रावधानों का विस्तार किया जाए। इन सबका उद्देश्य यह हो कि नौकरियों के लिए ज़रूरी कौशल विकास को प्रोत्साहन मिले।

अनुभव से ज़ाहिर हुआ है कि छात्रों की मांग पूरी करने में निजी शिक्षण संस्थान ज्यादा चुस्त-दुरुस्त रहे हैं। इसीलिए सार्वजनिक-निजी और औपचारिक एवं अनौपचारिक व्यवस्थाओं का उपयुक्त और मिला-जुला शिक्षण एवं प्रशिक्षण मिश्रण प्रस्तुत किया जाए तो वह अर्थव्यवस्था और समाज की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम रहेगा।

शिक्षा और प्रशिक्षण की संयुक्त व्यवस्था नौकरी बाज़ार की बदलती ज़रूरतें पूरी करने के लिए सबसे उपयुक्त रहेगी। इसके लिए एक राष्ट्रीय योग्यता रूपरेखा के जरिये व्यावसायिक और उच्च शिक्षा के बीच रास्ता बनाना पड़ेगा और व्यावसायिक शिक्षा को नयी पहचान देनी होगी। ज़रूरत इस बात के प्रबंधन की है कि सार्वजनिक-निजी मिश्रण के साथ ही ऐसी नीतियों की शुरुआत की जाए जो निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का स्वस्थ विकास सुनिश्चित करे।

भारत जैसे उदार अर्थव्यवस्था वाले देश में, जहां श्रम बाज़ार के बारे में पूर्वानुमान कठिन है, उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण की एकीकृत व्यवस्था स्थापित करना उपयोगी रहेगा। व्यावसायिक प्रशिक्षण और उच्च शिक्षा के बीच सुगम आवाजाही से छात्रों को अपनी शिक्षा

और बाज़ार में आने वाले रोज़गार अवसरों के बीच लोच उपलब्ध होगी और वे उनसे फायदा उठा सकेंगे।

यह आवाजाही शुरू से ही मौजूद है। अमरीका में कम्युनिटी कॉलेज एसोसिएट डिग्री प्रदान करते हैं जिसके बाद छात्र विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। या फिर इस प्रकार की आवाजाही उच्च और व्यावसायिक शिक्षा के संस्थान स्थापित करें जैसाकि ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में पॉलीटेक्नीकों को विश्वविद्यालय का दर्ज़ा दिया गया है जिससे दोहरी व्यवस्था खत्म हो गई है।

दो साल की एसोसिएट डिग्री की शुरुआत

व्यावसायिक कौशल सिखाने के दो वर्ष की एसोसिएट डिग्री पाठ्यक्रम की शुरुआत से वर्तमान पॉलीटेक्नीकों और कला तथा विज्ञान कॉलेजों को अपने पाठ्यक्रमों को श्रम बाज़ार के अनुकूल बनाने में बहुत सहायता मिलेगी। फिलहाल, दसवीं पास करके दाखिला लेने वाले छात्रों को तीन वर्ष का डिप्लोमा देने वाले पॉलीटेक्नीकों को उच्च शिक्षा के दायरे से बाहर माना जाता है। ये पॉलीटेक्नीक 12वीं पास छात्रों को दो साल की एसोसिएट डिग्री प्रदान करें और उन छात्रों को स्नातक पाठ्यक्रमों में सामान्य कॉलेजों और फिर से नाम दिए गए नये कॉलेजों में प्रवेश पाने की संभावना रहे। पॉलीटेक्नीकों में सामान्यत: 12वीं पास छात्र दाख़िला लेते हैं। हालांकि दसवीं पास छात्र प्रवेश पाने के पात्र हैं।

वर्तमान 1,750 पॉलीटेक्नीकों को उच्च शिक्षा व्यवस्था में शामिल कर लेने से लगभग 20 लाख छात्र उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आ जाएंगे। इसी प्रकार सामान्य कला और विज्ञान कॉलेजों को एसोसिएट डिग्री देने को प्रोत्साहित किया जा सकता है जो सेवा क्षेत्र की अनेक नौकरियों के अनुकूल रहेगी।

अनेक मामलों में यह संभव होना चाहिए कि 'नये कॉलेजों' का मौजूदा कॉलेजों में विलय कर दिया जाए ताकि नये रूप में ये कॉलेज एक साथ कई व्यावसायिक और स्नातक से नीचे वाले पाठ्यक्रम पेश कर सकें। एसोसिएट डिग्री अथवा आईटीआई प्रमाणपत्र से लेकर एसोसिएट डिग्री तक को जोड़ने वाले रास्ते के जरिये नये कॉलेजों को शिल्पकार का प्रशिक्षण देने वाले उद्योग प्रशिक्षण संस्थान का दर्ज़ा बढ़ाना भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

निष्कर्ष

उच्च शिक्षा और श्रम बाज़ार को समन्वित करने के लिए बहुत तेज़ी से बहुस्तरीय तालमेल और लोच तथा व्यावसायिक और उच्च शिक्षा क्षेत्र के बीच रास्ता बनाने की ज़रूरत है जो शिक्षा और प्रशिक्षण का ठोस ताना-बाना पेश कर सके। भारत जैसे बड़े देश के लिए, इस काम के बड़े आकार और जटिलता को देखते हुए यह बहुस्तरीय तालमेल नियोजन की अपेक्षा बाज़ार की ताक़तों द्वारा बेहतर ढंग से किया जा सकता है।

इस प्रकार हमें उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा-सक्षम बनाने के लिए मानसिक सोच बदलने की ज़रूरत है। ❑

लेखक पश्चिम बंगाल सरकार में सचिव हैं। वह वर्ष 2005-06 के दौरान उच्चशिक्षा पर भारत से फुलब्राइट न्यू सेंचुरी स्कॉलर रह चुके हैं।

ई-मेल : apawan08@gmail.com

18 जनवरी, 2009 को फर्ज़ी विश्वविद्यालयों की राज्यवार सूची

बिहार

1. मैथिली यूनीवर्सिटी/विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार।

दिल्ली

2. वाराणसेय संस्कृति विश्वविद्यालय, वाराणसी (यूपी) जगतपुरी, दिल्ली।
3. कमर्शियल यूनीवर्सिटी लिमिटेड, दरियागंज, दिल्ली।
4. यूनाइटेड नेशंस यूनीवर्सिटी, दिल्ली।
5. वोकेशनल यूनीवर्सिटी, दिल्ली।
6. एडीआर सेंट्रिक जुरिडिकल यूनीवर्सिटी, एडीआर हाउस, 8जे, गोपाला टावर, 25 राजेंद्र प्लेस, नयी दिल्ली-110008 ।
7. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, नयी दिल्ली।

कर्नाटक

8. बड़ागान्वी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनीवर्सिटी एजूकेशन सोसायटी, गोकक बेलगांव, कर्नाटक।

केरल

9. सेंट जान्स यूनीवर्सिटी, किशनट्टम, केरल।

तमिलनाडु

10. डी.डी.बी. संस्कृति यूनीवर्सिटी, पुतुर, त्रिची, तमिलनाडु।

मध्य प्रदेश

11. केसरवानी विद्यापीठ, जबलपुर, मध्य प्रदेश।

महाराष्ट्र

12. राजा अरेबिक यूनीवर्सिटी, नागपुर, महाराष्ट्र।

पश्चिम बंगाल

13. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आल्टरनेटिव मेडिसिन, कोलकाता।

उत्तर प्रदेश

14. महिला ग्राम विद्यापीठ/विश्वविद्यालय (वीमेंस यूनीवर्सिटी) प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
15. इंडियन एजूकेशन कौंसिल ऑफ यू.पी., लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
16. गांधी हिंदी विद्यापीठ, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
17. नेशनल यूनीवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्पलेक्स होम्योपैथी, कानपुर, उत्तर प्रदेश।
18. नेताजी सुभाषचन्द्र बोस यूनीवर्सिटी (ओपन यूनीवर्सिटी), अचलताल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश।
19. उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, कोसी कलां, मथुरा, उत्तर प्रदेश।
20. महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश।
21. इन्द्रप्रस्थ शिक्षा परिषद, इंस्टीट्यूशनल एरिया, खोड़ा, माकनपुर, नोएडा फेज-टू, उत्तर प्रदेश।

22-गुरुकुल विश्वविद्यालय, वृंदावन, उत्तर प्रदेश।

नोट : भारतीय शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा प्रदत्त बीएड/एमएड आदि डिग्रियों की मान्यता और उसकी स्वयं की मान्यता का प्रकरण अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है।

स्रोत : यूजीसी की वेबसाइट

लोक प्रशासन (हिन्दी माध्यम) में एक बार फिर सर्वोच्च अंक

मिहिर रायका
370
(179/191)

कमलेश कुमार : 347 (176/171)
शिव शंकर : 330 (164/166)
प्रदीप कुमार सैंगर : 328 (165/163)
घासीराम प्रजापति : 321 (169/152)
और भी ...

लोक प्रशासन
(हिन्दी माध्यम)

By **Atul Lohiya**

(A person who believes in scientific approach and hard work)

UGC-NET
QUALIFIED IN TWO SUBJECTS
(HISTORY & PUB. ADMINISTRATION)

सर्वोच्च अंक-2007
गिरिवर दयाल सिंह
390
(183/207)

सर्वोच्च अंक-2006
विकास कुमार-353 (184/169)

38 Rank
Shikha Rajput

51 Rank
Giriwar Dayal Singh

254 Rank
Virendra K. Patel

391 Rank
Ajay Hilori

465 Rank
Mukesh B. Singh

615 Rank
Shailendra S. Rathour

आप भी प्राप्त कर सकते हैं 400+ अंक, कैसे? Winning Strategy के साथ

New Batch : 29th October, 2009
ADMISSION OPEN FROM 1st Oct. '09

* *UPSC* के साथ *UP, MP, Raj., Bihar, Uttaranchal, Jharkhand Chhattisgarh, Haryana, Himachal PCS* की भी तैयारी;

संस्थान के सफल विद्यार्थियों द्वारा समय-समय पर मार्गदर्शन!

लोक प्रशासन
Mains के साथ-साथ
Pre. के लिए भी बेहतर विकल्प

हौसले से हार गई विकलांगता
यूपीएससी-08 में 435 वीं रैंक पर हमारे संस्थान के दृष्टिहीन छात्र आशीष सिंह ठाकुर

435 Rank

110 Rank
Navneet Bhasin

251 Rank
Pradumna K. Singh

358 Rank
Pradeep K. Sanger

391 Rank
Shiv Shankar

522 Rank
Mihir Rayka

Photograph Not Available
710 Rank
Drop S. Meena

754 Rank
Amit Pamasi

Interview Guidance (Samvardhan)

245 Rank
Bhoomika Patel

252 Rank
Pramod Kumar

307 Rank
Santosh Kumar

Photograph Not Available
341 Rank
P. Shanti Sudha

394 Rank
Nitina Nagori

422 Rank
Mukesh Rathore

439 Rank
Armstrong Pame

444 Rank
Aakash Singhai

649 Rank
Jai Prakash Singh

JOIN FOUNDATION COURSE
-: SHORT TERM COURSE :-
WRITING SKILL, ESSAY & PERSONALITY DEVELOPMENT

पत्राचार पाठ्यक्रम भी उपलब्ध
(पूर्णतः संशोधित; परिमार्जित एवं परिवर्धित कम्प्यूटराइज्ड नोट्स)
MAINS - 3500/-
MAINS + PRE. - 4500/-
डाक खर्च - 200/- अतिरिक्त
Send DD/MO in favour of 'Atul Lohiya'

'अतुल लोहिया'
शिक्षक; मार्गदर्शक और मित्र भी

"PRABHA"
AN INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION
105, VIRAT BHAWAN (MTNL BLDG.), NEAR BATRA CINEMA, MUKHERJEE NAGAR, DELHI-110009
Phone : 27653498, 27655134, 32544250. Cell.: 9810651005, 9313650694
नोटः हमने अपना इलाहाबाद संस्थान बंद कर दिया है अब केवल दिल्ली में ही कक्षाएं उपलब्ध हैं।

YH-9/09/6

शिक्षा का अधिकार अधिनियम

संसद में 4 अगस्त, 2009 को बच्चों का नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हो गया है। इसके साथ ही देश के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त हो गया है। यह ऐतिहासिक विधान 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के केंद्र और राज्य सरकारों के दायित्व को रेखांकित करता है। आइए, इस अधिनियम के बुनियादी प्रावधानों पर नज़र डालें:

● इस अधिनियम में क्या है?

अधिनियम में इस बात का प्रावधान किया गया है कि 6 से 4 वर्ष तक के बच्चे को अपने पड़ोस के विद्यालय में आठवीं कक्षा तक बुनियादी शिक्षा नि:शुल्क और अनिवार्य रूप से पाने का अधिकार है। यदि कोई बच्चा 6 वर्ष की आयु पर किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाता है तो वह बाद में अपनी उम्र के अनुरूप कक्षा में प्रवेश ले सकता है। उसे अपनी कक्षा के स्तर पर आने के लिए नि:शुल्क प्रशिक्षण पाने का भी अधिकार होगा। किसी भी बच्चे को प्रवेश से इंकार नहीं किया जाएगा और जब तक उसकी बुनियादी शिक्षा पूरी नहीं हो जाती, उसे न तो विद्यालय से निकाला जाएगा और न ही उसे रोका जाएगा। यदि वह निर्धारित 14 वर्ष की आयु तक बुनियादी शिक्षा पूरी नहीं कर पाता, तो उसके बाद भी पढ़ाई पूरी होने तक, उसे नि:शुल्क शिक्षा दी जाती रहेगी।

● अधिनियम के अंतर्गत केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारों, विद्यालयों और अभिभावकों का क्या दायित्व है?

केंद्र सरकार राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का एक ढांचा तैयार करेगी, शिक्षकों के प्रशिक्षण के मानदंड लागू करेगी और नवाचार, अनुसंधान, नियोजन और क्षमता विकास को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकारों को आवश्यक तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध कराएगी।

राज्य और स्थानीय सरकारें 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे का प्रवेश, उपस्थिति और बुनियादी शिक्षा का पूर्ण होना सुनिश्चित करेगी; पड़ोस में विद्यालय की सुविधा सुनिश्चित करेगी; यह सुनिश्चित करेगी कि कमज़ोर और वंचित वर्गों के बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, विद्यालय भवन, शिक्षक और शिक्षण सामग्री सहित आधारभूत संरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी; बच्चों को उम्दा किस्म की शिक्षा और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करने के अलावा विद्यालयों के कामकाज़ की निगरानी भी सुनिश्चित करेगी।

सरकारी विद्यालय तो नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे ही, निजी और विशेष श्रेणी वाले विद्यालयों को भी आर्थिक रूप से निर्बल समुदायों के बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25 प्रतिशत स्थान आरक्षित करना होगा। कोई भी विद्यालय न तो कोई अनिवार्य दान/चंदा ले सकेगा और न ही अभिभावक/बच्चे के चयन के लिए कोई प्रणाली अपना सकेगा। प्रवेश देने के लिए अनिवार्य रूप से चंदा/दान लेने की स्थिति में उससे दस गुना अर्थ दंड देना पड़ सकता है और चयन प्रणाली अपनाने के लिए पहली बार ऐसा करने पर 25 हज़ार रुपये और उसके बाद अपनाई गई हर प्रक्रिया पर 50 हज़ार रुपये का दंड देना होगा। अधिकृत प्राधिकार से मान्यता का प्रमाणपत्र हासिल किए बिना कोई भी विद्यालय खोला नहीं जा सकता। विद्यालयों को अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मानकों और मानदंडों को पूरा करना होगा।

प्रत्येक अभिभावक का यह दायित्व होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चे को विद्यालय में पढ़ने के लिए भर्ती कराए।

● विद्यालयों के कामकाज़ की निगरानी कैसे की जाएगी?

यह कार्यशाला प्रबंधन समितियों के माध्यम से किया जाएगा। इन समितियों में स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधि, शिक्षक और बच्चों के अभिभावक अथवा पालक (न्यूनतम तीन चौथाई) शामिल होंगे। समिति में निर्बल और वंचित वर्गों के अभिभावकों को समानुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। शाला प्रबंधन समिति, विद्यालय के कामकाज़ पर नज़र रखेगी, शाला विकास योजना तैयार कर उसकी संस्तुति करेगी, प्राप्त अनुदान के उपयोग की निगरानी करेगी और निर्धारित किए जाने वाले अन्य कार्य करेगी।

● विद्यालयों में शिक्षण का स्तर सुधारने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं?

शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित एक शिक्षा प्राधिकरण करेगा। सेवारत वर्तमान शिक्षकों को यदि वे पहले से ही इस योग्यता से संपन्न नहीं हैं, पांच वर्षों के भीतर यह योग्यता हासिल करनी होगी। शिक्षकों को दिया जाने वाला वेतन और भत्ता तथा सेवा शर्तें भी निर्धारित होंगी। शिक्षक को विद्यालय नियमित रूप से आना होगा, निर्धारित समय सीमा में पाठ्यक्रम पढ़ाना और पूरा करना होगा, प्रत्येक बच्चे की पठन योग्यता का आकलन करना होगा और तदनुसार आवश्यकता होने पर वे अतिरिक्त शिक्षा के लिए निर्देश देंगे, बच्चों की प्रगति से अभिभावकों और पालकों को अवगत कराएंगे और अन्य कार्य भी करेंगे। दोषी शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अधिनियम में शिक्षक और छात्रों के बीच आदर्श अनुपात का भी उल्लेख किया गया है। नियुक्ति करने वाले अधिकारियों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि विद्यालय में शिक्षकों की रिक्तियां स्वीकृत पदों से 10 प्रतिशत

से अधिक नहीं रहें। इसके अतिरिक्त, शिक्षकों को जनगणना, आपदा राहत अथवा चुनाव के अलावा अन्य किसी गैर-शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। किसी भी शिक्षक को निजी तौर पर ट्यूशन देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अधिनियम में विद्यालय की अधोसंरचना में सुधार के लिए समय सीमा का प्रावधान किया गया है।

● बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम और मूल्यांकन पद्धति का निर्धारण कौन करेगा?

सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट शिक्षा प्राधिकार (परिषद) संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप इसका निर्धारण करेगा और बच्चे के बहुमुखी विकास, उसके ज्ञान, क्षमता और प्रतिभा के उन्नयन, पूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास पर ध्यान देने के साथ-साथ उसे भय, कष्ट और चिंता से मुक्त कराने का भी काम करेगा।

किसी भी बच्चे को बुनियादी शिक्षा पूर्ण होने से पूर्व बोर्ड की कोई भी परीक्षा नहीं देनी होगी। बुनियादी शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बच्चे को प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

● अधिनियम के अंतर्गत शिकायतों का निवारण कैसे होगा?

बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय/राज्य बाल संरक्षण आयोग, अपने निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त इस अधिनियम (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) के तहत प्रदत्त अधिकारों का परीक्षण और देखभाल की समीक्षा करेंगे और उन पर प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफ़ारिश करेंगे। साथ ही, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बच्चे के अधिकार के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच भी करेंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चे के शिक्षा के अधिकार से संबंधित कोई भी शिकायत लिखित रूप में संबंधित क्षेत्राधिकार वाले स्थानीय निकाय से की जा सकती है। स्थानीय निकाय (प्रशासन) संबंधित पक्षों को सुनवाई के लिए यथोचित अवसर प्रदान कर यथाशीघ्र मामले का निपटारा करेगा। स्थानीय निकाय के निर्णय से क्षुब्ध कोई भी व्यक्ति बालाधिकार संरक्षण के लिए राज्य आयोग में अपील कर सकता है।

● राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का क्या कार्य होगा?

प्रस्तावित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन केंद्र सरकार करेगी और इसमें बुनियादी शिक्षा तथा बाल विकास के क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव और ज्ञान वाले लोगों को रखा जाएगा। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का काम इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के बारे में केंद्र सरकार को परामर्श देना होगा। ❑

विभिन्न राज्यों में साक्षरता प्रतिशत

क्र. स.	राज्य	महिला	पुरुष	कुल
	उच्च साक्षरता दर 80 प्रतिशत से अधिक			
1.	केरल	87.72	94.24	90.86
2.	मिज़ोरम	86.75	90.72	88.80
3.	लक्षयद्वीप	80.47	92.53	86.66
4.	गोवा	75.37	88.42	82.01
5.	चंडीगढ़	76.47	86.14	81.94
6.	दिल्ली	74.71	87.33	81.67
7.	अंडमान-निकोबार	75.24	86.33	81.30
8.	पुडुचेरी	73.90	88.62	81.24
	राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक एवं 80 प्रतिशत से कम			
9.	दमन एवं दीव	65.61	86.76	78.18
10.	महाराष्ट्र	67.03	85.97	76.88
11.	हिमाचल प्रदेश	67.42	85.35	76.48
12.	तमिलनाडु	64.43	82.42	73.45
13.	त्रिपुरा	64.91	81.02	73.19
14.	उत्तरांचल	59.63	83.28	71.62
15.	मणिपुर	60.30	80.33	70.53
16.	पंजाब	63.36	75.23	69.65
17.	गुजरात	57.80	79.66	69.14
18.	सिक्किम	60.40	76.04	68.81
19.	प. बंगाल	59.61	77.02	68.64
20.	हरियाणा	57.30	78.49	67.91
21.	कर्नाटक	56.87	76.10	66.64
22.	नगालैंड	61.46	71.16	66.59
	राष्ट्रीय साक्षरता दर 65 प्रतिशत से कम			
23.	छत्तीसगढ़	51.85	77.38	66.66
24.	असम	54.61	71.28	63.25
25.	मध्य प्रदेश	50.29	76.06	63.74
26.	उड़ीसा	50.51	75.35	63.08
27.	मेघालय	59.61	65.43	62.56
28.	आंध्र प्रदेश	50.43	70.32	60.47
29.	राजस्थान	43.85	75.70	60.41
30.	दादर नगर हवेली	40.23	71.18	57.63
31.	उत्तर प्रदेश	42.22	68.82	53.27
32.	आंध्र प्रदेश	43.53	63.83	54.34
33.	जम्मू एवं कश्मीर	43.00	66.60	55.52
34.	झारखंड	38.87	67.30	53.56
35.	बिहार	33.12	59.68	47.00

स्रोत : राष्ट्रीय जनगणना अभिलेख, 2001

शिक्षा अधिकार अधिनियम की समीक्षा

● सुनील

देश में समान स्कूल प्रणाली लाए बगैर शिक्षा में असमानता के दुष्चक्र को नहीं तोड़ा जा सकता। शिक्षा में समानता और शिक्षा के सर्वव्यापीकरण का गहरा संबंध है

भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में सरकार को यह निर्देश दिया गया था कि वह 14 वर्ष तक के सारे बच्चों के लिए मुफ़्त शिक्षा देने की व्यवस्था 26 जनवरी, 1960 तक करेगी। लेकिन लगभग 50 वर्ष बीतने के बाद भी यह काम नहीं हो पाया है, लिहाज़ा इसके कारणों को खोजना होगा। क्या प्रस्तावित विधेयक उन कारणों को दूर करता है? यही इस विधेयक को जांचने की मुख्य कसौटी होनी चाहिए।

इच्छाशक्ति की कमी

विभिन्न सरकारों की ओर से अपने दायित्व-निर्वाह में हुई इस चूक के लिए दलीलें दी जाती रही हैं कि भारत एक ग़रीब देश है और सरकार के पास संसाधनों की कमी रही है। किंतु इस दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता। वे ही सरकारें फौज, हथियारों, हवाईअड्डों, हवाई जहाज़ों, फ्लाई-ओवरों और खेलों पर मोटी रकम ख़र्च करती रही हैं। दरअसल, सवाल प्राथमिकता और राजनीतिक इच्छाशक्ति का है। देश के सारे बच्चों को शिक्षित करने का काम कभी भी निजी स्कूलों के भरासे नहीं हो सकता। कारण साफ़ है। देश की बहुसंख्यक जनता निजी स्कूलों की फ़ीस का बोझ नहीं उठा सकती। अत: सरकार को ही इसकी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी और सरकारी शिक्षा व्यवस्था को ही व्यापक, सुदृढ़ व सक्षम बनाना होगा। लेकिन पिछले लगभग दो दशकों से शिक्षा के निजीकरण एवं व्यवसायीकरण को खासा प्रोत्साहन मिल रहा है; इसके बाद भी 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षित करने का हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है। यों तो पिछले कुछ वर्षों में देश में स्कूलों की संख्या बढ़ी है। छोटे-छोटे गांवों एवं क़स्बों में भी स्कूल खुल गए हैं यह दावा भी किया जा रहा है कि स्कूल जाने लायक उम्र के बच्चों में 90 से 95 प्रतिशत के नाम स्कूलों में दर्ज़ हो गए हैं, किंतु फिर जिन बच्चों के नाम पहली कक्षा में लिखे जा चुके हैं, उनमें भी कई बीच में स्कूल छोड़ जाते हैं और आधी संख्या भी कक्षा 8 में नहीं पहुंच पाती है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। इस वर्ष मध्य प्रदेश में कक्षा 10वीं में केवल 35 प्रतिशत बच्चों का पास होना मौजूदा शिक्षा-व्यवस्था की दुर्गति का सूचक है।

सरकारी शिक्षा की बदहाली

पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में जो कदम उठाए गए हैं उससे भी सरकारी शिक्षा की हालत बिगड़ी है। कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं :

- स्थायी, प्रशिक्षित शिक्षकों का कैडर समाप्त करके उनके स्थान पर पैरा-शिक्षकों (शिक्षाकर्मी, संविदा शिक्षक, अतिथि शिक्षक, शिक्षा सेवक, शिक्षा मित्र आदि) की नियुक्ति। पैरा-शिक्षक अप्रशिक्षित व अस्थायी होते हैं और उन्हें बहुत कम वेतन दिया जाता है।
- कई प्राथमिक शालाओं में दो या तीन शिक्षक ही नियुक्त करना, यह मान कर कि एक शिक्षक एक समय में दो या तीन कक्षाओं को एक-साथ पढ़ा सकता है।
- माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शालाओं में प्रत्येक विषय के लिए शिक्षक का न होना। शिक्षकों के पद खाली रखना। प्रतिवर्ष पैरा-शिक्षकों की नियुक्ति के चक्कर में भी कई पद खाली रहते हैं।
- शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कामों में लगाना तथा ऐसे कामों को बढ़ाते जाना।
- विद्यालयों के निरीक्षण की व्यवस्था को कमज़ोर या समाप्त करना।
- विद्यालयों में पर्याप्त भवन एवं अन्य जरूरी सुविधा न होना।

शिक्षा का बंटवारा और दुष्चक्र

सरकारी स्कूलों की हालत बिगड़ने का एक और कारण यह रहा है कि जैसे-जैसे निजी स्कूल खुलते गए, बड़े लोगों, पैसे वालों और प्रभावशाली परिवारों के बच्चे उनमें जाने लगे। सरकारी स्कूलों में सिर्फ़ ग़रीब बच्चे रह गए। इससे उनकी तरफ समाज व सरकार का ध्यान भी कम हो गया। यह एक तरह का दुष्चक्र है, जिसमें सरकारी शिक्षा व्यवस्था गहरे फंसती जा रही है। देश में समान स्कूल प्रणाली लाए बगैर इस दुष्चक्र को नहीं तोड़ा जा सकता।

शिक्षा में समानता और शिक्षा के सर्वव्यापीकरण का गहरा संबंध है।

अफ़सोस की बात है कि पिछले दिनों कानून की शक्ल अख्तियार कर चुके 'बच्चों के लिए मुफ़्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम' में इस दुष्चक्र को तोड़ने, सरकारी शिक्षा की दुर्गति को बांधने तथा शिक्षा के निजीकरण एवं बाज़ारीकरण को रोकने के पर्याप्त उपाय मौजूद नहीं हैं। वैसे सरसरी तौर पर यह क़ानून प्रगतिशील और महत्वाकांक्षी दिखाई देता है। किंतु यदि लक्ष्य देश के सारे बच्चों को शिक्षित करने का है, तो यह अधिनियम अपर्याप्त है। यही नहीं, यह भारत में शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते हुए भेदभाव, ग़ैर-बराबरी और शिक्षा के बाज़ारीकरण व मुनाफ़ाखोरी को प्रोत्साहित करता है, जबकि ज़रूरत उन पर तत्काल रोक लगाने की है।

शिक्षा का बढ़ता हुआ बाज़ार वास्तव में बहुसंख्यक बच्चों को अच्छी शिक्षा से वंचित करने का काम करता है, क्योंकि वे इस बाज़ार की क़ीमतों को चुकाने में समर्थ नहीं होते। उनके लिए तो 'मुफ़्त' सरकारी शिक्षा ही एक विकल्प रह जाती है। दरअसल, बाज़ार और अधिकार दोनों एक साथ नहीं चल सकते। यह अचरज़ की बात है कि शिक्षा के बाज़ारीकरण एवं व्यवसायीकरण पर रोक नहीं लगाने वाले इस कानून को 'शिक्षा अधिकार अधिनियम' का नाम कैसे दिया गया है?

अधिनियम की प्रमुख कमियां

इस कानून में निम्न बातें विशेष रूप से गौर करने लायक हैं:

स्कूलों में भेद

अधिनियम के प्रारंभ में ही परिभाषाओं की धारा 2(एन) में (स्कूल की परिभाषा में) मान लिया गया है कि चार तरह के स्कूल होंगे- (1) सरकारी स्कूल, (2) अनुदान प्राप्त निजी स्कूल, (3) विशेष श्रेणी के स्कूल (केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय आदि) और (4) अनुदान न पाने वाले निजी स्कूल। अधिनियम के कई प्रावधान श्रेणी (2), (3) या (4) पर लागू नहीं होते हैं। शिक्षा के भेदभाव को इस तरह से मान्य एवं पुष्ट किया गया है।

सीटों का बंटवारा

धारा 8(ए) और धारा 12 से स्पष्ट है कि मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा सिर्फ़ सरकारी स्कूलों में ही मिल सकेगी। श्रेणी (2), (3) एवं (4) के स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें कमज़ोर तबके के बच्चों को मिलेंगी, जिसके लिए सरकार श्रेणी 4 के स्कूलों को ख़र्च का भुगतान करेगी। सवाल है कि ऐसा क्यों? कुछ बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ने का मौका मिले, कुछ को विशेष श्रेणी के स्कूलों में और कुछ को प्राय: उपेक्षित सरकारी स्कूलों में? क्या इससे सारे बच्चों को सही व उम्दा शिक्षा मिल सकेगी? वर्तमान में देश में स्कूल जाने वाली उम्र के 19 करोड़ बच्चे हैं। उनमें से 4 करोड़ बच्चे मान्यताप्राप्त निजी स्कूलों में जाते हैं। यदि उनमें 25 प्रतिशत या 1 करोड़ अतिरिक्त ग़रीब बच्चों की भर्ती भी हो गई तो बाकी 14 करोड़ बच्चों की शिक्षा का क्या होगा?

फ़ीस पर कोई नियंत्रण नहीं

धारा 13 में कैपिटेशन फीस और बच्चों की छंटाई का निषेध किया गया है। धारा 2(बी) की परिभाषा के मुताबिक कैपिटेशन फ़ीस वह भुगतान है, जो स्कूल द्वारा अधिसूचित फ़ीस के अतिरिक्त हो। इसका मतलब है कि अधिसूचित करके चाहे जितनी फ़ीस लेने का अधिकार निजी स्कूलों को होगा तथा उस पर कोई रोक या नियंत्रण इस कानून में नहीं है। निजी स्कूलों की मनमानी एवं लूट बढ़ती जाएगी। बिना रसीद के या अन्य छुपे तरीक़ों से कैपिटेशन फ़ीस लेना भी ज़ारी रहेगा, जिसको साबित करना मुश्किल होगा। इसके लिए सज़ा भी बहुत कम (कैपिटेशन फ़ीस का 10 गुना जुर्माना) रखी गई है।

पैरा-शिक्षक की व्यवस्था ज़ारी रहेगी

इस अधिनियम में शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता और वेतन-भत्ते तय करने की बात तो है (धारा 23), किंतु वह कितना होगा, यह सरकार पर छोड़ दिया गया है। इस बात की आशंका है कि पैरा-शिक्षकों के मौजूदा कम वेतन को ही निर्धारित किया जा सकता है। शिक्षकों का स्थायी कैडर बनाने को भी अनिवार्य नहीं किया गया है। ठेके पर या दैनिक मज़दूरी पर भी शिक्षक लगाए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, अधिनियम में पैरा-शिक्षक वाली समस्या का उपाय नहीं किया गया है और उसे ज़ारी रखने की गुंजाइश छोड़ी गई है।

अपर्याप्त मानदंड

धारा 8 एवं 9 में अनिवार्य शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि सरकार गांव-मुहल्ले में स्कूल खोलेगी जिसमें अनुसूची में दिए गए मानदंडों के मुताबिक शिक्षक-छात्र अनुपात तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करना ज़रूरी बनाया गया है। तभी स्कूलों को मान्यता मिलेगी। किंतु इस अनुसूची में शिक्षकों और भवन के जो मानदंड दिए गए हैं, वे काफी कम एवं अपर्याप्त है। प्राथमिक विद्यालयों में 200 बच्चों तक 30 बच्चों पर एक शिक्षक तथा 200 से ऊपर होने पर 40 बच्चों पर एक शिक्षक का अनुपात रखा गया है। प्रधानाध्यापक तभी ज़रूरी होगा, जब 150 से ऊपर बच्चे हों। इसका मतलब है कि बहुत सारी छोटी प्राथमिक शालाओं में दो या तीन शिक्षक ही होंगे। वे पांच कक्षाओं को कैसे पढ़ाएंगे? विद्यालय भवन के मामले में भी प्रति शिक्षक एक कमरे का मानदंड रखा गया है।

देश के सारे बच्चों को शिक्षा देने के लिए जरूरी है कि छोटे-छोटे गांवों और ढ़ानों में भी स्कूल खोले जाएं और वहां कम-से-कम एक कक्षा के लिए एक शिक्षक हो। इन मानदंडों में देश में 37 फीसदी प्राथमिक शालाएं दो शिक्षक-दो कमरे वाली, 17 फ़ीसदी तीन शिक्षक-तीन कमरे वाली और 12 फ़ीसदी शालाएं चार शिक्षक-चार कमरे वाली रह जाएंगी। एक शिक्षक एक साथ दो या तीन कक्षाएं पढ़ाता रहेगा। यह शिक्षा के नाम पर देश के ग़रीब बच्चों के साथ मज़ाक होगा। चाहे अधिक शिक्षक देने पड़ें, चाहे बहुत छोटे गांवों में कक्षा 3 तक ही स्कूल रखा जाए, यह जरूरी है कि कम-से-कम एक कक्षा पर एक शिक्षक हो। क्या देश के ग़रीब बच्चों को इतना भी हक़ नहीं है कि उनकी एक कक्षा पर भी एक शिक्षक और एक कमरा उनको मिले?

शिक्षकों के गैर-शिक्षण काम

धारा 27 में शिक्षकों को गैर-शिक्षण कामों में न लगाने की बात करते हुए भी जनगणना, आपदा राहत और सभी प्रकार के चुनावों में उनको लगाने की छूट दे दी गई है। चूंकि सिर्फ़ सरकारी शिक्षकों को ही इन कामों में लगाया जाता है, इससे सरकारी बच्चों की शिक्षा ही प्रभावित होती है। यह ग़रीब बच्चों के साथ एक और भेदभाव व अन्याय है।

कक्षा 8 के बाद क्या?

क़ानून की धारा 2(सी), 2(एफ) और 3(1) के मुताबिक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक की मुफ़्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है। सवाल यह है कि कक्षा 8 के बाद क्या होगा? कक्षा 12 तक का

अधिकार क्यों नहीं दिया गया है? आज कक्षा 12 की शिक्षा पूरी किए बगैर किसी भी प्रकार का रोज़गार या उच्च शिक्षा हासिल नहीं की जा सकती है। इसी तरह पूर्व प्राथमिक शिक्षा को भी अधिकार के दायरे से बाहर कर दिया गया है। धारा 11 में इसे सरकारों की इच्छा व क्षमता पर छोड़ दिया गया है।

फेल नहीं, किंतु पढ़ाई का क्या?

कानून की धारा 16 में प्रावधान है कि किसी बच्चे को किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा और स्कूल से निकाला नहीं जाएगा। धारा 30(1) में कहा गया है कि कक्षा 8 से पहले कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। इसके पीछे सिद्धांत तो अच्छा है कि कमज़ोर बच्चों को नालायक घोषित करके तिरस्कृत करने के बजाय स्कूल उन पर विशेष ध्यान दे तथा उनकी प्रगति की ज़िम्मेदारी ले। बच्चों को अपनी-अपनी गति से पढ़ाई करने का मौक़ा दिया जाए। किंतु इस सिद्धांत को लागू करने के लिए यह ज़रूरी है कि सरकारी स्कूलों की बदहाली को दूर किया जाए, वहां बच्चों पर ध्यान देने के लिए पर्याप्त शिक्षक हों तथा पढ़ाई ठीक से हो। नहीं तो इस प्रावधान के चलते सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की हालत और बिगड़ती चली जाएगी। इस सिद्धांत को लागू करने के लिए यह भी जरूरी है कि उच्च शिक्षा और रोज़गार के लिए गलाकाट प्रतिस्पर्धा का माहौल बदला जाए।

अंग्रेज़ी माध्यम की गुंजाइश

धारा 28 में शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने पर पाबंदी लगाकर अच्छा काम किया गया है। लेकिन इसे कैसे रोका जाएगा, कौन कार्यवाही करेगा और क्या सज़ा होगी, इसका कोई जिक्र नहीं है। ट्यूशन की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए शिक्षकों को पर्याप्त वेतन दिया जाना तथा उनका शोषण रोकना ज़रूरी है। देश में तेज़ी से बढ़ते कोचिंग उद्योग को रोकने के उपाय भी विधेयक में नहीं हैं।

निजी स्कूलों की निरंकुशता

अनुदान न लेने वाले निजी स्कूलों को 'स्कूल प्रबंधन समिति' के प्रावधान (धारा 21 एवं 22) से बाहर रखा गया है। उनके प्रबंधन में अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों, स्थानीय प्रशासन, कमज़ोर तबकों आदि का कोई दखल या प्रतिनिधित्व नहीं होगा। इससे निजी स्कूलों को मनमानी की पूरी गुंजाइश बनी रहेगी।

शिक्षा का मुक्त बाज़ार

इस क़ानून से देश के साधारण बच्चों को उम्दा, साधनसंपन्न, संपूर्ण शिक्षा मिलने की कोई उम्मीद नहीं बनती दीख रही है। सरकारी शिक्षा व्यवस्था का सुधार इससे नहीं होगा। देश में शिक्षा के बढ़ते निजीकरण, व्यवसायीकरण और बाज़ारीकरण पर रोक भी नहीं लगेगी। नतीजतन शिक्षा में भेदभाव की जड़ें और मज़बूत होंगी। यदि हम पिछले दो दशकों में शिक्षा के बढ़ते बाज़ार और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री की घोषणाओं को एक साथ रखकर देखें (शिक्षा में निजी भागीदारी एवं पूंजी निवेश को बढ़ावा देना, निजी-सरकारी सहयोग, विदेशी शिक्षण संस्थाओं को प्रवेश देना, कॉलेज में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा लेना आदि) तो मामला साफ़ हो जाता है। सरकार शिक्षा कानून के पीछे देश में शिक्षा का मुक्त बाज़ार बनाना चाहती है।

विकल्प क्या हो?

यदि वास्तव में देश के सारे बच्चों को अच्छी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, तो सरकार को ऐसे क़ानून और ऐसी नीतियां बनानी चाहिए, जिसमें निम्न बातें सुनिश्चित हों :

- देश में समान स्कूल प्रणाली लागू हो, जिसमें एक जगह के सारे बच्चे अनिवार्य रूप से एक ही स्कूल में पढ़ेंगे।
- शिक्षा के व्यवसायीकरण और शिक्षा में मुनाफ़ाखोरी पर प्रतिबंध हो। जो निजी स्कूल फ़ीस नहीं लेते हैं, परोपकार (न कि मुनाफ़े) के उद्देश्य से संचालित होते हैं, और समान स्कूल प्रणाली का हिस्सा बनने को तैयार हैं, उन्हें इज़ाज़त दी जा सकती है।
- देश में विदेशी शिक्षण संस्थाओं के प्रवेश पर रोक लगे। हम विदेशों से ज्ञान, शोध, शिक्षण पद्धतियों और शिक्षकों-विद्यार्थियों का आदान-प्रदान एवं परस्पर सहयोग कर सकते हैं, किंतु अपनी ज़मीन पर खड़े होकर।
- शिक्षा में समस्त प्रकार के भेदभाव और ग़ैरबराबरी समाप्त की जाए।
- पूर्व-प्राथमिक से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा का पूरा ख़र्च सरकार उठाए। स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक, भवन, शौचालय, पेयजल, खेल मैदान, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शिक्षण सामग्री, खेल सामग्री, उपकरण, छात्रावास, छात्रवृत्तियों आदि की पूरी व्यवस्था के लिए सरकार ज़रूरी संसाधन उपलब्ध कराए।
- शिक्षकों को स्थायी नौकरी, पर्याप्त वेतन और प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए। शिक्षकों से ग़ैर-शिक्षकीय काम लेना बंद किया जाए। मध्याह्न भोजन की ज़िम्मेदारी शिक्षकों को न देकर दूसरों को दी जाए। कर्तव्य निर्वाह न करने वाले शिक्षकों पर कार्यवाही की जाए।
- शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में अंग्रेज़ी का वर्चस्व ख़त्म किया जाए।
- स्कूलों का प्रबंध स्थानीय स्वशासन संस्थाओं द्वारा और जनभागीदारी से किया जाए।
- गलाकाट प्रतिस्पर्धा का माहौल समाप्त किया जाए। निजी कोचिंग संस्थाओं पर पाबंदी हो। प्रतिस्पर्धाओं के द्वारा विद्यार्थियों को छांटने के बजाय विभिन्न प्रकार की उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण एवं रोज़गार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाएं।
- शिक्षा को मानवीय, आनंददायक, संपूर्ण, सर्वांगीण, बहुमुखी, समानतापूर्ण एवं संवेदनशील बनाने के लिए शिक्षण पद्धति और पाठ्यचर्या में आवश्यक बदलाव किए जाएं। बस्ते का बोझ कम किया जाए। किताबी एवं तोतारटंत शिक्षा को बदलकर उसे ज्यादा व्यावहारिक, श्रम एवं कौशल प्रधान, जीवन से जुड़ा बनाया जाए। बच्चों के भीतर जिज्ञासा, तर्कशक्ति, विश्लेषण शक्ति और ज्ञानपिपासा जगाने का काम शिक्षा करे। बच्चों के अंदर छुपी विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं व क्षमताओं को पहचानकर उनके विकास का काम शिक्षा का हो। शिक्षा की जड़ें स्थानीय समाज, संस्कृति, देशज परंपराओं और स्थानीय परिस्थितियों में हो। शिक्षा को हानिकारक विदेशी प्रभावों एवं सांप्रदायिक आग्रहों से मुक्त किया जाए। संविधान के लक्ष्यों के मुताबिक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक भारत के प्रबुद्ध एवं जागरूक नागरिक तथा एक अच्छे इंसान का निर्माण का काम शिक्षा के माध्यम से हो। ❑

(**लेखक** समाजवादी जनपरिषद
नामक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं)

अनिवार्य शिक्षा कानून और अग्रणी प्राथमिक शिक्षा योजनाएं

छियासिवें संविधान अधिनियम, 2002 ने संविधान के भाग-3 में एक नया अनुच्छेद 21-क समाविष्ट किया जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना बुनियादी अधिकार बना दिया गया है। तथापि, 86वें संविधान संशोधन को प्रभावी बनाने हेतु एक उपयुक्त अनुवर्ती विधान की आवश्यकता लगातार महसूस की जा रही थी। संसद द्वारा बीते महीने पारित बच्चों का नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून, 2009 इसी ज़रूरत के मद्देनज़र लाई गई थी।

अनिवार्य और नि:शुल्क शिक्षा कानून, 2009

शिक्षा के मौलिक अधिकार को व्यावहारिक शक्ल देने के लिए छह से चौदह साल तक के बच्चों को अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा अधिनियम को संसद ने पारित कर दिया है। राष्ट्रपति का अनुमोदन भी इसे प्राप्त हो चुका है।

इस कानून में कई क्रांतिकारी उपाय किए गए हैं जिनमें निजी स्कूलों में ग़रीबों और वंचितों के बच्चों के लिए 25 फीसदी सीटों का आरक्षण और बच्चों को हर साल की परीक्षाओं से मुक्ति शामिल है। मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने स्वीकार किया कि यह लक्ष्य पाना आसान नहीं है और कानून बनते ही सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया कि इसे अंजाम तक ले जाने के लिए केंद्र अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएगा जिसमें धन की कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जो राज्य इस मामले में अपने हिस्से का ख़र्च उठाने की स्थिति में नहीं होंगे उनका मामला वित्त आयोग के सामने रखा जाएगा और उन्हें अतिरिक्त धन मुहैया कराया जाएगा।

अधिनियम में हर तरह की विकलांगता से प्रभावित बच्चों की शिक्षा का प्रावधान भी किया गया है। उन्होंने कहा कि जो बच्चे सामान्य स्कूलों में शिक्षा ले सकते हैं उन्हें वहां मौका मिलेगा जबकि विशेष स्कूलों की आवश्यकता होने पर ऐसे बच्चों के लिए वहां भी व्यवस्था की जाएगी।

कुछ दूसरी महत्वपूर्ण प्राथमिक शिक्षा योजनाओं में हुई प्रगति

- **सर्व शिक्षा अभियान :** सर्व शिक्षा अभियान को राज्य सरकारों की भागीदारी से 6-14 वर्ष के आयु के बच्चों की आवश्यकताओं पर ध्यान देने हेतु कार्यान्वित किया गया है। दिसंबर 2008 तक एसएसए की उपलब्धियों में 2,76,903 नये विद्यालय खोलना, 2,25,383 विद्यालय भवनों का निर्माण, 9,18,981 अतिरिक्त कक्षा के कमरों का निर्माण, 1,82,019 पेयजल सुविधाएं, 2,51,023 शौचालयों का निर्माण, 8.40 करोड़ बच्चों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति, 9.66 लाख अध्यापकों की नियुक्ति और 23.82 लाख अध्यापकों को सेवाकाल में प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है। सर्व शिक्षा अभियान के हस्तक्षेप के कारण विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट आई है।
- **प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम :** इसे उन शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी) में कार्यान्वित किया गया है जहां ग्रामीण महिला साक्षरता का स्तर राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा कम है और पुरुष-महिला अनुपात अंतर राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा अधिक है। साथ ही उन ब्लॉकों में भी लागू किया गया है जहां न्यूनतम 5 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति/ जनजाति की है तथा इन महिलाओं की साक्षरता दर 10 प्रतिशत से भी कम है। इसे चुनिंदा शहरी मलिन बस्तियों में भी कार्यान्वित किया गया है। 25 राज्यों में स्कीम के अंतर्गत शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े लगभग 3,286 ब्लॉकों को शामिल किया गया है। एनपीईजीईएल के अंतर्गत 11,261 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा केंद्रों (ईसीसीई) को सहायता देने के अतिरिक्त, 39,852 मॉडल विद्यालय भी खोले गए हैं। इसके अतिरिक्त 27,282 अतिरिक्त कक्षाओं के लिए कमरों का निर्माण किया गया है। 2,11,215 अध्यापकों को महिला और पुरुष में भेदभाव न करने के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है। 89,462 बालिकाओं को शामिल करते हुए 'ब्रिज' पाठ्यक्रम प्रशिक्षण के अतिरिक्त 11,44,370 बालिकाओं को उपचारात्मक शिक्षा भी प्रदान की गई तथा लगभग 1,60,73,048 बालिकाओं को (31 जनवरी, 2009 तक) वर्दी आदि जैसे अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिए गए हैं।

- **विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम :** इस कार्यक्रम में प्राथमिक अवस्था में बालकों को 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन का मध्याह्न भोजन मुहैया कराया जाता है। प्राथमिक अवस्था से ऊपर के बालकों के लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन का पोषाहार मूल्य निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में लौह, फोलिक एसिड और विटामिन-ए जैसे सूक्ष्म पोषाहार की यथेष्ट मात्रा की भी सिफ़ारिश की गई है। 1 अप्रैल, 2008 से इसमें संपूर्ण देश के सभी क्षेत्रों के शिक्षा गारंटी योजना/वैकल्पिक एवं नवप्रवर्तक शिक्षा केंद्रों तथा सरकारी, स्थानीय निकायों और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालयों से ऊपर की कक्षाओं में अध्ययन करने वाले सभी बच्चों को शामिल किया गया है। 2008-09 के दौरान 11.74 करोड़ बच्चों को (8.24 करोड़ बच्चे प्राथमिक अवस्था अर्थात कक्षा-1 से 5 और 3.50 करोड़ बच्चे प्राथमिक अवस्था से ऊपर अर्थात कक्षा 6-8 को इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया गया। इस योजना के लिए 2009-10 के अंतरिम बजट में 8,000 करोड़ रुपये का परिव्यय मुहैया कराया गया जो 2008-09 में किए गए आवंटन के समान स्तर पर था।
- **कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) :** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित बालिकाओं के लिए ऊपरी प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए जुलाई 2004 में यह योजना आरंभ की गई थी। अप्रैल 2007 को सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के साथ केजीबीवी योजना का विलय कर दिया गया। भारत सरकार द्वारा 31 मार्च, 2009 तक 2,573 केजीबीवी की स्वीकृति दी गई थी। 31 मार्च, 2009 को राज्यों में 2,460 केजीबीवी कार्य कर रहे हैं (अर्थात 95.61 प्रतिशत) और इनमें 2,15,269 बालिकाएं पंजीकृत हुई हैं- 53,503 अजा की बालिकाएं (24.85 प्रतिशत); 74,487 अजजा की बालिकाएं (34.60 प्रतिशत); 54,201 अन्य पिछड़े वर्ग की बालिकाएं (25.18 प्रतिशत); 18,647 ग़रीबी रेखा से नीचे की बालिकाएं (8.66 प्रतिशत) और 14.431 अल्पसंख्यक बालिकाएं (6.7 प्रतिशत) हैं।

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक और उच्च शिक्षा के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती है और 14-18 वर्ष के आयु समूह के बीच के युवा को उच्च शिक्षा और कार्य करने के लिए तैयार करती है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 1950-51 में 7,416 से बढ़कर 2006-07 में 1,68,900 हो गई है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अवस्था में कुल पंजीकरण भी तदनुरूप 1950-51 में 15 लाख से बढ़कर 2006-07 में 3.94 करोड़ हो गया है। सकल पंजीकरण अनुपात (जीईआर) जो संबद्ध आयु समूह में कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में माध्यमिक अवस्था (9वीं से 12वीं) में कुल पंजीकरण को प्रकट करता है, उसमें भी 1990-91 में 19.3 प्रतिशत से 2006-07 में 40.62 प्रतिशत की क्रमिक वृद्धि हुई है। 2006-07 में कक्षा 9-10 के लिए (14-16 वर्ष) जीईआर 52.26 था और कक्षा 11-12 (16-18 वर्ष) के लिए 28.54 था। वर्ष के दौरान माध्यमिक शिक्षा के प्रति अधिकाधिक पहुंच मुहैया कराने के लिए महत्वपूर्ण सरकारी पहल इस प्रकार थीं:

- माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और इसकी वैश्विक पहुंच के उद्देश्य से 2008-09 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान नामक एक व्यापक केंद्र प्रायोजित योजना आरंभ की गई थी।
- भारत सरकार ने प्रतिवर्ष 1,00,000 छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय साधन-सह- योग्यता छात्रवृत्ति योजना नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना आरंभ की है जिसके अंतर्गत कक्षा 9-12 में अध्ययन के लिए प्रत्येक छात्र को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष (500 रुपये प्रतिमाह) दिए जाएंगे। इस योजना के वित्त पोषण के लिए 2008-09 में भारतीय स्टेट बैंक के पास 750 करोड़ रुपये की आधारभूत निधि पहले ही सृजित हो चुकी है और आगामी तीन वर्ष में प्रत्येक वर्ष इस आधारभूत निधि में इतनी ही राशि का योगदान किया जाएगा।
- 2008-09 से नयी केंद्र प्रायोजित योजना के प्रथम चरण में देश के प्रत्येक ब्लॉक में एक उच्च गुणवत्ता मॉडल विद्यालय स्थापित किया जाएगा जो उत्कृष्ट विद्यालयों के रूप में शिक्षा प्रदान करेगा।
- भारत सरकार ने जून 2008 से माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना चलाई है। इस योजना के अनुसार एक निश्चित जमा राशि के रूप में पात्र बालिका के नाम पर 3,000 रुपये की राशि जमा की जाएगी और वह बालिका 18 वर्ष की होने पर ब्याज सहित वह राशि प्राप्त करने की हक़दार होगी। इस योजना में (i) अजा /अजजा समुदायों की सभी पात्र बालिकाएं जो 8वीं कक्षा पास हों और (ii) वे सभी बालिकाएं जिन्होंने कस्तूरबा गांधी विद्यालयों से 8वीं कक्षा पास की हो (इस भेदभाव के बिना कि वह अजा/अजाजा से संबंधित है या नहीं) और सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त तथा स्थानीय निकायों के विद्यालयों में कक्षा 9 में पंजीकरण हुआ हो।
- 2008-09 में एक नयी केंद्र प्रायोजित योजना आरंभ की गई है जिसमें लगभग 3,500 शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में बालिकाओं के लिए छात्रावास की स्थापना की जाएगी, इसमें अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के संकेंद्रन वाले जिलों में सराहनीय ग्रामीण बालकों के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना हेतु 20 नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे जिनमें अनूसचित जातियों की बहुतायत हो और शेष 10 विद्यालय अनुसूचित जनजातियों की बहुतायत वाले जिलों में खोले जाएंगे।

उच्चतर और तकनीकी शिक्षा

शैक्षिक वर्ष 2006-07 के दौरान उच्चतर शिक्षा में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार 2006-07 में उच्चतर शिक्षा के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं में सभी स्तरों पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में 1.16 करोड़ पंजीकरण हुए जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 1.13 करोड़ थी। इसमें से महिला विद्यार्थियों की संख्या 47 लाख थी जो 40.55 प्रतिशत है। हाल के वर्षों में उच्चतर शिक्षा की केंद्रीय संस्थाओं में भी महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है। उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं में

हाल में हुए विस्तार में निम्नलिखित बिंदु प्रमुख हैं :

- 15 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत एक अध्यादेश ज़ारी किया गया है जिसमें तीन राज्य विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों में परिवर्तित किया जाना शामिल है। प्रत्येक ऐसे राज्य में एक-एक विश्वविद्यालय खोला जाएगा जहां केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, सिवाय गोवा के, जिसे राज्य सरकार के अनुरोध पर शामिल नहीं किया गया है।
- 2008-09 के दौरान छह नये भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान (आईआईटी), बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात और पंजाब में स्थापित किए गए हैं। यहां कक्षाएं भी आरंभ हो चुकी हैं।
- शैक्षिक सत्र 2008-09 से मेघालय की राजधानी शिलांग में राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान (आरजीआईआईएम) नामक एक नये भारतीय प्रबंधन संस्थान ने काम शुरू कर दिया है।
- भोपाल और तिरुअनंतपुरम में दो नये भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों (आईआईएसईआर) की स्थापना की गई है। यहां शैक्षिक सत्र 2008-09 से कार्य आरंभ कर दिया है।
- मध्य प्रदेश के भोपाल में और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में दो नये आयोजन एवं शिल्पकला विद्यालयों की स्थापना की गई है। अस्थायी परिसरों में शैक्षिक सत्र 2008-09 से कक्षाएं आरंभ हो चुकी हैं।
- मध्य प्रदेश में अमरकंटक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय नामक एक नये केंद्रीय विश्वविद्यालय ने काम करना शुरू कर दिया है।
- 12वीं कक्षा के शीर्ष 2 प्रतिशत विद्यार्थियों को (कक्षा 12 के परिणामों के आधार पर लड़कों और लड़कियों के बीच समान रूप से विभाजित) शामिल करते हुए एक नयी छात्रवृत्ति योजना आरंभ की गई है जिसमें उन्हें स्नातक-पूर्व स्तर पर अध्ययन के पहले तीन वर्षों के लिए वर्ष में 10 महीने 1,000 रुपये प्रतिमाह और बाद के 2 वर्षों के लिए वर्ष में 10 महीने 2,000 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्तियां दी जाएंगी।
- 'पॉलिटेकनिक्स के प्रति समर्पण' नामक योजना आरंभ की गई है जिसमें प्रस्तावित है- (i) देशभर में राज्य सरकारों द्वारा 1,000 नये पॉलिटेकनिक्स की स्थापना करने में सहायता करना, (ii) सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 500 विद्यमान पॉलिटेकनिक्स को सहायता प्रदान करना, (iii) 500 पॉलिटेकनिक्स में महिलाओं के छात्रावास निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना और (iv) ग्रामीण समुदाय तथा गैर-संगठित क्षेत्रों को अल्पकालिक कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करके समुदाय विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1,000 पॉलिटेकनिक्स में नवीकृत समुदाय पॉलिटेकनिक योजना आरंभ करना।
- केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान की स्थापना की गई है और इसने 2008-09 के दौरान कार्य प्रचालन आरंभ कर दिया है।
- अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियों के अंतर्गत अध्येतावृत्ति की राशि में लगभग 50 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। जीएटीई योग्यता प्राप्त एमटेक अध्येतावृत्ति की राशि भी 5,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रतिमाह की गई है।
- कुछ राज्यों में न्यायालय के आदेशानुसार एआईसीटीई ने इंजीनियरिंग महाविद्यालयों और पॉलिटेकनिक्स में सांध्यकालीन कक्षाओं की अनुमति दे दी है। ❑

(*योजना* **संपादकीय टीम द्वारा संकलित**)

शैक्षिक सुधार : कुछ पहलू

भारत में शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है और इस प्रकार केंद्र तथा राज्य सरकारें इसमें शामिल होती हैं जिससे सरकारों और सांविधिक निकायों द्वारा अनेक नियंत्रण और विनियम लगाए जाते हैं। शिक्षा में वैश्विक स्तर की प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु सरकारी-निजी भागीदारी के साथ-साथ व्यावसायिक विनियमों द्वारा अफसरशाही नियंत्रणों को प्रतिस्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है। तृतीयक तथा माध्यमिक शिक्षा में प्रतिस्पर्धा भी समान रूप से अनिवार्य है। शैक्षिक संस्थाओं तथा सभी शिक्षा सेवा प्रदाताओं (निजी और सार्वजनिक) की गुणवत्ता की रेटिंग सहायक हो सकती है। शिक्षा के सभी क्षेत्रों में पंजीकृत सोसाइटियों (लाभरहित) और सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध शिक्षण कंपनियों के प्रवेश को जो ऐसे विनियामक ढांचे के अधीन हो जो गुणवत्ता और यथोचित मूल्य सुनिश्चित करे, प्रोत्साहित किया जाए। सरकार की उच्च शिक्षा की निधियों को वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने तथा सभी विषयों में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित किया जाना चाहिए। रियायती दरों पर भूमि अधिगृहीत करने वाली शिक्षा समितियों या सरकार से अन्य सहायता प्राप्त करने वालों को इसके लाभ विद्यार्थियों तक पहुंचाने चाहिए। आईआईटी/आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए अंधी दौड़ है। बड़ी संख्या में निजी कोचिंग संस्थान इस स्थिति को बढ़ावा दे रहे हैं। माता-पिता अपने बच्चों पर इंजीनियरिंग अथवा प्रबंधन प्रवेश परीक्षा की प्रतिस्पर्धा हेतु कोचिंग संस्थानों से परीक्षा की तैयारी हेतु बड़ी मात्रा में धन ख़र्च कर रहे हैं। इसके साथ-साथ बच्चों पर भी भारी दबाव बना हुआ है जिससे उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया को सुसाध्य बनाने की आवश्यकता है और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि विद्यार्थियों की सोचने-समझने की क्षमता पर इसका असर न पड़े। अंतर्ग्रहण क्षमता प्रवेश परीक्षा पर आधारित होनी चाहिए जोकि ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता का परीक्षण करती है न कि मात्र ज्ञान को। इसके अतिरिक्त, निजी संस्थानों के माध्यम से संस्थानों की संख्या बढ़ाई जा सकती है जबकि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वे संस्थान व्यावसायिक तौर पर विनियमित हों ताकि पाठ्यक्रम/डिग्रियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य हों। ❑

शिक्षा में संशोधन नहीं परिवर्तन चाहिए

● सरोज कुमार वर्मा

शिक्षा के दो पक्ष होते हैं। एक आंतरिक, जिसमें पाठ्यक्रम आता है और दूसरा बाह्य, जिसमें शिक्षण पद्धति आती है। यह दूसरा पक्ष पहले पक्ष से तय होता है। यानी पाठ्यक्रम से पद्धति निर्धारित होती है। क्या पढ़ना है, इस पर निर्भर करता है कि उसे कैसे पढ़ाया जाए? इसलिए जिस विधि से विज्ञान पढ़ाया जाता है, उसी विधि से कला नहीं पढ़ाई जा सकती, ठीक वैसे ही जैसे जिस तरीक़े से तर्क़ किया जाता है उसी तरीक़े से प्रेम नहीं किया जा सकता। विषय के हिसाब से विधि बदल जाती है। इसलिए शिक्षा पर विचार करते वक़्त सबसे पहले इस पर विचार किया जाना ज़रूरी है कि पढ़ाया क्या जाए? यानी पाठ्यक्रम क्या हो?

यही सवाल शिक्षा का उद्देश्य तय करता है। आखिर हमें शिक्षा क्यों चाहिए? हम शिक्षित होकर क्या करेंगे? शिक्षा हममें कौन-सी तब्दीली लाएगी? इससे हमारी किस समस्या का समाधान होने वाला है? यह सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जितना उस दिन रहा होगा, जिस दिन पहली बार किसी ने शिक्षा की आवश्यकता महसूस की होगी। और इसका जवाब आज भी वही होगा जो संभवत: उस दिन दिया गया होगा- कि शिक्षा मनुष्य को विकसित करती है, उसे सभ्य और सामाजिक बनाती है। यानी कुल मिलाकर उसे सही ढंग से जीने की कला सिखाती है। कोई पूछ सकता है कि जब शिक्षा से संबंधित सवाल और उसका जवाब दोनों मालूम है तो फिर इस पर विचार करने की ज़रूरत क्या है?

ज़रूरत इसलिए है कि जीने का वह सही ढंग क्या है, यह आज तक अनुत्तरित है। अनुत्तरित कहने का अर्थ यह नहीं है कि इस सही ढंग का निर्धारण कभी किया ही नहीं गया। शिक्षा से संबंधित जितनी परिभाषायें दी गई हैं, जितने विचार प्रस्तुत किए गए हैं, वे सब इस ढंग निर्धारण की प्रक्रियायें हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि यह निर्धारण कभी हुआ ही नहीं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह सही ढंग क्या है, यह आजतक सुनिश्चित नहीं हुआ। और सुनिश्चित नहीं हुआ ऐसा भी कहना ठीक नहीं है, अपितु यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि सुनिश्चित हुआ, परंतु अपने देश, काल, परिस्थिति और परिवेश के हिसाब से सुनिश्चित हुआ। अब चूंकि ये सभी परिवर्तनशील हैं, इसलिये अतीत में जो इनका स्वरूप था, वह वर्तमान में नहीं रह गया है। फलत: कल इनके हिसाब से जो सही था, वह आज सही नहीं रह गया। ऐसी स्थिति में अभी के हिसाब से क्या सही है यह तय करना शिक्षा का उद्देश्य है। और यह उद्देश्य द्विआयामी है। एक आयाम तो यह है कि शिक्षा सही का पैमाना तय करें और दूसरा यह कि उस पैमाने के अनुकूल व्यक्ति निर्मित करें। इस प्रकार शिक्षा का मुख्य दायित्व यह है कि वह सही मनुष्य विकसित करे। यह सही मनुष्य कैसा होगा? जो सभ्य हो, सुसंस्कृत हो, सामाजिक हो और इन सबके ऊपर सर्वहितकामी हो। यह तभी हो सकता है जब शिक्षा के केंद्र में मनुष्य का अस्तित्व और मनुष्यता का उत्थान हो। इस मापदंड पर यह तय करना आवश्यक है कि क्या आज की शिक्षा इस उद्देश्य को पूरा कर रही है, ऐसा मनुष्य निर्मित कर रही है?

उत्तर होगा - नहीं, बिल्कुल नहीं। आज की शिक्षा तो मनुष्य को मनुष्य होने से ही वंचित कर रही है। उसकी मनुष्यता को ही ख़ारिज कर रही है। वह व्यक्ति को वे तमाम चीजें सिखाती हैं, जो मनुष्यता के लिए घातक हैं, उसके विपरीत पड़ती है। मसलन प्रतियोगिता, तुलना, महत्वाकांक्षा, अहंकार, परिग्रह, स्वार्थपरता आदि। और इन्हीं से पैदा होती है हिंसा, आतंक, धर्मांधता, राष्ट्रद्वंद्विता, विद्वेष और विनाशकारी आकांक्षा। ये सब मनुष्यता को नष्ट करने वाले तत्व हैं। मनुष्य के वजूद को मिटा देने की प्रक्रियायें हैं। इसलिए ठहर कर सोचना होगा कि कहां भूल हो रही है? कैसे मनुष्य की बेहतरी के लिए किया जाने वाला उपक्रम उसे बदतर बनाए जा रहा है।

इसके मूल में भौतिक विकास की वर्तमान अवधारणा है। इस अवधारणा के मुताबिक वह व्यक्ति अथवा देश विकसित है जो भौतिक रूप से समृद्ध है। जिसके पास यह समृद्धि नहीं है वह अविकसित है। इसी मापदंड के आधार पर दुनिया के सारे देश दो हिस्सों में बंट गए हैं- विकसित और विकासशील देश के रूप में। विकसित वह है जिसके पास अतुल संपत्ति है और विकासशील वह है जिसके पास इतनी संपत्ति नहीं है मगर उसे प्राप्त करना है। इस संपत्ति को प्राप्त करने का आधार उद्योग और व्यापार है। इसलिए जो देश औद्योगिक रूप से जितना उन्नत है और व्यापार में जितना कुशल है उतना ही विकसित है और बाकि के विकासशील देशों को भी यह उन्नति और कुशलता हासिल करनी है। ये विकसित देश उद्योगों के द्वारा दैहिक सुख के लिए अनावश्यक सामग्री अकूत मात्रा में पैदा करते हैं और विकासशील देशों में उन्हें ऊंची क़ीमत पर बेचकर अपनी आर्थिक समृद्धि बढ़ाते हैं।

इसमें वे तकनीक का भी भरपूर इस्तेमाल करते हैं और कोई विरोध न करे इसके लिए नये-नये अत्याधुनिक हथियार निर्मित कर उसका ज़खीरा लगाते हैं। कुल मिलाकर अभी विकास का जो ढांचा है उसके केंद्र में भौतिक समृद्धि है और उस समृद्धि के चार स्तंभ है- आर्थिक, औद्योगिक, तकनीकी और सामरिक। इन्हीं चार स्तंभों पर अभी सारा विकास टिका हुआ है। इसलिए जिस देश के ये चारों स्तंभ सुदृढ़ हैं, वह विकसित है। यह केवल देश के स्तर पर नहीं, व्यक्ति के स्तर पर भी है। जो व्यक्ति जितना अधिक संपन्न है, जिनके पास तकनीकी ज्ञान जितना ज्यादा है, व्यापारिक कुशलता अधिक है तथा बाहुबल से जितना मज़बूत है, वह उतना ही ज्यादा विकसित है। समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, साख है। वह बड़ा और माननीय है।

अब ज़ाहिर-सी बात है कि जब शिक्षा मनुष्य को विकसित करने का उपक्रम है और विकास का पैमाना है तो स्वभावत: और अनिवार्यत: शिक्षा उन प्रक्रियाओं में संलग्न हो जाएगी जिनसे यह विकास संभव होता है। अद्यतन शिक्षा के नाम पर जो तकनीकी, औद्योगिक, व्यापारिक और प्रबंधात्मक शिक्षा दी जा रही है वह सब इसी कारण है। सूचना तकनीक व्यापार प्रबंधन, कंप्यूटर-इंजीनियरिंग अथवा विज्ञापन व्यवस्था आदि जो शिक्षा के मुख्य विषय हो गए हैं, इसका उद्देश्य यही है। इसी वजह से अभी के पाठ्यक्रम में इन सारे विषयों को प्रमुखता से शामिल किया गया है। और उसी के अनुरूप शिक्षण-पद्धति निर्मित की गई है।

यद्यपि इन सारे विषयों की शिक्षा रोज़गार-परक शिक्षा के नाम से दी जाती है, परंतु एक तो इन्हीं सारे क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर इज़ाद किए गए हैं, इसलिए ये सारे विषय रोज़गारपरक हो गए हैं और दूसरे अब यह सिर्फ़ रोज़गार का मामला नहीं रह गया है, आर्थिक प्रचुरता का मामला बन गया है। इन क्षेत्रों में असीम आय है, इसलिए ये विषय इतने प्रमुख बन गए हैं। कल जब इन क्षेत्रों में न तो रोज़गार के अवसर इज़ाद किए गए थे और न इतनी अधिक आय थी तो दूसरे अन्य कई विषय रोज़गारपरक थे। अत: यदि आज ये विषय रोज़गारपरक और प्रचुर आय के साधन बन गए हैं तो इसके पीछे भी विकास की यही अवधारणा है।

इस प्रकार अभी की शिक्षा केवल भौतिक विकास, बाह्य समृद्धि, दैहिक सुख आदि से जुड़ी हुई है, और इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति में संलग्न है। इसमें मानसिक शांति, आध्यात्मिक उत्थान तथा आंतरिक प्रगति आदि के लिए कोई जगह नहीं है। इसीलिए दर्शन, साहित्य, संगीत, कला आदि विषय जो मनुष्य को भीतर से विकसित करते हैं, हाशिये पर चले गए हैं, जबकि इनके बगैर मनुष्यता सही मायने में विकसित हो ही नहीं सकती।

लेकिन विडंबना यह है कि जो लोग शिक्षा पर निरंतर विचार करते हैं, बच्चों के बस्ते के बोझ से चिंचित हैं, उन्हें खेलने के पर्याप्त अवकाश नहीं मिल पाने से दुखी हैं, उनमें उपजने वाले मानसिक विकारों से त्रस्त हैं और उनके रोबोट होते जाने से आक्रांत हैं, वे भी इस मूल कारण पर उंगली नहीं रखते। वे विकास की इसी अवधारणा को स्वीकारते हुए शिक्षा में सुधार लाना चाहते हैं, जोकि संभव नहीं है। यह नीम रोप कर आम पाने का प्रयास है। आखिर इस व्यवस्था में यह कैसे संभव है?

जब सबको अधिकतम समृद्धि चाहिए तो उसके लिए गलाकाट प्रतिस्पर्धा होगी और उसमें सब अव्वल आना चाहेंगे। ऐसी स्थिति में छांटने के तमाम उपाय करने पड़ेंगे और चुनाव का सख़्त पैमाना अख़्तियार करना पड़ेगा ताकि न्यूनतम छात्र सफल हो सकें। कहीं भी चयन के लिए उच्चतम अंकों की अनिवार्यता और बेहद कठिन प्रतियोगिता का प्रावधान का यही कारण है। ऐसी दु:स्थिति में किसी छात्र को अवकाश कैसे मिलेगा? उसके बस्ते का बोझ कैसे कम होगा?

ऐसा हो, इसके लिये तो आवश्यक है कि इस अंधी दौड़ में शामिल न हुआ जाए। और शामिल न होने के लिये आवश्यक है कि न्यूनतम सुविधाओं के साथ जिया जाए। लेकिन तब फिर इस विकास का क्या होगा? यही शिक्षा का दुष्चक्र है, उसका वर्तमान परिदृश्य है। अत: शिक्षा पर विचार करने के क्रम में सबसे पहली ज़रूरत यह है कि इस दुष्चक्र को तोड़ा जाए। इस परिदृश्य को बदला जाए। इसके बिना कोई नवनिर्माण नहीं हो सकता।

राज्य का नवनिर्माण भी इससे जुड़ा मामला है। इसलिये शिक्षा के इस अंतर्विरोध को दूर किए बिना इसके नवनिर्माण की परिकल्पना बेमानी होगी। यदि सच में किसी देश-राज्य का नवनिर्माण करना है, उसे नये ढंग से सृजित करना है तो शिक्षा के इस अंतर्विरोध को दूर करने का कोई सूत्र तलाशना होगा। इस दिशा में एक सूत्र विकास की वर्तमान अवधारणा को बदलने का हो सकता है। अभी का विकास उद्योग आधारित है। इसके बदले कृषि आधारित विकास की अवधारणा विकसित की जा सकती है। एक ऐसा विकास जिसके केंद्र में कृषि हो। यद्यपि इसमें यंत्र और उद्योग से बिल्कुल परहेज नहीं होगा। परंतु वे केंद्र में नहीं होंगे। केंद्र में कृषि होगी। यही हमारी आय का मुख्य स्रोत होगी। व्यापार और उद्योग का स्थान इसके बाद होगा। ये अतिरिक्त आय के स्रोत होंगे, लेकिन कृषि की क़ीमत पर नहीं। कृषि को नष्ट करके इन्हें सुरक्षित नहीं किया जाएगा। ये उसके सहयोगी रहेंगे। मगर इसमें समस्या यह होगी कि कृषि से उतनी आय नहीं होगी जितनी उद्योग अथवा व्यापार से होती है। तब जीवन भी उतना विलासितापूर्ण नहीं हो पाएगा जितना औद्योगिक व्यवस्था में होता है। अभी की उपभोक्तावादी जीवनशैली के लिए कृषि आधारित विकास में जगह नहीं बच पाएगी। इसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। न्यूनतम सुविधाओं के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। मगर यह एक दिन में होने वाला नहीं है। यह लंबे समय तक निरंतर चलने वाली एक कठिन प्रक्रिया है। शिक्षा की इसमें अहम भूमिका होगी।

लेकिन शिक्षा अपनी इस भूमिका का निर्वाह तभी कर पाएगी जब उसके अनुकूल पाठ्यक्रम और शिक्षण-पद्धति की व्यवस्था हो। इसके लिए प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक ऐसे विद्यालय, महाविद्यालय खोले जा सकते हैं जिनमें कृषि आधारित अध्ययन की व्यवस्था हो। यह तब हो सकता है जब कृषि केंद्रित पाठ्यक्रम बनाए जाएं और उसी के अनुसार शिक्षण-पद्धति विकसित की जाए। ये विद्यालय, महाविद्यालय अभी के कृषि विश्वविद्यालयों में कृषि तकनीक पर आधारित हैं, जबकि उन विद्यालयों, महाविद्यालयों में तकनीक कृषि पर आधारित होगी। मसलन सिंचाई के लिए बड़े बोरिंग कर भूमिगत जल निकालना तकनीक आधारित कृषि का उदाहरण है जबकि नदियों से नहर बनाकर सिंचाई करना कृषि आधारित तकनीक का उदाहरण है। ऐसे नवनिर्मित शिक्षण-संस्थानों में तकनीक कृषि का सहयोगी होगा, कृषि तकनीक पर आधारित नहीं होगी।

इन शिक्षण-संस्थानों में एक व्यवस्था और

करनी पड़ेगी जो आध्यात्मिक विकास की होगी। आध्यात्मिक विकास आत्मबोध से होता है और आत्मबोध ध्यान-साधन से होता है। इसलिए इन संस्थानों के पाठ्यक्रम में ध्यान-साधना की पद्धतियों को शामिल करना होगा। उनके नियमित अभ्यास की व्यवस्था करनी होगी। यह व्यवस्था शिक्षण-पद्धति का अंग होगी। यह इसलिए करना होगा कि क्योंकि जिस व्यक्ति के पास आत्मबोध होगा वह भौतिकता की दौड़ में शामिल नहीं होगा। वह भीतर से इतना समृद्ध होता है कि बाहर की समृद्धि की उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इससे उसकी आतंरिक मज़बूती बढ़ती है और वह धन, पद, सत्ता, सम्मान आदि के बाहरी हमलों से विचलित न होकर ज़रूरत के मुताबिक न्यूनतम सुविधाओं के साथ जीने में समर्थ होता है। यदि वैचारिक प्रशिक्षण से भी यह सामर्थ्य आती है तो इस तरह का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए।

ऐसे शिक्षण-संस्थान देश के नवनिर्माण में संलग्न संगठन अथवा संस्थाएं स्वतंत्र रूप से खोल सकती हैं या सरकार की मदद ले सकती हैं। सरकार की मदद के लिए उसे इस वैकल्पिक अवधारणा और उनकी योजनाओं को ठीक से समझाया जाना ज़रूरी है। यह काम संगठन और संस्थाओं का प्रतिनिधि मंडल उससे मिलकर कर सकता है। जब इस तरह के शिक्षण-संस्थान खोले जाएंगे, उसमें इस तरह का पाठ्यक्रम लागू होगा और इस तरह की शिक्षण-पद्धति अपनाने से छात्रों के बस्ते का बोझ भी कम होगा, उन्हें खेलने के अवसर भी मिलेंगे। उनमें दूसरे से आगे निकलने की घातक प्रतिस्पर्धा तथा अनावश्यक वस्तुओं को संग्रह करने की विकृत होड़ नहीं होगी, क्योंकि उनका स्वस्थ विकास हुआ रहेगा। उस विकास में शारीरिक, मानसिक, हार्दिक और आत्मिक सभी तरह विकास शामिल होंगे। इससे उनका व्यक्तित्व संतुलित होगा। ऐसे लोग देश का नवनिर्माण कर सकेंगे और विश्व मानचित्र पर देश को नये रूप में स्थापित कर सकेंगे।

हमारे यहां प्रतिभाओं की कमी नहीं है। यहां की प्रतिभाएं पूरे विश्व में अव्वल हैं। यहां श्रमिकों की भी कमी नहीं है यहां के श्रमिक हर जगह फैले हुए हैं। यहां उर्वर ज़मीन की कमी नहीं है। यहां बहुत ज़मीन आज भी बंजर पड़ी हुई है। नदियों की कमी नहीं है। कई नदियों का संजाल बिछा है। मतलब यहां कृषि केंद्रित विकास के लिये आधारभूत संरचनाओं की कमी नहीं है। जो लोग नवनिर्माण के लिए प्रयासरत हैं उन्हें पूरे आत्मविश्वास के साथ यहां नेतृत्व करना पड़ेगा।

परंतु इस पगडंडी पर चलने में सबसे बड़ा भय है अपने पिछड़ जाने का। यह काम किसी पुराने गिरते हुए ढांचे को इधर-उधर से ठीक-ठाक करके बचा लेने भर का नहीं है, बल्कि जर्जर हो गए ख़तरनाक ढांचे को पूरी तरह ध्वस्त करके नया ढांचा निर्मित करने का है। चूते छप्पर को प्लास्टिक से ढंक कर एक-आध बारिश काटी जा सकती है, पूरा जीवन नहीं गुज़ारा जा सकता। उसके लिए तो नया मकान ही बनाना पड़ता है। मौजूदा शिक्षा व्यवस्था को भी इस जर्जरता से मुक्ति चाहिए। नये निर्माण के लिए शिक्षा को भी बिल्कुल नया होना पड़ेगा। विकास, बाज़ार, विज्ञापन, औद्योगीकरण, उदारीकरण, भूमंडलीकरण जैसे तमाम शब्दों के चक्रव्यूह से बचाते हुए शिक्षा को नये अर्थबोध से युक्त करना होगा। ❑

(लेखक बीआरए विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के दर्शनशास्त्र विभाग में प्राध्यापक हैं)

सभी उम्र के प्रतियोगी छात्रों, विद्वानों तथा सामान्य जन के लिए ज़रूरी किताबें

वैश्विक विज्ञान और दर्शन का सिलसिलेवार इतिहास

ग्रीक, चीनी, फ़ारसी व संस्कृत के बुनियादी ज़िक्रों के साथ सहज और सरस हिन्दी में पहली बार

(क) दार्शनिक गण-भाग 1, 2, 3, 4

(दार्शनिकों के फ़लसफ़े पर जोर, साथ में जीवन चरित भी, कहानियों के रूप में)

(ख) वैज्ञानिक गण-भाग 1, 2, 3, 4

(वैज्ञानिकों की खोजों पर केंद्रित मगर जीवन वृत्त भी, कथा रूप में)

(ग) हमारा सुकरात (कुल पृष्ठ-650)

(सुकरात पर हिंदी में पहली संपूर्ण किताब)

(घ) प्यारा अफ़लातून उर्फ़ प्लेटो (कुल पृष्ठ 800)

(प्लेटो पर हिंदी में पहली संपूर्ण किताब)

इन किताबों को कई स्कूलों/कॉलेजों ने सुगम पाठ के रूप में अपने सिलेबस में शामिल किया है।

लेखक – शुक्राचार्य, प्रकाशक-ज्ञानतारा प्रेस, भारत
फोन–011-25055171, मो–9311853811
आर ज़ेड एच 2/14 ए, महावीर एन्क्लेव, बंगाली कॉलोनी, पालम नई दिल्ली-45

हमारे अधिकृत वितरक एवं विक्रेता–

1. रीडर्स कॉर्नर, फ्रेज़र रोड, पटना, फोन–0612–2225958
2. आयुष बुक्स, मंगल मार्ग, बापू नगर, जयपुर मो. 9414076708
3. नेशनल बुक हाउस, डिस्पेंसरी रोड, देहरादून मो. 9412053812
4. मुंशीराम मनोहर लाल, नई सड़क, दिल्ली फोन–011–239111254

YH-9/09/4

RAU'S IAS

A name that Nation trusts

हमारी उपलब्धियाँ

हमारा 2008 का परीक्षा परिणाम : पहले 20 में 8 और पहले 100 में 43 छात्रों के साथ हमारे कुल 281 छात्रों का चयन हुआ है। हमारी पिछली उपलब्धियों पर नजर डाली जाए तो 1953 से यूपीएससी की सिविल सेवाओं में हुए कुल चयन में से लगभग एक तिहाई चयन हमारे स्टडी सर्किल से हुआ है।

यह एक मानी हुई बात है कि आईएएस और पीसीएस की कोचिंग में **RAU'S** देश भर में सबसे भरोसेमंद और चर्चित नाम है।

अनूठी तैयारी

सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न:

क्या मेरे में प्रतिभा है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो आपकी रातों को जगाता है। लेकिन सही जानकारी और योजना से आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। **RAU'S IAS** को अपने प्रखर और अमूल्य अध्यापन के लिए जाना जाता है। यह बात साबित है कि हम सिविल सेवा परीक्षा में सबसे आगे हैं।

हिन्दी माध्यम में भी अग्रणी

Beware

Please note that we do not have any branch or franchises, agent, representatives etc. anywhere in India, except one branch only at Jaipur.

कार्यक्रम विवरण

सिविल सेवाएं/पीसीएस परीक्षा - 2010

- पर्सनल गाइडेंस (अंग्रेजी माध्यम) -
  General Studies / Essay, Commerce, Economics, Geography, History, Law, Political Science, Psychology, Public Administration & Sociology.
- पर्सनल गाइडेंस (हिन्दी माध्यम) -
  सामान्य अध्ययन / निबंध, भूगोल, इतिहास, लोक प्रशासन एवं समाजशास्त्र में उपलब्ध।
- पोस्टल गाइडेंस (अंग्रेजी माध्यम) -
  General Studies, Geography, History, Law, Political Science, Psychology, Public Administration and Sociology.
- पोस्टल गाइडेंस (हिन्दी माध्यम) -
  सामान्य अध्ययन, भूगोल, इतिहास, लोक प्रशासन एवं समाजशास्त्र में उपलब्ध।
- हॉस्टल सुविधा उपलब्ध।

कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं ।
जीता वही जो डरा नहीं ।।

नया बैच 6 नवम्बर 2009 से प्रारंभ, प्रवेश के लिए आवेदन करें ।

स्वयं संपर्क करें अथवा रु. 50/- के ड्राफ्ट / मनी ऑर्डर के साथ विवरण पुस्तिका के लिए लिखें।

RAU'S IAS STUDY CIRCLE

मुख्यालय : 309, कंचनजंगा बिल्डिंग, 18, बाराखंबा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली -110001
फोन : 011-23317293, 23318135-36, 23738906-07, 32448880-81, 65391202, **फैक्स :** 23317153
जयपुर केन्द्र : 701,ऐपैक्स मॉल, लाल कोठी, टोंक रोड, जयपुर-302015, **फोन:** 0141-6450676, 3226167, 9351528027
वेबसाइट : www.raulas.com **ई-मेल :** contact@raulas.com

Empowering talent since 1953

YH-9/09/5

भारत में उच्च शिक्षा : समस्याएं एवं समाधान

● मुकेश चन्सौरिया

यदि 21वीं सदी में भारत के 6 से 14 वर्ष के छह करोड़ बच्चे अशिक्षित रहते हैं और बेरोज़गारों और अर्ध-बेरोज़गारों की फ़ौज बढ़ती है, तो यह गहन चिंता का विषय है। एक अनुमान के मुताबिक अगले चार वर्षों में विश्व की 25 प्रतिशत श्रमशक्ति भारत में होगी और अगर वे प्रतिभाशाली और योग्य हुए तो भारत आर्थिक महाशक्ति बनकर रहेगा

प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार विकसित होने का अधिकार है। मानव अधिकारों की घोषणा में इस तथ्य को मूलभूत रूप से स्वीकार किया गया है। इसके लिए शिक्षा और ज्ञान अत्यंत आवश्यक हैं, यह तथ्य सब के लिए शिक्षा की धारणा से बहुत आगे है। फ्रेड्रिक हेयाक ने ज्ञान और शिक्षा में जो अंतर किया है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसके दो बिल्कुल अलग बिंदुओं को इस तरह बताया है कि बाज़ार व्यवस्था के अंतर्गत प्रयुक्त किया जाने वाला बहुत-सा ज्ञान न तो कोडीफाई किया जा सकता है और न ही उसका भौतिकता से कोई संबंध होता है। जैसेकि दर्जी, रंगाई करने वाले, बेकरी वाले आदि अपने क्षेत्र का जो ज्ञान रखते हैं उसका कोई भी संबंध औपचारिक शिक्षा से नहीं होता। इस प्रकार आर्थिक अवसरों के साधन के रूप में औपचारिक शिक्षा की बड़ी सीमाएं हैं। औपचारिक शिक्षा कुछ अलग तरह के लोगों को बनाती है जैसे- नौकरशाह, प्रबंधक, डॉक्टर, वकील आदि परंतु व्यावसायिक शिक्षा के विकास के बावजूद आर्थिक गतिविधियों में संलग्न और सफल बहुसंख्यक समाज अपना ज्ञान शिक्षा केंद्रों से अलग हट कर पाता है। इसीलिए खिलाड़ी, फ़ैशन मॉडल, फ़िल्मी कलाकार आदि एक इंजीनियर या समाजशास्त्री शिक्षक से कई गुना अधिक पैसा कमाते हैं। ज्ञान के इस पक्ष को आवश्यक रूप से ध्यान में रखना चाहिए।

प्लूटो ने कहा था कि ज्ञान ही अच्छाई है यद्यपि इस पर आज ढेर सारे प्रश्न खड़े किए जाते हैं लेकिन आज इससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि शिक्षा ही शक्ति का स्रोत है। आजकल आईटी क्षेत्र के विशेषज्ञ श्रेष्ठतम स्थिति में हैं। आज़ादी के बाद देश में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा विद्यार्थियों की प्रवेश संख्या तेज़ी से बढ़ी है, किंतु दुर्भाग्य से वर्तमान में शिक्षा के मात्रात्मक प्रसार के साथ-साथ उसका गुणात्मक मूल्य धीरे-धीरे कम होता जा रहा है और कुछ विशेष केंद्रों को छोड़कर अधिकांश शिक्षण संस्थाएं डिग्रियां बांटने के केंद्र बन कर रह गई हैं।

शिक्षा के दो उद्देश्य होते हैं- एक तो वह

तालिका-1
देश में उच्च शिक्षण संस्थाएं

श्रेणी		संख्या
1. केंद्रीय विश्वविद्यालय	-	20
2. राज्य विश्वविद्यालय	-	222
3. समकक्ष (डीम्ड) विश्वविद्यालय	-	109
4. राज्य अधिनियम के अंतर्गत गठित संस्थाएं	-	05
5. राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं	-	13
6. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी)	-	18
7. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)	-	07
8. भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम)	-	06
9. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी)	-	04
10. भारतीय विज्ञान संस्थान (भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान सहित)	-	04
11. शोध संस्थान	-	136
12. महाविद्यालय (1902 महिला महाविद्यालय सहित)	-	18,064

स्रोत : यूजीसी वार्षिक रिपोर्ट, 2005-06 एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट 2006-07

तालिका–2

विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग संबद्ध महाविद्यालय में प्रवेश स्थिति, 2005-2006

श्रेणी	विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग	संबद्ध महाविद्यालय	संख्या
1. स्नातक	9,50,892	88,54,085	98,04,977
2. स्नातकोत्तर	3,47,096	6,91,714	10,38,810
3. शोध	64,161	6,555	70,716
4. डिप्लोमा/प्रमाणपत्र	64,644	48,873	1,13,517

स्रोत : यूजीसी वार्षिक रिपोर्ट, 2005-06 एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट, 2006-07

व्यक्ति को शिष्ट, सभ्य, सामाजिक नागरिक बनने में मदद करती है एवं दूसरा वह आजीविका का साधन होती है। वर्तमान भारतीय समाज में जिस प्रकार के व्यक्ति केंद्रित प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अपराध एवं एक-दूसरे के प्रति विद्वेष रखने और शिक्षितों के द्वारा अपराधों में वृद्धि के हालात बने हुए हैं, उससे इस उद्देश्य की पूर्ति की विफलता साफ़ ज़ाहिर होती है। भारतीय श्रम रिपोर्ट, 2007 में पाया गया कि रोज़गार के अवसर तो हैं पर उसके लिए क़ाबिल लोगों की कमी है। एक तरफ लोग भारतीय प्रतिभा की तारीफ़ कर रहे हैं एवं दूसरी ओर 80 प्रतिशत लोग प्रतिभाविहीन हैं। रिपोर्ट के अनुसार 53 प्रतिशत युवाओं में वांछित कौशल की कमी पाई जाती है, हालांकि 8 प्रतिशत युवा ही बेकार हैं। रिपोर्ट में साफ़-साफ़ कहा गया है कि शिक्षा प्रणाली में तत्काल सुधार की आवश्यकता है। आज उपलब्ध रोज़गार के अवसरों में 90 प्रतिशत व्यावसायिक कौशल की आवश्यकता होती है जबकि 90 प्रतिशत कॉलेजों और स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा केवल क़िताबी है। अगले चार वर्षों में विश्व की 25 प्रतिशत श्रमशक्ति भारत में होगी। सन् 2025 तक 30 करोड़ युवा श्रमशक्ति के तौर पर उपलब्ध होंगे और अगर वे क़ाबिल हुए तो भारत आर्थिक महाशक्ति बनकर रहेगा।

हैडिक एंड स्टलर्स और इकोनॉमिस्ट इंटेलीजेंस यूनिट की विश्व प्रतिभा सूची के आंकड़ों के अनुसार आने वाले दिनों में भारत जनांकिकी के आधार पर दूसरे स्थान पर, श्रम गतिशीलता एवं खुलेपन के लिए 9वें स्थान पर और प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 13वें स्थान पर रहेगा पर शिक्षा के आधार पर वह 25वें स्थान पर होगा। उल्लेखनीय है कि विदेशी छात्र भारत में शिक्षा सस्ती होने के कारण आ रहे हैं। विदेशी छात्रों को लुभाने के लिए एक नयी नीति 'अंग्रेज़ी सीखें और भारत में पढ़ें' लागू की गई है।

वर्तमान में देश के लगभग सभी बुद्धिजीवी इस बात पर सहमत हैं कि इस शिक्षा प्रणाली को तत्काल बदलने की आवश्यकता है। अगर 21वीं सदी में भारत के 6 से 14 वर्ष के छह करोड़ बच्चे अशिक्षित रहते हैं और बेरोज़गारों और अर्ध-बेरोज़गारों की फ़ौज बढ़ती है, तो यह गहन चिंता का विषय है। देश में एक ओर कौशल संपन्न लोगों की भारी कमी महसूस की जा रही है और दूसरी ओर बड़ी संख्या में लोग बेरोज़गार हैं। सरकार इससे अनभिज्ञ नहीं है और इस संबंध में कई योजनाएं घोषित की जा चुकी हैं। सरकार ने 2004 के बजट में अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए 2 प्रतिशत का सेस लगा दिया एवं इसकी जरूरत भी बताई कि शिक्षा पर व्यय वर्तमान जीडीपी के 3.4 से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया जाए। इसके परिणामस्वरूप परिमाणात्मक वृद्धि तो हो रही है पर समस्या गुणात्मक वृद्धि की है। स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा के हर स्तर पर यह समस्या विद्यमान है।

संख्या की दृष्टि से स्कूल और कॉलेजों (सरकारी व निजी) की संख्या बहुत अधिक है किंतु कुछ अपवादों को छोड़कर गुणवत्ता की दृष्टि से शिक्षा का स्तर काफी नीचा है। स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक कमावेश परंपरागत पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिन्हें पढ़ने के बाद रोज़गार की संभावना बहुत कम है। रोज़गार देने वाले व्यक्तियों को पुनः प्रशिक्षित करना होता है। डिग्रियां केवल छंटाई करने की प्रक्रिया के रूप में इस्तेमाल होती हैं या फिर आवेदन करने के लिए पासपोर्ट के तौर पर।

छात्रों को यह ज्ञात नहीं होता कि उन्हें किन क्षेत्रों में जाना चाहिए और आने वाले दिनों में किस क्षेत्र में मांग होगी। पाठयक्रम में दिए जाने वाले ज्ञान की व्यावहारिक उपयोगिता नगण्य होती है और परीक्षा पास करने के लिए स्कूल, कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं होती। वास्तव में ज्ञान अलग है और शिक्षा अलग। समाज को जिस प्रकार के योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता है वे शिक्षा प्रणाली द्वारा उत्पन्न नहीं किए जाते।

विद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की प्रवेश संख्या ऊंची होने के बावजूद उपस्थिति नीची होती है। शिक्षकों का पढ़ाने में रुचि न लेना और शिक्षा में परिवर्तन न चाहना सामान्य

तालिका–3

संकायवार विद्यार्थियों की संख्या, 2005-2006

संकाय	संख्या
1. कला	4976946
2. विज्ञान	2255230
3. वाणिज्य/प्रबंधन	1986146
4. शिक्षा	161009
5. अभियांत्रिकी/तकनीकी	795120
6. चिकित्सा	348485
7. कृषि	63962
8. पशु विज्ञान	16542
9. कानून या विधि	336356
10. अन्य	88224
कुल संख्या	**11028020**

स्रोत : यूजीसी वार्षिक रिपोर्ट 2005-06 एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट, 2006-07

तालिका–4

संकायवार डॉक्टरेट की उपाधि, 2004-2005

संकाय	संख्या
1. कला	7532
2. विज्ञान	5549
3. वाणिज्य/प्रबंधन	1010
4. शिक्षा	491
5. अभियांत्रिकी/तकनीकी	968
6. चिकित्सा	456
7. कृषि	888
8. पशु विज्ञान	132
9. कानून या विधि	179
10. अन्य	693
कुल संख्या	**17898**

स्रोत : यूजीसी वार्षिक रिपोर्ट 2005-06 एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट, 2006-07

प्रवृत्ति है। परीक्षा संबंधी अनियमितताएं आम बात हैं। शासन का कार्य शिक्षकों के तबादले, प्रोन्नति आदि तक सीमित है। स्वायत्तता का दुरुपयोग होता है और गुणवत्ता के स्थान पर शिक्षक या कुलपति की मर्ज़ी से पढ़ाई निर्धारित होती है। छात्रों के पास बहुत कम विकल्प उपलब्ध होते हैं और मेधावी छात्र भी कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाते। शासन, प्रशासन, शिक्षा विभाग के अधिकारी, प्राचार्य, शिक्षक, पालक सभी एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं।

विश्व प्रतियोगी वार्षिकी, 2004 के अनुसार भारत 50वें क्रम से 16 स्थान ऊपर उठकर 34वें क्रम पर आ गया है। यह स्थान भारत के लिये अब तक का सर्वाधिक ऊंचा है। इस स्थिति का मुख्य कारण 4 में से 3 सूचकों में भारत का ऊपर होना है। भारतीय व्यवसाय की कार्यकुशलता का क्रम 2003 के 51वें स्थान से उठकर 22वां हो गया है। इसी प्रकार आर्थिक संचालन की दृष्टि से देश का स्थान 22वें से उठकर 12वां हो गया है, इतना ही नहीं प्रशासनिक कुशलता की दृष्टि से भारत का स्थान 43वें से उठकर 34वां हो गया है, किंतु जहां तक अधोसंरचनाओं और सुविधाओं का सवाल है, वहां भारतीय शिक्षा पद्धति अभी भी पिछड़ी हुई है। 2003 में 60 देशों में उसका स्थान 58वां था और यह 2004 में एक अंक के सुधार के साथ 57वां हो गया। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में शोध बहुत बुरी स्थिति में है। शोध एवं विकास में भारत अपनी राष्ट्रीय आय का सिर्फ़ 0.6 प्रतिशत ही ख़र्च करता है, जबकि जापान और अमरीका में 1996 में ही यह प्रतिशत 2.5 था।

शिक्षा की गुणवत्ता प्राथमिक स्तर से ही बेहतर सुधारी जा सकती है, उसे बाद में सुधारना कठिन है। प्रो. यश पाल ने 1992 में अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि भारत की स्कूली शिक्षा में बड़ी संख्या में आरंभिक कक्षाओं में ही बच्चों के आक्रांत हो जाने की एक वजह उसका दुर्बोध होना है। सूचनाओं से पुस्तक लेखक भी आतांकित रहते हैं एवं पुस्तकों में ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं डाल देते हैं। परिणाम यह होता है कि न तो छात्र और न ही शिक्षक उसे समझ पाता है। इतना ही नहीं पाठ्यक्रम में सुधार के नाम पर उसका स्तर बढ़ा दिया जाता है और तमाम ऐसी चीज़ें भर दी जाती है जिन्हें उस स्तर के बच्चे नहीं समझ पाते। ऐसी स्थिति में रटने के सिवाय कोई चारा नहीं रहता इसलिए ज्ञान में कोई वृद्धि नहीं होती। यह बात स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षा के स्तर तक विद्यमान है। इसलिए छात्र डिग्री पाने के लिए पुस्तकों के बज़ाय गाइड्स और नकल का सहारा लेते हैं। वर्तमान में कॉरपोरेट क्षेत्र के लोग यही दोहरा रहे हैं कि सैद्धांतिक व आदर्श की बातों से व्यवसाय नहीं चलता है। तमाम विषय अपने परिवेश से अलग होते हैं। छात्रों को लगता है कि ज्ञान नितांत बाहरी, अनावश्यक और क़िताबी बात है न कि जीवन में उपयोग आने वाली आवश्यक पूंजी।

शिक्षकों पर डंडा चलाकर शिक्षा को सुधारा जा सकता है, यह धारणा तत्काल बदल देनी चाहिए क्योंकि शिक्षण कोई क़ारखाना नहीं है और न ही स्कूल मज़दूर, जोकि समय पर जाकर काम चालू कर उत्पादन करना शुरू कर दे। अगर शिक्षक की अंत:प्रेरणा उसे पढ़ाने और सिखाने के लिए तैयार नहीं करती, तो शिक्षा नहीं दिलाई जा सकती। उसे कक्षा में निश्चित समय हाज़िर तो किया जा सकता है और निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए भी बाध्य किया जा सकता है, पर शिक्षा छात्रों तक पहुंचेगी इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती। शिक्षा के लिए मात्र शिक्षक ही जिम्मेदार नहीं है, स्वयं छात्र, परिवार और संपूर्ण वातावरण– ये तीनों समान रूप से शिक्षा में योगदान करते हैं। यह ज़रूरी है कि शिक्षक समय पर कक्षा में जाए लेकिन किसी कारणवश कुछ लेट होने पर उन्हें बर्ख़ास्त करने की धमकी या फिर निलंबित करने से उनकी अभिप्रेरणा पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है यह समझने की आवश्यकता है।

जहां तक उच्च शिक्षा की गुणवत्ता का प्रश्न है, 1953 में भारत सरकार ने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। हालांकि गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जो अधिकार इस आयोग को सौंपे जाने चाहिए थे, वे नहीं दिए गए। यह बात और है कि राज्यों ने इन अधिकारों की कमी का फ़ायदा नहीं उठाया, पर 2003 में छत्तीसगढ़ राज्य बनते ही यह मर्यादा भी टूट गई और छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अधिनियम पास कर राज्य में डीम्ड विश्वविद्यालय खोलने के नियमों में भारी ढील दे दी जिसने शिक्षा की गुणवत्ता को काफी प्रभावित किया और ऐसी संस्थाएं लाभ कमाने का संस्थान बन गईं न कि व्यावसायिक शिक्षा देने का।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अतिरिक्त एक दर्जन से अधिक व्यावसायिक परिषद स्थापित की गईं, जिनमें हरेक को अपने क्षेत्र से संबंधित अधिकार दिए गए जैसे– मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, तकनीकी शिक्षा परिषद आदि। इनमें किसी प्रकार का समन्वय न होने से भी कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हुईं। इस प्रकार विश्वविद्यालय और परिषदों के बीच भी अधिकारों के मामलों में विवाद होता रहता है और शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के मसले पर अधिकांश जिम्मेदारी हरेक पक्ष दूसरे पक्ष पर डाल देता है। 1986 की शिक्षा नीति में एक उच्चस्तरीय संस्था की स्थापना की बात थी, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन सभी मामलों में शुल्क का मसला भी महत्वपूर्ण रहा और शिक्षा की गुणवत्ता को शुल्क के साथ जोड़ दिया गया। सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा परिषदों के पास ऐसे कोई विशेष अधिकार नहीं हैं।

शिक्षा की गुणवत्ता के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमारा सभ्य नागरिक समाज शिक्षा क्षेत्र में अपनी रुचि न्यूनतम कर लेता है और बावजूद जनभागीदारी समितियों की स्थापना के शिक्षा की गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं देता। आमतौर पर बातें धनराशि, अधोसंरचना आदि पर जाकर अटक जाती हैं। न्यायालय के फ़ैसलों से इन संस्थाओं को अपनी फीस तय करने का अधिकार दे दिया गया। लेकिन इसके साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें बहुत सारे कामों की स्वीकृति प्राप्त हो गई। शिक्षा के निजीकरण ने एक ओर सरकार को उच्च शिक्षा के दायित्व से कुछ हद तक मुक्त कर दिया लेकिन दूसरी ओर निजी संस्थानों को शिक्षा को व्यवसाय बनाने की छूट भी दे दी।

निजी क्षेत्र के प्रवेश में कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते शिक्षा को एक व्यवसाय न समझा जाए और उसकी गुणवत्ता पर इससे प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। वर्तमान में अच्छी निजी संस्थाओं और स्तरहीन संस्थाओं के बीच भेद बहुत कम हो चुका है, फलस्वरूप शिक्षा के केंद्र डिग्रियां बांटने वाली संस्थाएं बनकर रह गए हैं।

भारत में उच्च शिक्षा की प्रणाली बहुत बड़ी है तथापि संबंधित आयु वर्ग के केवल 8 प्रतिशत लोग ही इसका लाभ उठ पाते हैं। सकल राष्ट्रीय आय के अनुपात के रूप में उच्च शिक्षा पर होने वाला व्यय 1980-81 में 0.98 प्रतिशत था, जो 1994-95 में घटकर 0.35 प्रतिशत और 2006-07 में मात्र 0.22 प्रतिशत रह गया है। प्रतिव्यक्ति शिक्षा पर होने वाला सरकारी व्यय 1990-91 के बाद से निरंतर घटता गया। इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। समाज में शिक्षा की भूमिका है और इसे मात्र रोज़गार का पासपोर्ट नहीं समझना चाहिए। उच्च शिक्षा से एक व्यक्ति को आंतरिक लाभ तब होता है जब उस शिक्षा से उसकी धन कमाने की क्षमता बढ़ जाती है, किंतु शिक्षा आर्थिक और सामाजिक प्रणाली को व्यापक दृष्टि से संचालित करने के लिए भी बहुत आवश्यक है। इन्हें बाह्य प्रकृति के लाभ कहना चाहिए, जिसका लाभ न केवल उस व्यक्ति को होता है, जो शिक्षा पाता है, वरन् समाज के अन्य सदस्य भी लाभान्वित होते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होने के कारण इन सारे लाभों से समाज वंचित हो रहा है। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत अब शिक्षा के स्वंतत्र व्यापार में सम्मिलित हो जाने से समस्याएं और भी बढ़ गईं हैं। हालांकि यह अलग मुद्दा है, पर इससे भी शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का ख़तरा है।

शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यत: तीन समस्याएं चिंता का विषय हैं :

1. महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में प्रवेश की संख्या का काफी अधिक होने के बावजूद उपथिति का हद दर्ज़े तक कम होना।
2. शिक्षक द्वारा पढ़ाने में रुचि न लेना और शिक्षा में परिवर्तन के प्रति उदासीनता।
3. परीक्षा संबंधी अनियमितताएं।

सुझाव

सबसे पहले यह देखना होगा कि आखिर विद्यार्थी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिये तो बहुत उत्सुक होते हैं, पर पढ़ने के लिए क्यों नहीं जाते? विद्यार्थी जानते हैं कि बाज़ार में दो चीजों की मांग है। पहला- विषय विशेष से संबंधित डिग्री, जो पासपोर्ट का कार्य करती है। दूसरा- उस विषय का ज्ञान जो उसे डिग्री पाने के बाद करना पड़ता है। हमारी शिक्षण संस्थाओं में प्रयुक्त पाठ्यक्रम सामान्य रूप से सैद्धांतिक प्रकृति का होता है जिसे यदि विद्यार्थी सही ढंग से समझ ले, तो आवश्यकता पड़ने पर कहीं भी प्रयोग कर सकता है। आज न तो शिक्षक विषय को सही रूप में प्रस्तुत करने की स्थिति में हैं और न ही विद्यार्थियों में इतना धैर्य होता है कि चीज़ को बारीकी से समझ सकें। परिणाम यह होता है कि विद्यार्थियों को सतही शिक्षा दी जाती है जिसका व्यावहारिक जीवन में कोई भी उपयोग दिखाई नहीं देता। हमारे पाठ्यक्रम वही पुरानी बातें अलग-अलग तरीक़े से प्रस्तुत की जाती हैं। कभी एक विषय घटा दिया जाता है तो कभी एक विषय को जोड़ दिया जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि पढ़ाई और पाठ्यक्रम दोनों में आमूलचूल परिवर्तन लाया जाए। संस्थाओं में मुख्य रूप से दो प्रकार के पाठ्यक्रम होने चाहिए :

- **पारंपरिक पद्धति पर आधारित–** जहां सैद्धांतिक विवेचना व्यापक और विशद रूप में पढ़ाई जाए और उसमें केवल उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाए जो शिक्षक बनना चाहते हैं या शोध कार्यों में जाना चाहते हैं। इस प्रकार की संस्थाओं की संख्या बहुत सीमित होनी चाहिए और यहां शिक्षकों की भर्ती/नियुक्ति बहुत कड़ी कसौटियों से गुज़रने के बाद की जानी चाहिए। इसमें तदर्थ या ठेके वाली व्यवस्था नहीं चल सकती। ये संबंधित विषयों में अधोसंरचना से लेकर ऊपर के ढांचे को बनाने में सहयोग करने वाली संस्थाएं होनी चाहिए।

देश में विभिन्न दशकों में साक्षरता दर

सन्	महिला साक्षरता	पुरुष साक्षरता	कुल
1951	08.86	27.16	18.33
1961	15.35	40.40	28.30
1971	21.97	45.96	34.45
1981	29.76	53.38	43.57
1991	39.29	64.13	52.21
2001	53.67	75.26	64.84

स्रोत : राष्ट्रीय जनगणना अभिलेख, 2001

- **पूर्णत: व्यावहारिक–** संस्थाओं को घिसे-पिटे प्रकार के पाठ्यक्रमों को बंद कर देना चाहिए जिनमें थोड़ा-थोड़ा सभी सिद्धांतों की चर्चा होती है और जिन्हें वर्तमान में रूटीन तरीक़े से पढ़ाया जा रहा है। इनमें से कई चीज़ें विद्यार्थी के लिए अनुपयोगी होती हैं और उनकी रुचि उसमें नहीं होती पर उसे मजबूरन पढ़ना पड़ता है। इसके स्थान पर ऐसे पाठ्यक्रम चलाए जाने चाहिए जिनकी बाज़ार में मांग है। जैसेकि आजकल विपणन एवं रिटेल विपणन प्रबंधन आदि काफी प्रचलित क्षेत्र हैं। यहां अलग-अलग प्रकार की वस्तु के विपणन के लिए अलग-अलग प्रकार के पाठ्यक्रम चलाए जाने चाहिए। छात्रों को उसी से संबंधित बातें सिखाई जानी चाहिए। जितने भी विषय हों वे सब उसी से संबंधित हों। उसे 'जैक ऑफ ऑल' बनाने की कोशिश कदापि नहीं होनी चाहिए। संस्थानों में पाठ्यक्रम बनाने का दायित्व विशेषज्ञों को दिया जाना चाहिए जो किसी उत्कृष्ट विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हो। ये मोटे तौर पर व्यावहारिक ज्ञान देने वाले पाठ्यक्रम होने चाहिए। आज बैंकिंग, बीमा, पर्यटन, फ़ैशन, विश्व व्यापार, संविलयन और अधिग्रहण, पर्यावरण जैसे अनेक क्षेत्र हैं जिनमें पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाने चाहिए। इसमें शिक्षकों को पहले अपना ज्ञान बढ़ाना होगा।

अच्छे शिक्षकों की कमी भी एक बड़ी समस्या है जिसका तत्काल कोई हल समझ में नहीं आता सिवाय इसके कि शिक्षकों का चुनाव कड़े मापदंडों के आधार पर किया जाए और उनको आकर्षक वेतन दिया जाए जैसाकि अन्य क्षेत्रों के व्यक्तियों को मिलता है।

सार यह है कि उच्च शिक्षा की अकादमिक क्रियाओं एवं उनमें अपनाई जाने वाली आधुनिक तकनीकों के उचित समन्वय से शिक्षा के मूल उद्देश्यों को प्रभावपूर्ण तरीक़े से प्राप्त किया जा सकता है और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में आ रही चुनौतियों का युक्तियुक्त समाधान किया जा सकता है। संभव है कि प्रारंभिक स्तर पर नवीन तकनीक अपनाने में कुछ विषमताएं आएं परंतु उचित सहयोग और समन्वय से भविष्य में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। ❑

(लेखक बंसल प्रबंधन संस्थान, भोपाल में प्रोफेसर हैं। ई-मेल: chansoriam@rediffmail.com

जनजातीय शिक्षा : मंज़िल अभी दूर है

● ऋतु सारस्वत

यह सर्वविदित और सर्वव्यापी सत्य है कि शिक्षा के बिना विकास संभव नहीं है और यही कारण है कि स्वतंत्रता के पश्चात देश के नागरिकों को शिक्षित करने के अनवरत प्रयास किए जा रहे हैं। सामाजिक-आर्थिक जीवन के तमाम क्षेत्रों की ही तरह जनजातीय समाज औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। भारत में कई कारणों से जनजातीय समाज शिक्षा से वंचित रहा और यही कारण है कि अन्य समुदायों की तुलना में उनकी साक्षरता दर कम और स्कूल छोड़ने की दर बहुत ज़्यादा है। 2001 के आंकड़ों के अनुसार अन्य समुदायों की साक्षरता दर 65.38 प्रतिशत के मुक़ाबले जनजातियों की साक्षरता दर 47.10 प्रतिशत थी, वहीं स्कूल छोड़ने की दर 53.37 प्रतिशत थी। मैट्रिक स्तर तक पहुंचते-पहुंचते जनजातीय समाज के 80.29 प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 45 में शिक्षा के नीतिगत सिद्धांतों में कहा गया है कि संविधान के लागू होने के दस सालों के भीतर 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए मुफ़्त शिक्षा अनिवार्य कर दी जाए। 1950 से लेकर आज तक सभी प्रकार के सरकारी प्रयासों के बावजूद यह लक्ष्य अधूरा है। पिछले कुछ वर्षों में जनजातियों की शिक्षा के लिए अनेकानेक प्रयास किए गए हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जनजातियों का निवास स्थल दुर्गम जगहों पर है, भारत सरकार ने जनजातीय छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावासों के निर्माण की योजना आरंभ की है। यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी प्रमुख विशेषता प्राथमिक, माध्यमिक तथा महाविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए मौजूदा छात्रावास भवनों के विस्तार और नये छात्रावासों के निर्माण की व्यवस्था है। इसी तरह 1990-91 में जनजातीय आयोजना क्षेत्रों में 'आश्रम विद्यालय' की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य पुरातन गुरुकुल परंपरा का निर्वहन करते हुए, जनजातीय क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं को बढ़ावा देना है। इस योजना की मुख्य विशेषता यह है कि नये स्कूलों के स्थान तथा दाखिला नीति का निर्णय इस प्रकार से किया जाता है जिसमें प्राथमिकता अनुसूचित जाति-जनजाति की बालिकाओं, देशांतरित अनुसूचित जनजाति, श्रमिक तथा खानाबदोश जनजातियों को दी जा सके। भारत में बालिका शिक्षा सदैव से ही उपेक्षित रही है। कमोवेश यह स्थिति जनजातीय समाज की भी है। इस समस्या के निराकरण के लिए वर्ष 1993-94 में शैक्षिक परिसरों की स्थापना की गई। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य देश में कम साक्षरता वाले जिलों में जनजातीय बालिकाओं में शिक्षा को बढ़ावा देना है। यह योजना, महिलाओं की शिक्षा के माध्यम से, ग़रीब तथा अनपढ़ जनजातीय लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रयासरत है।

जनजातियों में शिक्षा के प्रति रुझान तभी बढ़ सकता है जब शिक्षा का स्वरूप जनजाति समाज की पृष्ठभूमि को केंद्रित करता हुआ हो। पाठ्यक्रम का रुझान इस प्रकार से हो कि जनजातियां शिक्षा के साथ-साथ अपने परंपरागत मूल्यों को कायम रख सकें। यह आवश्यक है कि विद्यालयों को केवल क़िताबी ज्ञान देने तक सीमित नहीं किया जाए बल्कि सरल तकनीकों तथा जानकारी के प्रचार-प्रसार का केंद्र और साथ ही विद्यार्थियों में सामाजिक-आर्थिक बदलाव की क्षमता के विकास में सहायत बनें। जनजातियों में शैक्षणिक स्थिति बदहाल होने का एक प्रमुख कारण उनकी निम्न आर्थिक स्थिति है। एरियर एल्विन (1963) ने जनजातियों की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि 'जनजातीय परिवार के लिए अपने किशोर बेटे और बेटी को स्कूल भेजना आर्थिक मुद्दा है। इसमें श्रम विभाजन के परंपरागत स्वरूप में व्यवधान उत्पन्न होता है।' एल्विन के वक्तव्य की प्रासंगिता चार दशक बीत जाने के बाद भी बरकरार है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने जनजाति शिक्षा के उत्थान के हेतु उन विषयों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया है जिससे आर्थिक स्वालंबन के मार्ग प्रशस्त हो सकें। इस कड़ी में कम साक्षरता वाले केंद्रों में शैक्षिक परिसरों की स्थापना सिर्फ़ औपचारिक शिक्षा ही उपलब्ध नहीं कराती बल्कि विद्यार्थियों को कृषि, पशुपालन तथा व्यवसायों एवं शिल्पों में प्रशिक्षण देकर आर्थिक सुदृढ़ीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है। इस योजना के तहत जहां बालिकाओं को पूर्ण रूप से मुफ़्त शिक्षा दी जाती है वहीं विद्यार्थियों के अभिभावकों को प्रतिमाह 50 रुपये प्रोत्साहन के रूप में दिए जाते हैं ताकि वे अपने बच्चों को विद्यालय भेज सकें। वर्ष 2007-08 के मध्य केंद्र सरकार द्वारा 59 शैक्षिक परिसरों की स्थापना के लिए 871 करोड़ रुपये जारी किए गए जिससे 7,775 अनुसूचित जनजाति बालिकाएं लाभान्वित हुईं।

जनजातियों की आर्थिक स्थिति उनकी शिक्षा में व्यवधान न बने इस उद्देश्य को सामने रखते हुए अनुसूचित जनजाति छात्र-छात्राओं के लिए 'मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक और प्रतिभा उन्नयन योजना (पीएमएस) चलाई जा रही है। इस योजना से 10.52 लाख छात्रों से भी अधिक छात्र लाभान्वित हुए। दिसंबर 2007 तक केंद्र द्वारा इस योजना पर 140.86 करोड़ रुपये व्यय किए गए। 'पुस्तक बैंक योजना' विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए है जो चिकित्सा, अभियांत्रिकी, कृषि, पशुचिकित्सा, पॉलीटेक्नीक, विधि, चार्टर्ड एकाउंटेसी, जैव विज्ञान, व्यापार प्रबंधन जैसे विषय पढ़ते हैं और जिनके लिए विषय विशेष की पुस्तकों

की अनुपलब्धता (उच्च मूल्यों के कारण) शिक्षा में बाधक बनती है। व्यावसायिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों से अनुसूचित जनजाति के छात्रों द्वारा पढ़ाई छोड़कर जाने की दर कम करने के लिए इस योजना के अंतर्गत पुस्तकें ख़रीदने के लिए धन प्रदान किया जाता है। जनजातियों के शैक्षणिक स्तर में सुधार के साथ, भारत सरकार जनजाति विद्यार्थियों की योग्यता बढ़ाने हेतु भी प्रयासरत है और इसके लिए 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को सुधारात्मक और विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सुधारात्मक प्रशिक्षण का उद्देश्य विभिन्न विषयों में कमज़ोरियां दूर करना है जबकि 'विशेष प्रशिक्षण' का उद्देश्य इंजीनियरिंग तथा मेडिकल जैसे विषयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित करना है। वर्ष 2005-06 में राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना आरंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को एमफिल और पीएचडी जैसे उच्चतर अध्ययनों हेतु फेलोशिप के रूप में वित्तीय सहायता देना है। उच्चतर अध्ययनों को बढ़ावा देने के लिए 'राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना' भी प्रारंभ किया गया है। यह एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य केवल इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में उच्चतर अध्ययन कर रहे अनुसूचित जनजाति छात्र-छात्राओं को सहायता प्रदान करना है। इसी प्रकार जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 2007-08 से अजजा विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा हेतु नवीन योजना आरंभ की है जिसका उद्देश्य चुनिंदा उत्कृष्ट संस्थानों में से किसी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा प्राप्त कर रहे मेधावी अजजा विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है।

सरकार द्वारा संभवत: हर वह प्रयास किए जा रहे हैं जिससे जनजाति समाज शिक्षित हो सके। इस कड़ी में, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत उन स्वैच्छिक संगठनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जो आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों, चिकित्सा इकाइयों, कंप्यूटर प्रशिक्षण इकाइयों जैसी परियोजनाओं के लिए काम करते हैं। योजना आयोग के मुताबिक देश के सबसे ग़रीब 108 जिले में चल रहे 'पुअरेस्ट एरिया सिविल सोसायटी' कार्यक्रम के तहत लोगों को साक्षर करने का प्रयास जारी है। स्वयंसेवी संगठन समुदाय के आंतरिक संसाधनों से ही साक्षरता को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। कम से कम आठवीं कक्षा तक सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से ही नेशनल कांफ्रेंस ऑफ दलित आर्गेनाइजेशन ने आंदोलन चलाया है। देश के 27 हज़ार गांवों के 8 लाख वनवासी बच्चों को एकल विद्यालय फाउंडेशन मुफ़्त शिक्षा उपलब्ध करा रहा है।

इन सभी प्रयासों के बावजूद आज भी जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा के विकास की गति धीमी क्यों है? यह एक विचारणीय प्रश्न है। इसके जो कारण सामने उभर कर आए हैं उनमें सर्वप्रमुख उपयुक्त अध्यापकों की कमी है। जनजातीय विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए नियुक्त अधिकतर अध्यापकों को जनजातीय जीवन एवं मूल्य प्रणाली की समझ बहुत कम होती है और यही वजह है कि उनका विद्यार्थियों के साथ तालमेल संभव नहीं हो पाता। अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि जनजातीय क्षेत्रों में अध्यापकों को जनजातीय जीवन और संस्कृति का भलीभांति ज्ञान होना चाहिए। तभी वह विद्यार्थियों के पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य कर सकेंगे।

जनजातीय शिक्षा के मार्ग में एक प्रमुख समस्या भाषा की है। अधिकतर जनजातीय भाषाएं और बोलियां अपने विकास के प्रारंभिक चरण में है तथा उनका लिखित साहित्य भी कम है। अधिकतर राज्य जनजातीय और गैर-जनजातीय लोगों को एक समान शिक्षा देती हैं। शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं होती है जिसे समझना जनजाति छात्रों के लिए सहज नहीं होता।

समस्याओं को दूर करके ही इन विद्यार्थियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाई जा सकती हैं। शिक्षा सामाजिक दृष्टि से उपेक्षित वर्गों को अधिकार संपन्न बनाने का सबसे कारगर माध्यम है। जनजातियों के सांस्कृतिक परिदृश्य, उनकी प्रतिभा और विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें उपयुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। ❑

(लेखिका समाजशास्त्री हैं।
ई-मेल : saraswatritu@yahoo.co.in)

स्कूल छोड़ने वालों में लड़कियां कम

देश के छह राज्यों में बच्चों के स्कूल छोड़ने (ड्रॉप आउट) की दर में भारी कमी आई है। इससे भी ज्यादा अच्छी ख़बर यह है कि स्कूल छोड़ने वालों में लड़कियों की संख्या लड़कों के मुक़ाबले कम है। अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के बच्चों में भी स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति कम देखी जा रही है।केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट में यह दावा किया गया है।

स्कूल छोड़ने की दर में कमी दर्ज़ करने वाले छह राज्यों में शामिल महाराष्ट्र में स्कूल छोड़ने वाले पहली से पांचवीं कक्षा के बच्चों की संख्या वर्ष 2004-06 के सात फीसदी के मुक़ाबले 2006-07 में घटकर ढाई फीसदी रह गई है। मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, यह उपलब्धि दर्ज़ करने वाले छह राज्यों में स्कूल छोड़ने की दर इसी अवधि में 29 प्रतिशत से गिरकर 22 प्रतिशत रह गई है।

देशभर के राज्यों की बात करें तो 2004 की तुलना में स्कूल छोड़ने की दर 2008 में चार फीसदी कम हुई है। इसका मतलब हुआ कि स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या 2.5 करोड़ से घटकर अब सिर्फ़ 76 लाख ही रह गई है। 2004 से 2007 तक के तीन साल में सर्वशिक्षा अभियान की प्रगति के चलते 23 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में पहली कक्षा से पांचवीं कक्षा तक स्कूल छोड़ने की दर 29 प्रतिशत से कम होकर 25 प्रतिशत रह गई है। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, केरल और दिल्ली समेत पांच राज्य ऐसे हैं, जहां स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या शून्य तक आ गई है। पंजाब और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में भी स्कूल छोड़ने की दर गिरी है, लेकिन बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मणिपुर और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में यह दर बढ़ी है। ❑

सर्वशिक्षा अभियान : समन्वय से मिलेगी मंज़िल

● मनीष कुमार सिन्हा

अंधकार को कोसने से अच्छा है, एक दीपक जला दिया जाए और शिक्षा ही एक ऐसा दीप है जो अज्ञानता रूपी अंधकार को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है। सर्वशिक्षा अभियान के रूप में सरकार इसी लक्ष्य पर काम कर रही है। इस अभियान का उद्देश्य है उन सभी पिछड़े बच्चों को शिक्षित करना जो कल तक अक्षर और क़िताबों की दुनिया से अनजान थे।

जहां वर्ष 1951 में हमारे देश में साक्षरता की दर सिर्फ़ 18.33 प्रतिशत थी वहीं वर्ष 2001 में यह दर 64.84 प्रतिशत आंकी गई। बावजूद इसके आज भी हमारे राष्ट्र के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण निरक्षरता ही है। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड जैसे कई राज्यों में आधी से ज्यादा महिलाएं आज भी निरक्षर हैं। यहां तक कि आदिवासी इलाकों और दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली औरतों का अभी भी शिक्षा से कोई वास्ता नहीं है।

ऐसे ही लोगों को शिक्षित करने के लिए सरकार ने अपने आठ प्रमुख कार्यक्रमों में सर्वशिक्षा कार्यक्रम को शामिल किया है। इस कार्यक्रम के तहत समेकित बाल विकास योजना, आंगनबाड़ी तथा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर स्कूल-पूर्व शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाता है। सर्वशिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा को सामुदायिक स्वामित्व वाली स्कूल प्रणाली के साथ सर्वव्यापी बनाने का एक प्रयास है।

उद्देश्य

सर्वशिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य ऐसी बस्तियों में स्कूल खोलना है जहां क़रीब एक किलोमीटर के दायरे में एक भी स्कूल नहीं है। इन स्कूलों में ऐसे बच्चों को शिक्षा दी जाती है जो स्कूल नहीं जाते हैं या फिर ग़रीबी के कारण जिनकी पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। इस अभियान का लक्ष्य वर्ष 2007 तक सभी बालक-बालिका को शिक्षा उपलब्ध कराना था और वर्ष 2010 तक सामाजिक भेदभाव दूर कर सभी को प्राथमिक स्तर की शिक्षा से जोड़ना है। बेहतर शिक्षा के अलावा कंप्यूटरयुक्त अध्ययन और बच्चों की देख़भाल तथा इसके साथ ही लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना भी निहित है।

बालिका शिक्षा पर ज़ोर

सर्वशिक्षा अभियान में बालिकाओं के लिए कई महत्वकांक्षी योजनाएं शामिल की गई हैं। आठवीं कक्षा तक की बालिकाओं के लिए मुफ़्त पाठ्य-पुस्तकें और अधिक उम्र की बालिकाओं के लिए सेतु पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। इनके अध्यापन के लिए 50 प्रतिशत महिला शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान रखा गया है। लड़के-लड़कियों में एक समान शिक्षा देने के लिए शिक्षकों को संवेदनशील बनाने पर ज़ोर दिया जा रहा है। स्कूल से बाहर की बालिकाओं को विद्यालय में लाने के लिए शिविर का आयोजन भी किया जाता है।

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई एक और योजना का नाम है- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। सन् 2004 में इस योजना की शुरुआत की गई थी जिसका उद्देश्य लड़कियों को उच्चतर प्राथमिक स्तर पर शिक्षा हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। सर्वशिक्षा अभियान के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का वित्तपोषण 1 अप्रैल, 2007 से एक घटक के रूप में किया जाता है।

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का नतीज़ा कई राज्यों में दिखने भी लगा है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे कई प्रांतों में लड़कियां उन सभी क्षेत्रों में काम कर रही हैं जहां पहले पुरुषों का दबदबा था। यहां तक कि लड़कियों को ताड़ के पेड़ पर चढ़ने का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में महिलाएं स्वयंसेवी संस्थाएं चलाकर स्वावलंबी बन रही हैं।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति और अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्रावधान

सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत देश में क़रीब दो सौ जिलों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जहां इनकी संख्या अधिक है वहां पर्याप्त संख्या में स्कूल खोले जा रहे हैं। इनके लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों की भर्ती के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। इन वर्गों की लड़कियों को भी शिक्षा उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जाती है।

सर्वशिक्षा अभियान में मुस्लिम बहुल राज्यों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्कूलों में नामांकन के लिए मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से श्रेणी रखी गई है। मदरसों और मक़तबों में दी जाने वाली शिक्षा को भी सर्वशिक्षा अभियान में शामिल किया गया है। मुस्लिम समुदाय की लड़कियों को कक्षा एक से आठ

तक मुफ़्त किताबें उपलब्ध कराई जाती हैं और जहां उर्दू माध्यम स्कूल है वहां उर्दू पाठ्य पुस्तकें भी मुहैया कराई जाती हैं। अल्पसंख्यक बहुल पिछड़े इलाकों में केवल लड़कियों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय बहुतायत से खोले गए हैं।

सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से असमर्थ बच्चों के लिए 1,200 रुपये प्रति बालक प्रतिवर्ष का प्रावधान भी किया गया है। इस योजना के तहत विकलांग बच्चों और विकलांग बालिकाओं की आवश्यकतानुसार स्कूल भवनों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

भावी योजनाएं

सर्वशिक्षा अभियान को और सुलभ बनाने के लिए देश के सभी जिलों में द्रुत गति से काम किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 4 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों को सर्वसुलभ नामांकन सुनिश्चित कराने के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जा रही है।

देश के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में एक किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक स्कूल और शेष ग्रामीण बस्तियों में वैकल्पिक स्कूली शिक्षा की व्यवस्था की गई है जिसमें शिक्षा गारंटी योजना भी शामिल है। इस योजना के तहत बीच का कोई भी ऐसा इलाका जहां 6-14 आयुवर्ग के स्कूल से बाहर घट गए बच्चों की संख्या 25 है वहां शिक्षा गारंटी योजना चलाई जाएगी और जब तक प्राथमिक स्कूल नहीं खुल जाता तब तक इस योजना की अस्थायी व्यवस्था बनी रहेगी। इन केंद्रों में बच्चों को औपचारिक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है तथा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

सर्वशिक्षा अभियान में समुदाय आधारित कार्यान्वयन और स्कूलों का स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए ज़मीनी स्तर पर विकेंद्रीकरण और विचार-विमर्श पर बल दिया गया है। समुदाय आधारित दृष्टिकोण के ज़रिये बस्ती स्तर पर आयोजन, स्कूल कार्यकलापों की निगरानी और बड़ी संख्या में कार्यकलापों का निष्पादन ग्राम शिक्षा समितियों अथवा इसके समकक्ष संस्थाओं द्वारा किया है।

कंप्यूटर शिक्षा पर ज़ोर

सर्वशिक्षा अभियान को और अधिक कारगर बनाने के लिए प्राथमिक स्कूलों में कंप्यूटर सहायक अध्ययन पद्धति को अपनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक-निजी साझेदारी को प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसी भागीदारी की सुविधा के लिए राज्य परियोजना निदेशकों और निजी उद्यम के प्रतिनिधियों के साथ शहरों में कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। शिक्षा की गुणवता में सुधार के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर कंप्यूटर की सहायता से शिक्षा और बच्चों के स्वतंत्र प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाती है।

समन्वय की आवश्यकता

हालांकि सर्वशिक्षा अभियान देश के कई राज्यों में पिछले कई वर्षों से चलाया जा रहा है, प्रदेश का हर बालक-बालिका शिक्षित हो, इसके लिए सरकार द्वारा मोटी धन राशि भी व्यय की जा रही है, लेकिन इस योजना में कहीं-न-कहीं समन्वय की कमी देखने को मिलती है। कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस अभियान को सफल बनाने में योगदान कर रही हैं, परंतु अभी भी शिक्षा का प्रवाह गांवों में पूरी तरह नहीं हो पाया है। गौर से देखा जाए तो इसमें कुछ दोष नज़र आता है। प्राथमिक विद्यालय अपेक्षित रूप से अपने काम का दायित्व पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ये विद्यालय अपनी अधिगम एवं जनसंपर्क में आने वाली कठिनाइयों पर विचार-विमर्श न कर के सरकारी परिपत्रों के वाचन एवं विद्यालय प्रदत्त विभिन्न मदों की राशि के उपयोग एवं उनकी प्रगति का प्रतिवेदन एकत्र करने पर ज़ोर देते हैं। फलतः विद्यालय के शिक्षक अपने शिक्षण अनुभवों के आदान-प्रदान से प्रशिक्षण प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। होना यह चाहिए कि इन बैठकों में विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्षों को भी आमंत्रित किया जाए तभी इस शिक्षा अभियान में जनता की भागीदारी संभव है। जो शिक्षक प्रशिक्षित और योग्य हैं उनके धन के लिए विद्यालय में पुस्तकें नहीं हैं।

'डायट' जैसी संस्थाओं को पूर्ण सक्रिय होकर कई चरणों में प्रत्येक शिक्षक को प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि शिक्षकों पर किया गया व्यय व्यर्थ न जाए। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए शिक्षकों की कार्यक्षमता एवं प्रशिक्षण के विभिन्न आयामों के प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

विद्यालय शिक्षा समिति एवं पंचायत के बीच वर्चस्व की लड़ाई नहीं बल्कि समन्वय की बात होनी चाहिए। स्वैच्छिक संस्थाओं एवं विभागों के बीच आपसी तालमेल की भी आवश्यकता है।

यदि इन सभी बातों पर ध्यान दिया जाए और समीक्षा की जाए तो वह दिन दूर नहीं जब इस अभियान की सफलता देश के हर गांव में देखने को मिलेगी। ❑

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

अपने लेख हमें ई-मेल करें

आप हमें अपने लेख और पत्र ई-मेल भी कर सकते हैं। ई-मेल करने इसके लिए कृतिदेव फांट इस्तेमाल करें और वर्ड ओपन फाईल exeed.yojana@gmail.com अथवा yojanahindi@gmail.com पर भेजें। एक से अधिक लेखकों के नाम केवल विशेष शोध लेखों पर ही दें। जिन रचनाओं के साथ मौलिकता का प्रमाणपत्र संलग्न नहीं होगा वे स्वीकार नहीं की जा सकेंगी। रचना के प्रकाशन के संबंध में किसी प्रकार का पत्र-व्यवहार अथवा फोन न करें। विशेष अवसरों के लिए लेख तीन माह पूर्व प्राप्त हो जाने चाहिए। रचनाओं के साथ यथासंभव प्रासंगिक चित्र भी भेजें। डाक से भेजे जाने वाले लेखों की एक प्रति सीडी में भी भेजें। वापसी के लिए कृपया टिकट लगा और पता लिखा लिफ़ाफ़ा संलग्न करें।

– वरिष्ठ संपादक

उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग

● कनक शर्मा

सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग पर रोक लगाने हेतु ज़रूरी सुझाव देने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वर्ष 2006 में सीबीआई के पूर्व निदेशक आर. के. राघवन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति के गठन के बावजूद आज भी उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई जा सकी है। कभी व्यक्तित्व के विकास के लिए ज़रूरी मानी जाने वाली रैगिंग ने आज एक मानसिक विकृति और घृणित हिंसा का रूप ले लिया है।

विगत कुछ महीनों में रैगिंग के कारण घटित तीन घटनाएं शिक्षा जगत में चर्चा का विषय रही हैं। पहली घटना हिमाचल प्रदेश के टांडा स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद सरकारी मेडिकल कॉलेज की है जहां रैगिंग के कारण 19 वर्षीय छात्र अमन सत्व काचरु की मौत हुई। इसके तुरंत बाद घटित दूसरी घटना आंध्र प्रदेश के गुंटुरु के कृषि महाविद्यालय की है जिसमें महाविद्यालय की छात्रा नंदीमिती त्रिवेणी ने रैगिंग से परेशान होकर अपनी जान देने की कोशिश की। तीसरी घटना हैदराबाद के वासवी इंजीनियरिंग कॉलेज की है, जिसमें एमएसए द्वितीय वर्ष के 22 वर्षीय छात्र देवेंद्र कुमार ने अपने वरिष्ठों की रैगिंग से तंग आकर आत्महत्या कर ली। रैगिंग के कारण घटित उपर्युक्त सभी घटनाएं वास्तव में शिक्षा जगत के लिए चिंता का विषय है।

जहां एक ओर विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को ज्ञान का केंद्र माना जाता है वहीं दूसरी ओर ये छात्रों में परस्पर सम्मान, मित्रता और समझ भी विकसित करते हैं। परंतु प्रत्येक वर्ष नया शिक्षण-सत्र शुरू होने पर रैगिंग से उनकी पवित्रता इसी तरह प्रभावित होती है।

क्या है रैगिंग?

विश्व के विभिन्न भागों में रैगिंग को हैजिंग, फैजिंग, हॉर्स प्लेयिंग, बुलिंग आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। रैगिंग के ये विभिन्न नाम अवश्य हैं परंतु इन सभी का स्वरूप एक ही है अर्थात नये आने वाले विद्यार्थियों का स्वागत कठोर ढंग से करना।

रैगिंग की शुरुआत आठवीं शताब्दी में हुई। आठवी शताब्दी में इन गतिविधियों का प्रयोग यूनानी संस्कृति में खेल से संबंधित समुदाय में शामिल होने वाले नये व्यक्तियों को समुदाय की विभिन्न रीतियों से परिचित कराने और उनके अंदर टीम भावना विकसित करने के लिए किया जाता था।

धीरे-धीरे यह रीति सेना में प्रवेश कर गई। प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात जो सैनिक युद्ध से लौटे उन्होंने कॉलेजों में प्रवेश लिया तथा उन्होंने सेना में अपनाए जाने वाले क्रूरतापूर्ण व्यवहार कॉलेजों में रैगिंग के दौरान करना आरंभ कर दिया जहां से अंतिम रूप में इस रीति ने शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश किया और अपनी जड़ें जमा लीं। इस प्रकार शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश करने के साथ-साथ इस रीति में हिंसात्मक गतिविधियों का समावेश होने लगा।

विश्व में रैगिंग के परिणामस्वरूप सबसे पहली घटना सन् 1873 में कार्नोल विश्वविद्यालय में घटित हुई। इस घटना में एक छात्र क्रूरतापूर्ण व्यवहार के कारण मारा गया। भारत में रैगिंग अंग्रेज़ों की दी हुई विरासत है। भारत में रैगिंग का आगमन अंग्रेज़ी शिक्षा के साथ ही हुआ था।

हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त आर. के. राघवन कमेटी के सुझावों के आधार पर रैगिंग की परिभाषा को संशोधित करके उसे और अधिक व्यापक बना दिया है। यूजीसी ने इस अपराध के तहत कई नये कृत्यों को शामिल किया है। यूजीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार चूंकि रैगिंग में समान सत्र के छात्र भी शामिल हैं। अत: अब यह सिर्फ़ वरिष्ठ छात्रों तक सीमित नहीं होगा। यूजीसी के अनुसार निम्न में से एक अथवा अनेक कार्य रैगिंग के अंतर्गत आएंगे :

- किसी छात्र अथवा छात्रों द्वारा नये आने वाले छात्र का मौखिक अथवा लिखित शब्दों द्वारा उत्पीड़न अथवा दुर्व्यवहार करना।
- अकादमिक कार्य पूरा कराने के लिए छात्र/छात्रों से ज़ोर-जबर्दस्ती करना।
- किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो यह सामान्य स्थिति में न करे तथा जिससे नये छात्र में लज्जा, पीड़ा अथवा भय की भावना उत्पन्न हो।
- नये छात्र से जबरन रुपये की मांग करना या किसी भी प्रकार से आर्थिक शोषण करना।
- वरिष्ठ छात्र द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जो किसी अन्य अथवा नये छात्र के चलते हुए शैक्षिक कार्य में बाधा पहुंचाए।
- शारीरिक शोषण का कोई भी कार्य किसी भी प्रकार का यौन शोषण, समलैंगिक प्रहार, नंगा करना, अश्लील तथा काम संबंधी कार्य हेतु विवश करना, अंग चालन द्वारा

बुरे भावों की अभिव्यक्ति करना, किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट जिससे किसी व्यक्ति अथवा उसके स्वास्थ्य को हानि पहुंचे।

- मौखिक शब्दों द्वारा किसी को गाली देना; ई-मेल, डाक, सार्वजनिक रूप से किसी को अपमानित करना; किसी को कुमार्ग पर ले जाना, कष्ट देना या सनसनी पैदा करना जिससे छात्र को घबराहट हो।
- कोई कार्य जिससे नये छात्र के मन-मस्तिष्क अथवा आत्मविश्वास पर दुष्प्रभाव पड़े।

भारत में रैगिंग की स्थिति

भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रत्येक वर्ष नया शिक्षण-सत्र आरंभ होते ही रैगिंग के अनेक संगीन मामले प्रकाश में आने लगते हैं। रैगिंग रोकने के लिये कार्यरत एक स्वयंसेवी संस्था 'सोसायटी अगेंस्ट वायलेंस इन एजुकेशन' (सेव) के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष रैगिंग के कारण नौ छात्रों की मृत्यु हो जाती है ओर सैकड़ों छात्र या तो विकलांग हो जाते हैं या उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है।

सेव के आंकड़ों के अनुसार उच्चतम न्यायालय की सख्ती के बावजूद पिछले आठ वर्षों में रैगिंग के कारण 72 छात्रों की मृत्यु हो चुकी है। प्रत्येक वर्ष इतने छात्रों की मृत्यु होने और उन्हें मानसिक रूप से बीमार बनाने के बावजूद रैगिंग रूपी यह आपराधिक गतिविधि रुकने के स्थान पर बढ़ती ही जा रही है।

अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो इस दिशा में राज्य सरकारों द्वारा भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। तीस में से केवल छह राज्यों ने ही रैगिंग को रोकने के लिए कानून बनाया है। सबसे पहले तमिलनाडु सरकार ने 1997 में रैगिंग के ख़िलाफ़ कानून पारित किया।

उत्तर प्रदेश सरकार ने रैगिंग के विरुद्ध पहली बार 30 मार्च, 2009 को शासनादेश जारी किया। इस शासनादेश के अनुसार राज्य के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालयों में रैगिंग को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि रैगिंग में लिप्त पाए जाने पर किसी भी विद्यार्थी को न केवल प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा बल्कि प्रवेश पाने के बाद विद्यार्थी को संस्था से निष्काषित भी कर दिया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश में तो सत्रह वर्ष पूर्व रैगिंग को रोकने के लिए बना अध्यादेश, अमन सत्य काचरु की रैगिंग के कारण हुई दुखद मृत्यु होने के बाद अब कहीं जाकर जारी हुआ है।

रैगिंग रोकने के लिए उठाए गए कदम

– राघवन समिति

केंद्रीय मानव विकास संसाधन मंत्रालय ने 27 नवंबर, 2006 को सीबीआई के पूर्व निदेशक आर. के. राघवन की अध्यक्षता में राघवन समिति का गठन किया था। इस समिति को रैगिंग रोकने के उपाय सुझाने का उत्तरदायित्व दिया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 16 मई, 2007 को प्रस्तुत की। रैगिंग पर अंकुश लगाने के लिए कड़ा रुख अपनाते हुए राघवन समिति की इस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 फरवरी, 2009 को रैगिंग रोकने संबंधी निर्देश दिए साथ ही कोर्ट ने रैगिंग को भारतीय दंड विधान की विशेष धारा के तहत लाने को भी कहा।

राघवन समिति की इस रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग पर रोक लगाने हेतु निम्न बातें कहीं हैं :

- रैगिंग की शिकायत मिलने पर रैगिंग में लिप्त विद्यार्थियों के ख़िलाफ़ तुरंत प्राथमिकी दर्ज़ की जाए। यदि किसी भी शिक्षण संस्थान द्वारा प्राथमिकी दर्ज़ करने में लापरवाही की जाती है या जान-बूझकर देरी जाती है तो उसे दंडनीय अपराध माना जाएगा तथा ऐसे शिक्षण संस्थान को दंडित किया जाएगा।
- रैगिंग पर रोक लगाने हेतु तय दिशा-निर्देशों का पालन सभी शिक्षण संस्थानों के लिए अनिवार्य होगा। जो शैक्षिक संस्थान रैगिंग रोकने में असफल रहते हैं, राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार उनकी मान्यता रद्द कर दें।
- न्यायाधीश अरिजित पसायत की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों से स्पष्ट कहा है कि यदि अपने सहपाठियों और कनिष्ठ छात्रों की रैगिंग करने वाले छात्रों को दोषी पाया गया तो उन्हें उनके संस्थान से तुरंत निलंबित कर दिया जाए।
- न्यायालय ने भारतीय चिकित्सा परिषद, यूजीसी और विभिन्न विश्वविद्यालयों से कहा है कि वे सभी नामांकन से संबंधित विवरण पुस्तिका में रैगिंग संबंधी राघवन समिति के दिशा-निर्देशों का उल्लेख करें तथा विवरण पुस्तिका में इस बात का स्पष्ट उल्लेख करें कि रैगिंग लेने वाले छात्रों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।

यूजीसी का मसौदा नियमन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने हाल ही में तैयार अपने मसौदा नियमन में रैगिंग का दोषी पाए जाने वाले छात्रों को शैक्षिक संस्थानों में नामांकन के लिए आजीवन प्रतिबंध लगाने की सिफ़ारिश की है। इस मसौदा नियमन में रैगिंग के दोषी छात्रों को एक से चार सेमेस्टर के लिए निकाले जाने का प्रावधान किया गया है। इसमें दंड स्वरूप कक्षा से निकाले जाने और 25 हज़ार रुपये का आर्थिक दंड दिए जाने की व्यवस्था की गई है। रैगिंग के लिए दोषी ठहराए गए छात्रों को संस्थान को रैगिंग विरोधी समिति द्वारा उपर्युक्त में से सभी या कोई एक दंड देने का अधिकार होगा। मसौदा में नामांकन के समय छात्रों और अभिभावकों से लिखित संकल्प लेने और उस पर अमल करने का उल्लेख किया गया है। इसमें आवेदनकर्ताओं के व्यवहार को भी नामांकन का हिस्सा बनाया गया है। मसौदे में संस्थानों को रैगिंग निरोधक दस्ता गठित करने और छात्रों को इस बारे में जागरूक बनाने पर बल दिया गया है।

एंटी रैगिंग हेल्पलाईन तथा ई-मेल

21 जून, 2009 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने देश में पहली बार एंटी रैगिंग हेल्पलाइन तथा पोर्टल का औपचारिक उद्घाटन किया। इस हेल्पलाइन का नंबर है- 18001805522 । यह हेल्पलाईन सरकारी तथा निजी सभी शिक्षण संस्थाओं के लिए होगी। इसमें प्रत्येक शिक्षण संस्थान को अपना नाम पंजीकृत कराना होगा और उन्हें एक पासवर्ड तथा एक आईडी नंबर मिलेगा। इस पोर्टल पर कॉलेज के सभी छात्रों का विवरण दर्ज़ होगा। इस हेल्पलाइन पर 15 मिनट के अंदर किसी भी छात्र की शिकायत दर्ज़ होकर संबद्ध कॉलेज के अधिकारियों तक पहुंच जाएगी और जिलाधीश को भी इसकी सूचना दे दी जाएगी।

इस हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज़ कराने वाले छात्र को एक नंबर दिया जाएगा और वह उस नंबर के जरिये बाद में अपनी शिकायत के संबंध में की गई कार्यवाई से अवगत हो सकेगा। शिकायत करने वाले छात्र की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। इस हेल्पलाइन के अलावा ई-मेल के जरिये भी छात्र अपनी

शिकायत दर्ज़ करा सकते हैं। ई-मेल का पता है- helpline@antyragging.net

रैगिंग रोकने हेतु सुझाव

- शिक्षण संस्थानों में शिक्षण-सत्र के प्रारंभ में व बीच-बीच में रैगिंग रोकने के लिए रैगिंग विरोधी संगोष्ठी, नुक्कड़ नाटक आदि का आयोजन कराया जाना चाहिए।
- शैक्षिक रेडियो के माध्यम से समय-समय पर विभिन्न रैगिंग विरोधी प्रोग्रामों का प्रसारण किया जाना चाहिए।
- विभिन्न विषयों की शिक्षा प्रदान करने हेतु जिस तरह शैक्षिक दूरदर्शन पर ज्ञान दर्शन का प्रसारण किया जाता है, ठीक उसी तरह शैक्षिक दूरदर्शन पर रैगिंग को रोकने में सहायक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाना चाहिए।
- माध्यमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के शैक्षिक पाठ्यक्रम में ऐसे अध्यायों को सम्मिलित किया जाए जो छात्रों को यह समझा सकें कि रैगिंग एक दंडनीय अपराध है।
- शिक्षण संस्थानों में हर सप्ताह नये व पुराने छात्रों के बीच विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेल व अन्य स्वस्थ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना चाहिए जिससे कनिष्ठ व वरिष्ठ छात्रों में प्रेम भावना विकसित हो सके।
- शिक्षण संस्थानों में परामर्शदाता की नियुक्ति की जानी चाहिए जिनके द्वारा समय-समय पर नये तथा पुराने सभी छात्रों की काउंसलिंग की जानी चाहिए।
- प्रत्येक वर्ष नये शैक्षिक सत्र में प्रवेश लेने वाले नये छात्रों को छोटे-छोटे समूहों में बांटकर उनकी देखभाल की जिम्मेदारी अध्यापकों को दी जानी चाहिए तथा अध्यापकों के द्वारा यह जिम्मेदारी ऐसे वरिष्ठ छात्रों को दी जाए जो अध्यापकों के विश्वसनीय व इस योग्य हों। सत्र के अंत में भली प्रकार कार्य का निर्वाह करने वाले वरिष्ठ छात्र को पुरस्कृत किया जाना चाहिए ताकि अन्य छात्र प्रोत्साहित हो सकें।
- रैगिंग की अनेक घटनाओं में देखा गया है कि रैगिंग जैसे घिनौने अपराध को अंजाम देने का सबसे बड़ा कारण छात्रों द्वारा शिक्षण संस्थानों में शराब व नशीले पदार्थों का सेवन करना है। अत: रैगिंग को रोकने के लिए शिक्षण संस्थानों में नशा उन्मूलन केंद्र खोले जाने चाहिए तथा इनके द्वारा ऐसे छात्रों जो किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, काउंसलिंग की जानी चाहिए।
- जिस प्रकार हत्या के अपराधी के लिए धारा 302 के तहत दंड दिया जाता है, रैगिंग हत्या के मामले में भी इसी तरह के दंड का प्रावधान होना चाहिए। ❑

(लेखिका काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय में शोधछात्रा हैं।
ई-मेल : kanaksharma3@gmail.com)

योजना

आगामी अंक

अक्तूबर 2009

योजना का अक्तूबर 2009 अंक स्वास्थ्य क्षेत्र को समर्पित होगा। वे कौन से कारक हैं जिन्होंने हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र को बीमार बना रखा है? हम सभी देशवासियों को स्वास्थ्य सुविधा कितनी भली प्रकार दिला सकते हैं? अतीत में इस क्षेत्र में क्या कदम उठाए गए हैं और भविष्य में क्या योजना है, ये वे कुछ प्रश्न हैं जिन पर यह अंक प्रकाश डालने का प्रयास करेगा।

नवंबर 2009

नवंबर 2009 के हमारे अंक में भारत में लघु और मझोले उद्योगों की दुनिया की खोज़-ख़बर ली जाएगी। इस क्षेत्र में हुई प्रगति पर नज़र डालने के साथ-साथ उन मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी, जिनसे स्थिति में और सुधार हो सकता है। ❑

रोज़गार समाचार

साप्ताहिक

क्या आप सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/कर्मचारी चयन आयोग/संघ लोक सेवा आयोग/ रेलवे भर्ती बोर्ड/सशस्त्र सेनाओं/बैंकों में रोज़गार तलाश रहे हैं?

रोज़गार समाचार आपका श्रेष्ठ मार्गदर्शक है। यह विगत तीस वर्षों से नौकरियों के लिए सबसे अधिक बिकने वाला साप्ताहिक है। आप भी इसके सहभागी बनें।

आपका हमारी वेबसाइट *employmentnews.gov.in* पर स्वागत है, जो कि

- नवीनतम प्रौद्योगिकी से विकसित है।
- उन्नत किस्म के सर्च इंजिन से युक्त है।
- आपके प्रश्नों का विशेषज्ञों द्वारा शीघ्र समाधान करती है।

रोज़गार समाचार/एम्प्लाएमेंट न्यूज की प्रति के लिए निकटतम वितरक से संपर्क करें।

व्यापार संबंधी पूछताछ के लिए संपर्क करें :

रोज़गारसमाचार, पूर्वीखण्ड4, तल5, रामकृष्णपुरम, नईदिल्ली।

फोन : 26182079, 26107405, ई–मेल : enabm.sa@yahoo.com

प्रकाशन विभाग

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

भारत सरकार

शिक्षा का माध्यम और भारतीय भाषाएं

● सतीश चंद्र सक्सेना

"मैं अपने देश के बच्चों के लिए यह ज़रूरी नहीं समझता कि वे अपनी बुद्धि के विकास के लिए एक विदेशी भाषा का बोझ अपने सिर पर ढोएं और अपनी उगती हुई शक्तियों का ह्रास होने दें। आज इस अस्वाभाविक परिस्थिति का निर्माण करने वालों को मैं ज़रूर गुनहगार मानता हूं। दुनिया में और कहीं ऐसा नहीं होता। इसके कारण देश का जो नुक़सान हुआ है, उसकी तो हम कल्पना तक नहीं कर सकते, क्योंकि हम ख़ुद उस सर्वनाश से घिरे हुए हैं।" –महात्मा गांधी

प्रसिद्ध वैज्ञानिक, शिक्षाविद तथा वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के पहले अध्यक्ष प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी ने मत व्यक्त किया था कि प्राथमिक और उच्चतर प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को विज्ञान तथा संबद्ध विषयों को अंग्रेज़ी भाषा की तुलना में अपनी मातृभाषा में कहीं अधिक अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। इसका कारण यह है कि विषय को समझने से पहले अंग्रेज़ी भाषा को समझने में मानसिक विकास में बाधा पड़ती है और विषय को रटने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता।

बापू के उपर्युक्त कथन को भी 60 वर्ष से अधिक हो गए होंगे और विडंबना यह है कि स्थिति अब बद से बदतर हो गई है। चारों ओर अंग्रेज़ी का वर्चस्व देखने को मिलता है। बड़े नगरों और महानगरों में ही नहीं, बल्कि छोटे नगरों की गली-गली में भी अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूल हैं। इस बात से कोई सरोकार नहीं कि जो अध्यापक या अध्यापिकाएं अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़ा रहे हैं उनका अंग्रेज़ी का ज्ञान कितना है। इतना ही नहीं, माता-पिता गर्व के साथ कहते हैं कि उनका बच्चा अमुक अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूल में पढ़ रहा है।

अंग्रेज़ीयत के दुष्प्रभाव

यहां यह स्पष्ट करना ज़रूरी है कि अंग्रेज़ी भाषा से हमारा विरोध नहीं है। इस भाषा की भी अपनी विशेषताएं हैं। मानसिक परिपक्वता होने पर अंग्रेज़ी भाषा में उच्च स्तरीय अध्ययन के वैश्विक स्तर पर निश्चित रूप से कुछ लाभ हैं। स्थिति दुखद एवं असहनीय तब हो जाती है जब अंग्रेज़ी भाषा भारतीय भाषाओं पर बुरी तरह हावी हो जाती है और जब अंग्रेज़ीयत और पाश्चात्य सभ्यता, भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर कुठाराघात करती है। यहां तक कि खानपान, रहन-सहन, परिधान, परस्पर व्यवहार और सामाजिक रिश्ते भी पाश्चात्य सभ्यता द्वारा बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

शिक्षा का माध्यम और भारतीय भाषाएं

हाल ही में एक अंग्रेज़ी दैनिक समाचारपत्र में कुछ आंकड़े प्रकाशित हुए थे जिनका संकलन नेशनल यूनीवर्सिटी फॉर एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनेस्ट्रेशन (एनयूईपीए) ने किया था। इसके अनुसार अब अधिकाधिक भारतीय अपने बच्चों को अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाना पसंद करते हैं। वर्ष 2003-06 की अवधि के दौरान शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेज़ी भाषा का स्थान तीसरा हो गया है। पहला स्थान हिंदी तथा दूसरा स्थान मराठी भाषा का है। विभिन्न भारतीय भाषाओं की स्थिति तालिका-1 में दी गई है।

वर्ष 2003-06 की अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूलों में नामांकन संख्या में 74 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज़ की गई है अर्थात वर्ष 2003 में यह संख्या 54.7 लाख थी जो वर्ष 2006 में बढ़कर 95.1 लाख हो गई। जबकि इसी अवधि में हिंदी माध्यम के स्कूलों की नामांकन संख्या 6.3 करोड़ से बढ़कर 7.8 करोड़ हुई। यह वृद्धि लगभग 24 प्रतिशत है। अधिकांश दक्षिण भारतीय राज्यों में अंग्रेज़ी की वृद्धिदर अधिक है जो इन तीन वर्षों में हुई वृद्धि का लगभग 60 प्रतिशत है। पूर्वोत्तर राज्यों में अंग्रेज़ी माध्यम में नामांकन सबसे अधिक अर्थात 90 प्रतिशत है।

आंकड़ों का राज्यवार विश्लेषण

- आंध्र प्रदेश में तेलुगू माध्यम के नामांकन में सबसे अधिक गिरावट आई जो वर्ष 2003-2004 के 83 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2005-2006 में 78 प्रतिशत रह गई। यद्यपि तेलुगू भाषा के नामांकन संख्या में 6.78 लाख की वृद्धि हुई।
- तमिलनाडु में तमिल माध्यम का नामांकन 82 प्रतिशत से घटकर 81 प्रतिशत रह गया। कुल तमिल नामांकन में 60,000 की वृद्धि हुई।
- केरल में अंग्रेज़ी माध्यम का नामांकन अनुपात 7 प्रतिशत से बढ़कर 10 प्रतिशत हो गया और अंग्रेज़ी नामांकन संख्या 2.4 लाख से बढ़कर 3.2 लाख हो गई।
- महाराष्ट्र में अंग्रेज़ी नामांकन संख्या 10.6 लाख से बढ़कर 11.9 लाख हो गई।

- कर्नाटक ही ऐसा राज्य है जहां अंग्रेज़ी माध्यम की नामांकन संख्या में लगभग 2.6 लाख की कमी दर्ज़ हुई। यद्यपि कुल नामांकन के प्रतिशत के रूप में अंग्रेज़ी माध्यम में 16 से 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- अरुणाचल, सिक्किम और नगालैंड में अंग्रेज़ी नामांकन सर्वाधिक और प्रथम दो राज्यों में लगभग 99 प्रतिशत तक है।
- मणिपुर और गोवा में अंग्रेज़ी नामांकन का प्रतिशत लगभग 50 प्रतिशत है जबकि चंडीगढ़ में अंग्रेज़ी नामांकन का प्रतिशत 50 प्रतिशत से कुछ अधिक है।
- पंजाब और हिमाचल में अंग्रेज़ी माध्यम के नामांकन में लगभग 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई और केवल पंजाब में अंग्रेज़ी नामांकन संख्या में 93,000 से अधिक की वृद्धि हुई। हिमाचल प्रदेश में हिंदी माध्यम की नामांकन संख्या में लगभग 24,000 की कमी हुई तथा और यह 94 से घटकर 90 प्रतिशत रह गया।
- गुजरात में अंग्रेज़ी माध्यम की नामांकन संख्या में लगभग 60,000 की वृद्धि हुई।
- कुल मिलाकर हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेज़ी माध्यम से नामांकन में वृद्धि लगभग नगण्य है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में केवल मध्य प्रदेश और राजस्थान में अंग्रेज़ी माध्यम की नामांकन संख्या में लगभग 30,000 की वृद्धि हुई। इस प्रकार इन दोनों राज्यों में हिंदी माध्यम के नामांकन अनुपात में मामूली कमी देखने को मिली। हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी माध्यम की नामांकन संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई परंतु कुल नामांकन के प्रतिशत के रूप में हिंदी माध्यम का अनुपात लगभग समान रहा।
- वर्ष 2006 में देश में उच्च प्राथमिक स्तर पर लगभग 5 प्रतिशत विद्यार्थियों ने हिंदी माध्यम, लगभग 8 प्रतिशत ने मराठी माध्यम तथा लगभग 6 प्रतिशत ने अंग्रेज़ी माध्यम अपनाया। हिंदी के नामांकन प्रतिशत में वृद्धि अधिकतर हिंदी भाषी राज्यों तक ही सीमित रही जबकि अंग्रेज़ी माध्यम के नामांकन प्रतिशत में वृद्धि लगभग सभी राज्यों में देखने को मिली।
- शिक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं का योगदान लगभग स्थिर रहा या उसमें गिरावट दर्ज़ हुई क्योंकि अधिकाधिक माता-पिता ने अपने बच्चों के लिए अंग्रेज़ी माध्यम अधिक पसंद किया।

इस आलेख में देश में कक्षा एक से कक्षा आठ तक पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रमुख भारतीय भाषाओं में नामांकन प्रतिशत और नामांकन संख्या का संक्षिप्त विवेचन व विश्लेषण भी प्रस्तुत किया गया है। यह विश्लेषण वर्ष 2003-2004 से 2005-2006 तक की अवधि में एनयूईपीए द्वारा किए गए सर्वेक्षण और समाचारपत्र में प्रकाशित एक रिपोर्ट पर आधारित है।

इस प्रकार के सर्वेक्षण सामान्यत: प्रतिचयन-सर्वेक्षण पर आधारित होते हैं जिनमें समाज के किसी वर्ग विशेष की प्रधानता रहती है और वस्तुत: 'एग्जिट पोल' की तरह ही होते हैं। वास्तविक स्थिति थोड़ी भिन्न हो सकती है फिर भी ये आंकड़े दिशा बोधक तो हैं ही और दर्शाते हैं कि समूचे देश में माता-पिता अपने बच्चों के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेज़ी भाषा को अधिक पसंद करते हैं। कारण स्पष्ट है, वे समझते हैं कि रोज़गार की दृष्टि से उनके बच्चों के भविष्य निर्माण में और उच्च स्तरीय तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी शिक्षण में अंग्रेज़ी भाषा ही सहायक होगी। ऐसा लगता है कि समाज में बच्चों को अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूल में दाखिल कराना एक फ़ैशन हो गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेज़ी का बोलबाला है। संभवत: अभिभावक समझते हैं कि उनकी अपनी क्षेत्रीय भाषा का दायरा सीमित होने के कारण वे अंग्रेज़ी माध्यम द्वारा ही देश की मुख्यधारा से जुड़े रह सकते हैं।

देश की प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा के माध्यम के रूप में नामांकन संख्या और नामांकन प्रतिशत में कमी और अंग्रेज़ी माध्यम को वरीयता दिया जाना चिंता का विषय है।

जहां तक हिंदी का प्रश्न है तो हमें आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए क्योंकि यही एक ऐसी भाषा है जिसे देश की सर्वाधिक जनता बोलती और समझती है। दूसरे शब्दों में, यही भाषा देश को एक सूत्र में पिरोकर रखने की क्षमता रखती है। तमाम अवरोधों, इच्छा शक्ति में कमी, राजनीतिक समर्थन की कमी और अंग्रेज़ीदां लोगों के संकुचित दृष्टिकोण के होते हुए भी हिंदी के प्रयोग व विकास में निरंतर वृद्धि हो रही है और यह प्रगति के पथ पर अग्रसित रहेगी। वांछित स्तर तक हिंदी में सरकारी कामकाज न होने पर भी हिंदी का स्थान 'जनता की भाषा' के रूप में पूर्णत: सुरक्षित है। ❑

(लेखक वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नयी दिल्ली से संबद्ध रहे हैं)

तालिका-1

कक्षा-I से कक्षा-VIII तक भारत में शिक्षा के माध्यम के संदर्भ में नामांकन

	2005-2006		2003-2004	
शिक्षण माध्यम	**बच्चों की संख्या**	**कुल नामांकन**	**बच्चों की संख्या**	**कुल नामांकन का प्रतिशत**
हिंदी	7,83,74,227	52.2	6,31,63,357	49.5
मराठी	1,21,21,341	8.0	1,11,14,951	8.7
अंग्रेज़ी	95,10,381	6.3	54,66,008	4.3
तेलुगू	87,44,863	5.8	80,72,140	6.3
तमिल	75,70,536	5.0	74,93,405	5.9
गुजराती	67,02,038	4.4	63,40,761	5.0
कन्नड़	57,69,404	3.8	64,04,761	5.8
उड़िया	55,08,523	3.6	56.15.384	4.4
असमी	32,48,926	2.1	28.47.257	2.2
उर्दू	28,98,809	1.9	25,51,662	2.0
मलयालम	28,30,950	1.8	32,14,893	2.5
बांग्ला	आंकड़े अनुपलब्ध			
कुल योग	**1500,36,836**	**100**	**12,74,31,057**	**100**

हरियाणा में शिक्षा का प्रारूप व विकास

● राजेश्वरी

संपूर्ण विश्व में मानव विकास को ही विकास का पर्याय माना जाता है। केवल आय में बढ़ोतरी से व्यक्ति या समाज का विकास सुनिश्चित नहीं होता। प्राय: ऐसा देखा गया है कि आर्थिक रूप से उन्नत क्षेत्रों में भी विकास की सूचक वहां की जनसंख्या में परिलक्षित नहीं होती। अर्थात प्रतिव्यक्ति आय में बढ़ोतरी के बावजूद निरक्षरता, कुपोषण, बीमारियां, मातृ मृत्युदर, शिशु मृत्युदर, भ्रूणहत्या, पुरुष व महिलाओं में असमानता तथा ऐसी ही अन्य समस्याएं ज्यों-की-त्यों बनी रहती हैं। ऐसा विकास एकतरफा ही कहा जाएगा। अत: किसी क्षेत्र का संपूर्ण विकास वहां के मानव संसाधनों के विकास में परिलक्षित होना आवश्यक है। मानव विकास का अभिप्राय उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सशक्तीकरण, विकल्पों के विस्तार व अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया से है। इसके अतिरिक्त अज्ञानता, निरक्षरता, ग़रीबी, दासता तथा किसी भी अन्य प्रकार की दुर्बलता से मुक्ति ही मानव विकास की कुंजी है। ज्ञान व विकास का माध्यम शिक्षा है। शिक्षा का स्तर मानव विकास के स्तर को परिलक्षित करता है। शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया है तथा किसी समाज, राज्य व राष्ट्र के विकास का पैमाना भी है।

शिक्षा के प्रारूप में इसके विभिन्न पक्षों को शामिल किया गया है। इनमें साक्षरता दर, महिला-पुरुषों की साक्षरता में असमानता, प्राथमिक शिक्षा में बालक-बालिकाओं का दाखिला अनुपात, बालक-बालिकाओं के स्कूल छोड़ने का प्रतिशत, कुल साक्षरों का शैक्षणिक स्तर, उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी व ग्रामीण छात्रों की शिक्षा स्तर में असमानता, शिक्षण सुविधाएं तथा अध्यापक-विद्यार्थी अनुपात आदि सम्मिलित किए गए हैं।

साक्षरता दर

वर्ष 2001 के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में कुल साक्षरता दर लगभग 68 प्रतिशत है, जबकि महिला साक्षरता की दर 55.7 प्रतिशत है। भारत में हरियाणा का स्थान कुल साक्षरता दर में 16वां, पुरुष साक्षरता में 20वां तथा महिला साक्षरता में 23वां है। यद्यपि राज्य की साक्षरता दर देश की साक्षरता दर से आंशिक रूप से अधिक है (भारत : 65.4 एवं हरियाणा 67.9), तथापि यह पड़ोसी राज्यों, विशेषकर पंजाब व हिमाचल प्रदेश से अपेक्षाकृत कम है। इसके अतिरिक्त राज्य के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर में पर्याप्त अंतर है। यह अंतर महिला साक्षरता दर में अधिक विकृत रूप में दिखाई पड़ता है। ग्रामीण हरियाणा में लगभग आधी महिलाएं निरक्षर हैं जबकि शहरी इलाकों में भी यह प्रतिशत लगभग 30 है।

प्रांत में जिलेवार साक्षरता दर में भी असमानताएं हैं। साक्षरता की सर्वाधिक दर, 75 प्रतिशत अंबाला में तथा सबसे कम फतेहाबाद व कैथल में 58 व 59 प्रतिशत है।

स्थानीय भिन्नताओं के अतिरिक्त ग्रामीण व शहरी साक्षरता दर में विषमताएं विशेषकर महिलाओं व पुरुषों की साक्षरता दर में अंतर अधिक प्रतीत होता है। ग्रामीण अंचलों में यह अंतर अधिक एवं विचारणीय है। पश्चिम हरियाणा के फतेहाबाद, सिरसा, कैथल, गीदे तथा दक्षिण में गुड़गांव हरियाणा की औसत साक्षरता दर से नीचे है। अधिक साक्षर जिलों में उत्तर हरियाणा के जिले व दक्षिण में रेवाड़ी सर्वाधिक साक्षर जिले के रूप में उभरता है। पंचकुला तथा अंबाला राज्य के ऐसे जिले हैं जो न केवल महिला साक्षरता में पहले स्थान पर हैं अपितु यहां औसत साक्षरता दर में महिला-पुरुष असमानता भी कम है।

इस प्रकार की भिन्नताएं अनेक प्रकार की जटिल समस्याएं उत्पन्न करती हैं। इससे समाज में शिक्षा का न्यून महत्व, महिलाओं का निम्न स्थान आदि तो उजागर होता ही है, साथ ही समाज के विकास के लिए अपेक्षित वैज्ञानिक विचारधारा तथा समाज में महिलाओं का सर्वांगीण विकास भी बाधित नज़र आता है।

यद्यपि हरियाणा प्रांत के बनने के बाद से ही साक्षरता दर में लगातार वृद्धि हुई है। पिछले लगभग चार दशकों पर नज़र डालें तो प्रांत की साक्षरता दर में सुखद वृद्धि नज़र आती है। वर्ष 1971 के आंकड़ों के अनुसार राज्य की साक्षरता दर केवल 25.71 प्रतिशत थी जो 2001 में बढ़कर 67.9 प्रतिशत हो गई। पुरुषों की साक्षरता दर 1971 में लगभग 40 प्रतिशत थी जो 2001 में बढ़कर लगभग 80 प्रतिशत हो गई। स्त्रियों की साक्षरता दर भी 10.32 प्रतिशत से बढ़कर 55.7 प्रतिशत पहुंच गई है। तथापि यह भी विचारणीय है कि आज भी 90.5 लाख व्यक्ति निरक्षर हैं जिनमें 51.67 लाख महिलाएं हैं।

साक्षरता दर शिक्षा का एक पहलू है तथा यह शिक्षा का पहला पड़ाव है लेकिन संपूर्ण शिक्षा के प्रारूप को केवल साक्षरता दर द्वारा समझना शिक्षा की आंशिक तस्वीर पेश करेगी।

अत: शिक्षा के स्वरूप को जानने के लिए प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा में बालक व बालिकाओं के स्कूल दाखिला अनुपात, स्कूल छोड़ने की दर आदि को जानना आवश्यक है। स्कूल में बच्चों का दाखिला सामयिक शिक्षा के प्रसार को दर्शाता है। यद्यपि यह बहुत से मापकों द्वारा दर्शाया जा सकता है, परंतु आयु विशेष दाखिला अनुपात सर्वाधिक मान्य व सार्थक मापक है।

प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश व स्कूल छोड़ने की दर : 7वें शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में 81 प्रतिशत बालक (6 से 11 वर्ष के) ही स्कूल में प्रवेश पाते हैं। आज भी 6 से 11 वर्षीय बालकों में लगभग 19 प्रतिशत का स्कूल में दाखिला न होना अपने आप में विचारणीय है। 6 से 11 वर्षीय बालकों का 6 से 8वीं कक्षा में दाखिला अनुपात हरियाणा में शिक्षा की दयनीय तस्वीर प्रस्तुत करता है। स्मरण रहे कि यह आंकड़े शहरी व ग्रामीण दोनों अंचलों को एक साथ देखने पर हैं। केवल ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह स्थिति और अधिक चिंतनीय है। इसमें स्थानीय भिन्नता व सामाजिक विषमता जानना भी योजनाकारों के लिए उचित होगा। यह भी विचारणीय है कि प्राथमिक स्तर पर ही बालिकाओं की अपेक्षा बालक अधिक स्कूल छोड़ते हैं। यद्यपि 1989-99 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे ने स्कूल छोड़ने के कारणों को सूचीबद्ध किया है। लड़कियों का स्कूल छोड़ने का प्रमुख कारण घरेलू कार्यों में उनकी ज़रूरत है। किंतु लड़कों का स्कूल छोड़ने में अधिक प्रतिशत होना आश्चर्यजनक प्रतीत होता है। इस समस्या को ठीक से समझकर इसके निदान की आवश्यकता है।

शिक्षा का दायरा स्कूल तक ही सीमित नहीं है। शिक्षा समाज में परिवर्तन की भूमिका अदा करती है। लेकिन यह तभी संभव है जब शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में हो। शिक्षा का स्तर प्राथमिक शिक्षा से ऊपर उच्च शिक्षा तक हो। शोध दर्शाते हैं कि केवल अक्षरज्ञान या प्राथमिक स्तर की शिक्षा लोगों की मानसिकता व दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने में सक्षम नहीं हो पाती। अत: समाज में शिक्षा का स्तर भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

शिक्षा स्तर का प्रारूप

इस संदर्भ में अगर राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का स्तर देखें तो हम पाते हैं कि कुल साक्षरों में लगभग 4 प्रतिशत केवल अक्षर ज्ञान तक सीमित है। 26 प्रतिशत साक्षर पांचवीं कक्षा से कम स्तर तक व अन्य 26 प्रतिशत प्राइमरी पास हैं। लगभग 52 प्रतिशत शिक्षित जनसंख्या का स्तर प्राइमरी तक सीमित है केवल 20 प्रतिशत शिक्षित जनसंख्या ही उच्चतर माध्यमिक स्कूली शिक्षा ग्रहण कर पाई है उच्च शिक्षा (यानी स्नातक आदि) का प्रतिशत केवल 6.7 है। यह पूरे भारत की तस्वीर है। लेकिन हरियाणा के लिए हम उससे बेहतर तस्वीर की कल्पना कर सकते हैं क्योंकि यह राज्य अन्य राज्यों की अपेक्षा आर्थिक रूप से संपन्न है।

हरियाणा में 6.6 प्रतिशत साक्षर ही स्नातक या उससे अधिक यानी उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। ग्रामीण हरियाणा में स्थिति अधिक दयनीय है। वहां इसका प्रतिशत केवल 2.8 है। लगभग आधी शिक्षित जनसंख्या का स्तर प्राइमरी तक का ही है। शिक्षा के स्तर में स्थानीय भिन्नताएं भी देखी जा सकती हैं। इसका प्रारूप दर्शाता है कि जहां साक्षरता की दर अधिक है, उन्हीं जिलों में शिक्षा का स्तर भी बेहतर है लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उन जिलों में भी ग्रामीण व शहरी इलाकों के शिक्षा स्तर में बहुत अधिक अंतर है। अर्थात शिक्षा का स्तर शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या का अधिक है। इसके उदाहरणार्थ पंचकुला में उच्च शिक्षा प्राप्त लोग कुल जनसंख्या का 16 प्रतिशत हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रतिशत केवल 3.8 है। तात्पर्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां प्रांत की दो तिहाई से अधिक जनसंख्या निवास करती है, तथा जहां शिक्षा सामाजिक बदलाव व जनचेतना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है वहां पर आर्थिक संपन्नता के बावजूद यह प्रतिशत शोचनीय है। इन क्षेत्रों में उच्च शिक्षा अधिकतर पुरुषों का ही अधिकार क्षेत्र माना जाता है। इस संदर्भ में महिलाओं की दशा संपूर्ण राज्य में तथा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक दयनीय व विचारणीय है।

शिक्षण संस्थाओं का प्रसार व विकास

शिक्षा के प्रचार-प्रसार में शिक्षण संस्थानों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। इसी संदर्भ में यहां के शिक्षण संस्थानों, विशेषकर स्कूलों व महाविद्यालयों में विशेष वृद्धि हुई है। वर्ष 1966-67 से 2005-06 तक राज्य में सभी प्रकार के शिक्षण संस्थानों में चार गुणा वृद्धि हुई है।

यद्यपि प्रांत में शिक्षण संस्थाओं का विस्तार हुआ है लेकिन जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ उच्च शिक्षण संस्थाएं तालमेल नहीं रख पाई हैं। इसका एक पैमाना बढ़ता अध्यापक-विद्यार्थी अनुपात है। 1966-67 में विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात 23:1 था, जो 1999-2000 में बढ़कर 34:1 हो गया। यद्यपि हरियाणा में शिक्षा पर किया गया ख़र्च भी बढ़ा है लेकिन अभी भी यह राज्य के कुल उत्पाद का 2.1 प्रतिशत ही है जबकि योजना आयोग 6 प्रतिशत ख़र्च करने की सिफ़ारिश करता है।

निष्कर्ष

2001 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के सात तहसील न्यून महिला साक्षर क्षेत्रों में आते हैं अर्थात यहां 25 प्रतिशत से कम महिलाएं साक्षर हैं। इनमें भी मेवात जिले के फिरोजपुर झिरका, पुन्हाना व नूह तहसीलों में महिला साक्षरता 20 प्रतिशत से भी कम है। फरीदाबाद की हथीन व होडल तहसीलों में भी स्थिति शोचनीय है। मेवात में आर्थिक तंगी के कारण भी साक्षरता दर कम है। महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय है। अत: इनके उत्थान के लिए योजनाओं का ज़रूरत के अनुरूप होना आवश्यक है।

राज्य में चलाए जा रहे साक्षरता अभियान जैसे- संपूर्ण साक्षरता अभियान व सर्वशिक्षा अभियान आदि को अन्य कार्यक्रमों के साथ समाहित कर इसे अधिक व्यावहारिक बनाने की आवश्यकता है।

केवल अक्षर ज्ञान या साक्षरता शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। आर्थिक संपन्नता के बावजूद प्रदेश में शिक्षित जनसंख्या का शिक्षा स्तर निम्न है।

शिक्षा का स्तर व्यक्ति के विकास स्तर को तय करता है और यह सामाजिक बदलाव व वैज्ञानिक विचारधारा लाने में सहायक है। बहुत-सी सामाजिक समस्याओं जैसे- लिंग भेद, कुपोषण आदि का निदान एवं समानता, सामाजिक न्याय, विचारों की स्वतंत्रता, महिलाओं का सर्वांगीण विकास, आदि शिक्षा के स्तर से निर्धारित होती हैं। अत: उच्च शिक्षा पर ध्यान देना आज की ज़रूरत है। ❑

(लेखिका कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र के भूगोल विभाग में रीडर हैं।

ई-मेल : rajeshwariku@gmail.com)

संवेदनशीलता की मिसाल

● के.आर.शर्मा

ग्रामीणों की शिक्षा के प्रति दिलचस्पी तो तभी बढ़ेगी जब शिक्षा उनकी ज़िंदगी से जुड़ेगी

हाल ही में मुझे उदयपुर जिले के ठेठ आदिवासी इलाके कोटड़ा की उन आदिवासी बच्चियों से मिलने का मौका मिला जो किन्हीं कारणों से मुख्यधारा के स्कूलों में भर्ती नहीं हो पाईं मगर अनौपचारिक रूप से एक केंद्र पर शिक्षा पा रही हैं। दरअसल कोटड़ा एक ऐसा इलाका है जहां आदिवासी लोग रहते हैं। यहां के दूरस्थ इलाकों में जो आदिवासी रहते हैं वे न्यूनतम ज़रूरत की चीज़ों से भी महरूम रहते हैं। साथ ही हमारी स्कूली शिक्षा का स्वरूप इस प्रकार का है कि हाशिये पर रहने वाले परिवारों के बच्चे इससे महरूम रह जाते हैं।

कोटड़ा उदयपुर जिले की तहसील है जो गुजरात सीमा से सटी हुई है। यों तो शहरी लोगों के लिए कोटड़ा कालापानी जैसा है। यदि किसी कर्मचारी या अधिकारी को सजा देनी हो तो उसका स्थानांतरण कोटड़ा और यहां से भी अंदर कर दिया जाता है। कोटड़ा के अधिकांश इलाके ऐसे हैं जहां मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलता। उदयपुर से कोटड़ा का बस का सफ़र लगभग चार घंटे का होता है। फिर भी यहां पर कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो ख़ासकर आदिवासी बच्चियों को पढ़ाने का कार्य करती हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में मुझे 'आस्था' नामक संस्था द्वारा आदिवासी बच्चियों को सीखने-सिखाने के लिए चलाए जा रहे कोटड़ा तहसील मुख्यालय पर बनाए गए केंद्र में शिरकत करने का मौका मिला। उल्लेखनीय है कि आस्था ख़ासकर आदिवासियों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है।

कोटड़ा में आस्था का एक सेंटर है। इस सेंटर में लगभग 50-55 आदिवासी बच्चियां रहती हैं। बच्चियां आस्था की पहल पर ठेठ गांवों से यहां आई हैं। यह केंद्र बच्चियों को अनौपचारिक रूप से पढ़ाने-लिखाने का कार्य करता है। यहां कार्यरत तीन शिक्षिकाएं इसी इलाके की रहने वाली हैं और आदिवासियों की समस्याओं और संस्कृति में ही जीती हैं। इन बच्चियों को यह केंद्र कोई डिग्री तो नहीं देता मगर पढ़ने-लिखने की क्षमताओं का विकास करता है। इतना ही नहीं इस प्रकार के प्रयास भी किए जाते हैं कि ये बच्चियां आगे चलकर मुख्यधारा की शिक्षा व्यवस्था में शामिल हो सकें।

यहां जो बच्चियां हैं उनको कई तरह की क़िताबें पढ़ने को दी जाती हैं तथा खेलने के लिए वक्त दिया जाता है। रोज़ाना केंद्र की शुरुआत खेलों और गीतों से होती है। बच्चियां ख़ुद ही गीत गाती हैं। अक्सर बड़ों का रवैया बच्चों के प्रति संकुचित मानसिकता लिए होता है। वयस्कों का दुर्गुण ही कह लीजिए कि बच्चों को वह सब कुछ सिखाने का दंभ भरते हैं जो उनको पता है। शिक्षा का मतलब ही यह लगा लिया गया कि बच्चों को पहले तो यह अहसास कराओ कि उनको कुछ भी नहीं आता। इन तथाकथित विचारों को कोटड़ा की बच्चियां धता बताती हैं।

जब इन बच्चियों से बातचीत की तो हमने सोच लिया था कि इनको कोई शिक्षा नहीं देनी है। हम इन बच्चियों से बातचीत करेंगे बस। बच्चियों के साथ बातचीत शुरू हुई। हमने इन बच्चियों के साथ दो दिन बिताए। सबने मिलकर कई सारी गतिविधियां की। हमने यह देखा कि बच्चियों को गीत गाने में, नाचने में, खेलने-कूदने जैसे कामों में काफ़ी मज़ा आता है। जो बच्चियां नयी आई हैं उनको चित्र बनाने में काफी मज़ा आता है। ये बच्चियां किताब के पन्ने तो पलटती हैं पर पढ़ नहीं पाती। जिन बच्चियों को एक साल से ज्यादा हो गया है उनमें से कुछ तो पढ़ पाती हैं कुछ ऐसी हैं जो ठीक से पढ़ नहीं पातीं। इन्हें चित्रों वाली क़िताबें ज़्यादा पसंद हैं। वे हिंदी फ़िल्मों के गाना गाने में माहिर हैं। उस इलाके के गीतों को वे बड़े आत्मविश्वास के साथ सामूहिक रूप से गाती हैं।

इन बच्चियों को अब तक कहानी-कविताओं की क़िताबें दी गई हैं। इनमें से कुछ बच्चियां पढ़कर उसका अर्थ समझ लेती हैं। दरअसल, हमारे स्कूलों में पढ़ने का मतलब होता है कि जो क़िताब में लिखा है उसका उच्चारण वे कर सकें। दरअसल, पढ़ने का यह एक संकुचित अर्थ है। असल पढ़ना तो यह है कि उसकी व्याख्या कर सकें।

सेंटर में एक गतिविधि की गई जिसमें उनके साथ घरों में उपयोग किए जाने वाले अनाजों पर चर्चा करनी थी। हमने उनसे कहा कि वे एक ऐसी सूची बनाएं जिसमें अपने घरों में उपयोग होने वाले अनाज, बीज हों। चूंकि मामला अपने घर का था इस कारण बच्चियों ने उन सब बीजों की सूची बना डाली जो उनके इलाके में पैदा होते हैं। इसके भी आगे जब उनसे कहा गया कि इनमें से किन बीजों को फसल उगाने के लिए बोया जाता है? यह एक दिलचस्प गतिविधि थी। जब यह गतिविधि की जा रही थी तब हर बच्ची के चेहरे पर मुस्कान थी।

इसके बाद एक और महत्वपूर्ण गतिविधि

करने की योजना बनाई गई। हम यह चाह रहे थे कि उगते हुए बीजों का भी बच्चियां अवलोकन करें जैसेकि एक दिन के अंकुरित बीज, दो दिन के, तीन दिन के...। मूल योजना यह थी कि कुछ कुल्हड़ों में मिट्टी को भरकर उनमें बीजों को बो दिया जाए। बच्चियों का कहना था कि क्यों न बीजों को ज़मीन में ही उसी तरह से बोया जाए जैसेकि किसान खेत में बोते हैं। उनके इस बेबाक विचार के सामने हम नतमस्तक थे।

बच्चियों के इस विचार को मूर्त रूप देने में ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। केंद्र के परिसर में ही बीजों को बोना तय किया गया। बच्चियों के चेहरे पर दुगुनी खुशी थी। सभी बच्चियों ने समूह में क्यारियां बनाने का काम शुरू कर दिया। इसके लिए उनको कोई हिदायत देने की जरूरत नहीं हुई। कितनी बड़ी क्यारियां बनानी है, कितना गहरा गड्ढा खोदना है, ये सब कुछ उन बच्चियों ने ही तय किया। देखते ही देखते क्यारियां बन गईं।

क्यारियों में बीज बोकर पानी देने की बारी आई। असल में हैंडपंप से क्यारियों तक पानी पहुंचाने के लिए जो पाइप था वह काफी छोटा और टुकड़ों में था। बाल्टियां भी नहीं थीं। सो क्यारियों को पानी से सींचने के लिए अचानक ही उनके दिमाग में एक उपाय सूझा। उन्होंने पाइप का एक क़रीब दो मीटर का टुकड़ा लिया। इस पाइप के एक सिरे को हाथ से बंद कर दूसरे मुंह को हैंडपंप से जोड़तीं और उसमें पानी भरकर ऊंचा करके क्यारियों तक ले जाती और वहां पाइप के एक मुंह को क्यारी में रखकर पानी छोड़ देतीं। दरअसल, यह नवाचार उन बच्चियों ने ही खोजा था। यह प्रक्रिया उन बच्चियों के लिए सहज थी। देखते ही देखते उन्होंने क्यारियां सींच डालीं। हमने एक और भी चर्चा की। कौन से बीज सबसे पहले उगेंगे? इस तरह की चर्चा में उनको काफी मजा आ रहा था। लगभग हर बच्ची इस सवाल के बारे में सोच रही थी। ज़ाहिर है कि ये सारे काम और सवाल उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए थे। अगला वाकया और भी दिलचस्प है।

बाद में हमने पता करना चाहा कि बच्चियां उन क्यारियों में अंकुरित बीजों का अवलोकन कैसे कर रही हैं। हमें पता चला कि उन्होंने क्यारियों में बोए गए बीजों को मिट्टी में से निकालकर उनका अवलोकन का काम प्रारंभ ही नहीं किया है। हालांकि वे उन क्यारियों की बराबर देखरेख कर रही हैं, उनमें पानी दे रही हैं, उन क्यारियों के पास कुछ समय बिताती हैं। यह सुनकर थोड़ी निराशा-सी हुई कि वे उन बीजों को मिट्टी में से निकालकर क्यों नहीं देख रही हैं। लेकिन इसके आगे की कहानी सुनकर हम उन आदिवासी इलाके की बच्चियों के प्रति नतमस्तक हो गए। उन बच्चियों ने कहा कि बीजों को उखाड़ने के बजाय इनको उगने का मौका दिया जाए। हम उन पौधों का अवलोकन करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें यह तो बताओ कि इन उगे हुए पौधों में क्या-क्या देखें? इस सवाल ने हमें उन आदिवासी बच्चियों की संवेदनशीलता पर सोचने को बाध्य कर दिया। वे जो मूल्य अपने साथ अपने घरों से लेकर आई हैं उनको कैसे हम सहेजकर पनपने का मौका दे सकते हैं। दरअसल पौधे उगाने का विचार उनकी आदिवासी संस्कृति का अहम हिस्सा है। आदिवासी इलाके के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण इस विचार को आधार बनाकर क्यों नहीं किया जा सकता? ग्रामीणों की शिक्षा के प्रति दिलचस्पी तो तभी बढ़ेगी जब शिक्षा उनकी ज़िंदगी से जुड़ेगी। ❑

(लेखक विज्ञान एवं पर्यावरण संबंधी विषयों पर लिखते हैं।

ई-मेल : krsharmas@gmail.com)

SAROJ KUMAR'S IAS ERA

GEOGRAPHY, GEN.STUDIES, HISTORY

(हिन्दी & English Medium)

With SAROJ KUMAR

OUR SELECTED CANDIDATES IN I.A.S.

OUR SELECTED CANDIDATES IN P.C.S

- ❑ **MAINS SPECIAL (1 Month)**
- ❑ **P.T. SPECIAL (2 Months)**
- ❑ **TEST SERIES (1 Month)**
- ❑ **POSTAL COURSE (P.T. & MAINS)**
- ❑ **P.C.S. SPECIAL CLASSES**
- ❑ **FOUNDATION COURSE (P.T. & MAINS)**
- ❑ **ESSAY CLASSES**
- ❑ **COMP. ENGLISH & HINDI CLASS**

WEEKEND CLASSES
FOR DAY SCHOLARS (WORKING) - EARLY MORNING OR EVENING

Contact: **Dr. Veena Sharma**

SAROJ KUMAR'S IAS ERA

1/9, Roop Nagar, G.T. Karnal Rd., Near Shakti Ngr. Red Light, Above P.N.B. Near Delhi University, North Campus, Delhi - 7

Ph. : 011-64154427 Mob. : 9910415305, 9910360051

YH-9/09/3

नयी कर संहिता का प्रारूप जारी

पिछले दिनों सरकार ने प्रत्यक्ष करों के लिए एक बिल्कुल नयी कर संहिता का प्रारूप जारी किया, जो चार दशक पुराने आयकर कानून का स्थान लेगा। वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी के मुताबिक इससे हमारी कर व्यवस्था ज्यादा सक्षम होगी और कर ढांचे में मौजूद विकृतियों से निजात मिल सकेगी। साथ ही इसके जरिये एक ओर कर व्यवस्था में बेहतर श्रेणियां तैयार की जा सकेंगी और दूसरी ओर कर आधार भी बढ़ेगा। दशकों पुराने आयकर कानून की जगह नयी कर संहिता लेगी। नयी कर संहिता के प्रारूप में बहुत ज्यादा दांव-पेंच न रखकर सीधे-सरल तरीक़े से यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि किसी को भी, चाहे वह निजी स्तर पर हो या कॉरपोरेट स्तर पर, किसी भी तरह से कर के दायरे से बचने न दिया जाए। इस संहिता को संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है। यह मार्च 2011 से लागू हो सकता है।

कर संहिता में कराधान के हर क्षेत्र में आमूल-चूल बदलाव का प्रस्ताव किया गया है। इसके अनुसार कॉरपोरेट और व्यक्तिगत आय पर कर का बोझ कम किया जाएगा, लेकिन संपत्ति कर और पूंजी लाभ कर एक बार फिर कर व्यवस्था का हिस्सा बन जाएंगे। इसमें सभी तरह की लंबी अवधि की बचत की ईईटी (एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन, टैक्स यानी निवेश के समय छूट, निवेश के दौरान छूट और निवेश निकालने के समय कर) को एक समान किया जाएगा।

इस नयी संहिता पर गृहमंत्री पी. चिदंबरम के वित्तमंत्री पद के कार्यकाल के दौरान ही काम शुरू हुआ था और पूरी प्रक्रिया में उन्होंने काफी शिद्दत से भागीदारी की है। प्रारूप जारी करते समय वित्तमंत्री श्री मुखर्जी के साथ श्री चिदंबरम भी मौजूद थे। गृह मंत्री ने कहा कि यह बिल्कुल नयी संहिता है और इसे एकदम नये सिरे से लिखा गया है। इस संहिता के पीछे मौजूद दर्शन ही दरअसल सरकार का दर्शन है। संहिता में 1,60,000 रुपये तक की व्यक्तिगत सालाना आय के लिए कर से छूट का प्रस्ताव किया गया है। इसके आगे 10 लाख रुपये तक की आय पर 10 फीसदी कर लगेगा, 10-25 लाख रुपये तक की आय पर 20 फीसदी और 25 लाख रुपये से ज्यादा पर 30 फीसदी कर

प्रस्तावित कर संहिता की उल्लेखनीय बातें

आम करदाताओं को राहत

- 10 लाख रुपये तक आय पर 10 प्रतिशत, 10-25 लाख तक 20 प्रतिशत और 25 से ऊपर 30 प्रतिशत टैक्स।
- 25 लाख रुपये से ज्यादा आमदनी पर सबसे ज्यादा 30 प्रतिशत कर प्रस्ताव। 10-25 लाख रुपये पर 20 प्रतिशत और 1.6-10 लाख रुपये की आमदनी पर 10 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव।
- आमदनी का दायरा बढ़ाया जाएगा, इसमें अन्य सुविधाओं की क़ीमत, उपहार, चिकित्सा व्यय भुगतान-छुट्टी यात्रा भुगतान और पूंजी लाभ को भी शामिल किया जाएगा। हालांकि कृषि से होने वाली आमदनी इससे बाहर रहेगी।
- वीआरएस, ग्रेच्युटी भुगतान, कम्युटेड पेंशन व वेतन का हिस्सा नहीं।

बचत को बढ़ावा देने के उपाय

- मौजूदा एक लाख रुपये के बदले नयी कर संहिता लागू होने पर 3 लाख रुपये तक की बचत पर आयकर छूट।
- लंबी अवधि में बचत योजना को कर की ईईटी प्रणाली के तहत लाया जाएगा।
- निवेशकों को लाभांश पर कर छूट जारी रहेगी।

कॉरपोरेट पर कर का बोझ घटेगा

- कॉरपोरेट कर दर घटकर 25 फीसदी होगी, कोई अधिभार और शुल्क नहीं लगेगा।
- कारोबारी नुक़सान को बेमियादी वक़्त तक आगे ले जाने की मंजूरी देने पर सहमति।
- अलग-अलग क्षेत्रों को अभी निवेश बढ़ाने के लिए जो छूट मिलती है, वह खत्म कर दी जाएगी।
- दीर्घावधि और अल्पावधि पूंजी लाभ कर का अंतर खत्म होगा, यह कदम व्यापार को बढ़ावा देने के लिए।
- म्यूचुअल फंड, उद्यम पूंजी कोष, बीमा कंपनियों को मिलने वाली रक़म पर कर नहीं।
- एसटीटी की जगह पूंजी लाभ कर लेगा।

अन्य प्रमुख बातें

- पिछले साल और एसेसमेंट ईयर की जगह वित्त वर्ष लेगा।
- सभी ट्रस्ट और चैरिटेबल कामकाज में लगे संस्थानों के लिए नया कर इंतजाम।
- बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए अग्रिम मूल्य निर्धारण व्यवस्था लागू होगी।

लगेगा। अभी 1,60,000 से 3 लाख रुपये पर 10 फीसदी, 3-5 लाख रुपये पर 20 फीसदी और 5 लाख रुपये से ज्यादा की आय पर 30 फीसदी कर लगता है।

इससे व्यक्तिगत आय पर जबर्दस्त फायदा तो होगा, लेकिन अब उसे किराया मुक्त मकान, चिकित्सा व्यय के भुगतान और छुट्टी यात्रा भत्ता भुगतान पर भी कर देना होगा। उन करदाताओं को, जिन्होंने खुद के रहने के लिए घर ख़रीदने के लिए ऋण लिया है, ब्याज के भुगतान पर कर लाभ नहीं मिलेगा। अगर घर किराए पर दिया गया हो, तो करदाता उस ब्याज भुगतान पर कर छूट का दावा कर सकेगा। सभी बचत योजनाएं ईईटी के दायरे में आएंगी। लेकिन पीपीएफ और अन्य पेंशन फंड योजनाओं में 31 मार्च, 2011 तक जमा रक़म निकासी पर कर छूट मिलेगी। संहिता में प्रतिभूति लेनदेन कर को पूरी तरह हटाने का प्रस्ताव किया गया है। प्रतिभूतियों पर पूंजी लाभ को आय मानते हुए उस पर कर लगाने की सिफ़ारिश की गई है।

इसके जरिये लंबी अवधि और छोटी अवधि की पूंजीगत संपत्ति में अंतर को खत्म करते हुए पूंजीगत लाभ की परिभाषा को सरल बनाने की कोशिश की गई है। संपत्ति कर के प्रावधानों में भारी बदलाव का प्रस्ताव किया गया है। 50 करोड़ रुपये से ज़्यादा की व्यक्तिगत संपत्ति होने पर अतिरिक्त संपत्ति के लिए 0.25 फीसदी की दर से कर देना होगा। संहिता में एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि इसमें किसी कर समझौते एवं संहिता के बीच विवाद होने पर भारतीय कर क़ानून को प्राथमिकता देने की सिफ़ारिश की गई है। कर से बचने की संभावना को खत्म करने के लिए एक सामान्य एंटी एवॉयडेंस नियम का भी प्रस्ताव किया गया है। इससे कर अधिकारियों को हच-वोडाफोन जैसे मामलों से निपटने में सहूलियत होगी, जिसमें किसी कर समझौते का हवाला देते हुए कर नहीं देने की दलील दी गई है। इन सबके अलावा कॉरपोरेट कर की दर घटाकर 33 फीसदी करने के साथ ही कंपनियों पर कराधान के नियमों में भी भारी बदलावों का प्रस्ताव किया गया है। नयी दरों में अभी की तरह कोई सरचार्ज या सेस नहीं होगा। इससे भी बड़ी बात यह होगी कि मुनाफ़ा आधारित कर छूट के मौजूदा प्रस्तावों की जगह निवेश आधारित छूट दी जाएगी। आसान शब्दों में कहें तो, एक कंपनी केवल तभी कर छूट का फायदा उठा सकेगी, अगर वह निवेश करेगी। लेकिन, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) को उपलब्ध कर छूटों को नयी व्यवस्था से तारतम्य बिठाने के लिए समय दिया जाएगा।

काम करते हुए बचाएं, रिटायरमेंट पर चुकाएं

प्रत्यक्ष कर संहिता वेतनभोगियों के लिए मिला-जुला पैगाम लेकर आई है। एक ओर जहां उनकी कर देनदारी कम होगी, वहीं दूसरी ओर सेवानिवृत्ति योजना जैसी लंबी अवधि की बचत योजनाओं में निकासी पर उन्हें कर चुकाना पड़ सकता है।

संहिता के मसौदे में 10 लाख रुपये तक की आमदनी पर 10 फीसदी की दर से कर लगाने का प्रस्ताव है। 10 से 25 लाख रुपये की आमदनी पर 20 फीसदी और इससे अधिक की आय पर 30 फीसदी की दर से कर लग सकता है। अगर ये प्रस्ताव लागू होते हैं तो 10 लाख रुपये की आमदनी वाले व्यक्ति को मौजूदा वित्त वर्ष में 2.11 लाख रुपये के आयकर के मुक़ाबले केवल 84,000 रुपये चुकाने होंगे।

कर बचाने की मौजूदा एक लाख रुपये की

संहिता में कर की प्रस्तावित दरें

कर की दर	वर्तमान स्थिति (रु.)	प्रस्तावित (रु.)
व्यक्ति		
आय कर से छूट	1,60,000	1,60,000
10 प्रतिशत	1,60,001-3,00,000	1,60,001-10,00,000
20 प्रतिशत	3,00,001-5,00,000	10,00,001-25,00,000
30 प्रतिशत	5,00,000 से ज्यादा	25,00,000 से ज्यादा
महिला		
आय कर से छूट	1,90,000	1,90,000
10 प्रतिशत	1,90,001-3,00,000	1,90,001-10,00,000
20 प्रतिशत	3,00,001-5,00,000	10,00,001-25,00,000
30 प्रतिशत	5,00,000 से ज्यादा	25,00,000 से ज्यादा
वरिष्ठ नागरिक		
आय कर से छूट	2,24,000	2,40,000
10 प्रतिशत	2,40,001-3,00,000	2,40,001-10,00,000
20 प्रतिशत	3,00,001-5,00,000	10,00,001-25,00,000
30 प्रतिशत	5,00,000 से ज्यादा	25,00,000 से ज्यादा

कटौती

- अधिकतम कटौती 3 लाख रुपये से ज्यादा नहीं।
- शिक्षण शुल्क के लिए कटौती जारी रहेगी
- संहिता में बचत पर कर लगाने के लिए की प्रणाली लागू करने की सिफ़ारिश।
- यह पिछली तिथि से लागू नहीं होगी यानी इसे 31 मार्च, 2011 से लागू करने का प्रस्ताव।
- एक योजना से रक़म निकालकर दूसरी में निवेश करने पर कर नहीं लगेगा।
- सभी बचत और निकासी का रिकॉर्ड एक स्वतंत्र एजेंसी रखेगी।

स्वास्थ्य इलाज

- खुद के और परिवार के बीमा पर 15,000 रुपये।
- माता-पिता के लिए 15,000 रुपये (वरिष्ठ नागरिकों के मामले में 20,000 रुपये)।
- विकलांग आश्रित के इलाज के लिए 50,000 रुपये।
- कुछ तय बीमारियों के लिए 40,000 रुपये।
- विकलांग के लिए 50,000 रुपये कटौती, गंभीर विकलांगता में 70,000 रुपये।

अन्य

- गृह ऋण के ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की रियायत खत्म होगी।
- उच्च शिक्षा की मद में लिए गए कर्ज़ के ब्याज पर कटौती।
- दान की रक़म के अनुसार कटौती 125 फीसदी, 100 फीसदी और 50 फीसदी

बचत सीमा को भी बढ़ाकर तीन लाख करने का प्रस्ताव है। लेकिन बुरी ख़बर यह है कि सेवानिवृत्ति बचत योजना में से निकासी पर कर चुकाना होगा। मसौदे में ईईटी प्रक्रिया लागू करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसमें निकासी पर कर वसूला जाता है। इसके अलावा आवास ऋण पर ब्याज के भुगतान पर 1.5 लाख रुपये की कटौती समाप्ति तय लग रही है। मसौदे में इस कटौती का कोई जिक्र नहीं है। इसके अलावा यह भी प्रस्ताव है कि वेतनभोगियों को मिलने वाले सभी भत्तों को करों की दृष्टि से कुल वेतन में जोड़ा जाए। इस कर भार का असर तभी पता चलेगा जब आयकर विभाग आने वाले समय में नियमों की सिफ़ारिश करेगा। लेकिन एक बात तय है कि सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों को करों की दृष्टि से एक समान माना जाएगा। संहिता में यह भी प्रस्ताव है कि नौकरी बदलने पर कर्मचारियों को मिलने वाले ग्रेच्युटी जैसे भुगतान तभी कर छूट के योग्य होंगे जब इन्हें किसी सेवानिवृत्ति कोष में लगाया जाए। अगर कर्मचारी इन्हें निवेश नहीं करता तो उस पर उपयुक्त दर से कर लगेगा।

मसौदे में एक बड़ा बदलाव सभी अनुमति प्राप्त प्रॉविडेंट फंडों, सुपरएन्युएशन फंडों, जीवन बीमा और नयी पेंशन योजना (एनपीएस) के लिए एक अप्रैल, 2011 से ईईटी प्रणाली लागू करना है। एनपीएस के लिए पहले से ईईटी लागू है। इस योजना में निवेश और धन जमा होने तक कोई कर नहीं लगता लेकिन निकासी पर कर चुकाना होता है। संहिता में चिकित्सा बीमा के प्रीमियम, विकलांग आश्रित के चिकित्सा ख़र्च या देखभाल, स्वयं या आश्रितों के उल्लेखित बीमारियों से पीड़ित होने पर इलाज़, उच्च शिक्षा के लिए कर्ज़ पर ब्याज के भुगतान, आवासीय किराये, बच्चों की शिक्षा के लिए शिक्षण शुल्क, विशेष गैर लाभ वाले संगठनों को दान जैसे ख़र्चों पर कर छूट बरकरार रखने का प्रस्ताव है। अन्य प्रस्तावों में साधारण स्रोत और विशेष स्रोत से आमदनी का अलग वर्गीकरण शामिल है। साधारण स्रोत में रोज़गार, आवासीय संपत्ति, कारोबार और पूंजीगत लाभ से आमदनी शामिल होगी। विशेष स्रोत में इक्विटी और इक्विटी आधारित फंडों पर पूंजीगत लाभ या किसी अन्य तरह की आमदनी आएगी। संहिता में एक राहत देने वाला प्रस्ताव यह है कि प्रॉविडेंट फंड में 31 मार्च, 2010 तक जमा किसी राशि को निकालने पर कर नहीं चुकाना होगा। इसके अलावा किसी भी अनुमति प्राप्त बचत योजना से मिलने वाली रकम को ऐसी ही किसी अन्य योजना में लगाने को निकासी नहीं माना जाएगा और इस पर भी कोई कर नहीं लगेगा। संहिता में कहा गया है कि नये कर प्रस्तावों से कर व्यवस्था में सुधार होगा और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कर की प्रक्रिया एक समान बनेगी। इसके अलावा इससे कर संग्रह में भी आसानी होगी।

दोहरे कर की संधि से खेलना मुश्किल

नये प्रत्यक्ष कर संहिता में सरकार ने भारत के कई देशों के साथ हुए दोहरे कर से बचने के समझौते का दुरुपयोग रोकने के लिए प्रावधान करने की बात कही है। संहिता में कहा गया है कि सरकार को किसी भी देश के साथ दोहरे कर से राहत का समझौता करने का अधिकार होगा, लेकिन साझेदार देशों से ऐसी सूचनाओं का आदान-प्रदान करने का भी प्रयास किया जाएगा जिससे आयकर की चोरी या उससे बचने की कोशिश पर लगाम लगाई जा सके।

दोहरे कराधान के तहत यदि कोई कंपनी या व्यक्ति एक देश का निवासी है और उसे दूसरे देश में कर लगाने योग्य आय होती है तो उसे ऐसे फ़ायदों पर अपने देश में तो कर देना ही होता है, साथ ही उस देश में भी उसे कर चुकाना होता है जहां उसे यह फ़ायदा हुआ है। दोहरे कराधान से बचने के समझौते में इस तरह के कर बोझ को खत्म करने का प्रयास किया जाता है।

घटेगा कंपनियों का बोझ

प्रत्यक्ष कर संहिता के मसौदे में कंपनियों के लिए कई अच्छी चीज़ें हैं। इसमें कंपनियों की आय पर कर की दर घटाने, कर के मामले में घरेलू और विदेशी कंपनियों के बीच अंतर खत्म करने और न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) तय करने के आधार में बदलाव का प्रस्ताव शामिल हैं। मसौदे में कंपनियों को मिली कई तरह की छूट और रियायतों को ख़त्म करने की भी सिफ़ारिश की गई है। हालांकि, कुछ मामलों में मुनाफ़ा आधारित प्रोत्साहन की जगह निवेश आधारित प्रोत्साहन देने की बात कही गई है।

जानकारों का कहना है कि कर संहिता के मसौदे में शामिल प्रस्तावों का उद्योग जगत पर बड़ा असर पड़ेगा। जहां अधिकतर कंपनियों को इससे बड़ा फ़ायदा होगा, वहीं कुछ कंपनियों को इससे नुकसान भी होगा। प्रोत्साहन हटाने के साथ ही कर की गणना के तरीक़े में बदलाव से कर आधार 40 फीसदी तक बढ़ जाएगा, जिससे कर की दरों में कमी का फ़ायदा ख़त्म हो जाएगा। नयी कर संहिता लागू होने के बाद घरेलू और विदेशी कंपनियों को 25 फीसदी की एक समान दर से कर देना होगा। अभी घरेलू कंपनियों को 33.99 फीसदी और विदेशी कंपनियों को 42.23 फीसदी की दर से कर चुकाना पड़ता है। इसमें अधिभार और शिक्षा प्रभार शामिल है। नयी व्यवस्था में घरेलू कंपनियों को लाभांश पर 15 फीसदी कर देना पड़ेगा, जबकि विदेशी कंपनियों को इसी दर से ब्रांच प्रॉफिट कर देना पड़ेगा। वे अपना मुनाफ़ा चाहे देश से बाहर भेजे या नहीं, उन्हें यह कर देना होगा।

प्रत्यक्ष कर संहिता में पूंजीगत लाभ को कारोबारी आय माना गया है। कंपनियों को अपना नुक़सान बिना किसी समय सीमा के आगे ले जाने की इज़ाज़त होगी। जैसाकि पहले से उम्मीद थी, कर संहिता में क्षेत्र आधारित रियायतें नहीं दी गई हैं। संहिता के प्रस्ताव के मुताबिक बैंकिंग कंपनियों के मामले में कुल संपत्ति के मूल्य पर 0.25 फीसदी की दर से मैट लागू होगा, जबकि अन्य कंपनियों के लिए यह दर 2 फीसदी होगी।

संहिता का मसौदा तैयार करने वाले जानकारों ने मैट को 'संपत्ति कर' के रूप में परिभाषित किए जाने को सही ठहराया है। उनकी दलील है कि इससे कंपनियां अपनी संपत्ति पर खास औसत दर से रिटर्न की उम्मीद लगा सकेंगी। हालांकि, मैट की प्रस्तावित व्यवस्था में नुक़सान उठाने वाली कंपनियों को भी मैट चुकाना होगा। भारी निवेश करने वाली कंपनियों को भी पहले साल में 100 फीसदी पूंजीगत ख़र्च करने से लाभ होगा लेकिन यह फायदा आंशिक रूप से इसलिए कम हो जाएगा, क्योंकि कंपनियों को तैयार की गयी संपत्ति पर मैट देना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां, को अब शून्य या कम मुनाफ़ा के शुरुआती सालों में भी मैट चुकाना होगा। मैट को अंतिम कर माना जाएगा, जिसके चलते इसे बाद के सालों में इसे आगे ले जाने नहीं दिया जा सकेगा। ❑

(*योजना* **संपादकीय टीम द्वारा संकलित**)

दांपत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन

● जगदीश प्रसाद 'भारती'

संसद द्वारा कोई भी अधिनियम पारित होने से पूर्व यह देखा जाता है कि प्रस्तावित अधिनियम संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के अनुरूप है या नहीं। अधिनियम पारित होने के बाद भी न्यायालय कई बार उन पर अपनी टिप्पणी करते हैं। ऐसा ही एक मामला आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सम्मुख आया जब हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9, जो दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के बारे में है, की संवैधानिकता पर न्यायालय ने अपनी टिप्पणी कर इस विषय पर आगे सोचने के लिए प्रेरित किया।

दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन पर विचार करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि विवाह है क्या और इसका धार्मिक, सामाजिक एवं विधिक स्वरूप क्या है? भारतीय समाज कई धर्मों में बंटा हुआ है और प्रत्येक धर्म में विवाह उसकी विधि के या उस वर्ग के लिए बनी और प्रचलित विधि के अनुसार मान्य है। न्यायालय का दायित्व विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों की रक्षा करना है। विधि प्रत्येक पक्ष के अधिकारों का संरक्षण करती है अर्थात कोई भी पक्ष अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है।

हिंदू धर्म में विवाह एक संस्कार, एक आवश्यक एवं पवित्र दैवीय सामाजिक दायित्व बंधन है। इस्लाम में स्त्रियों की रक्षा के लिए इसे एक संविदा का रूप दिया गया है, जिसमें दोनों पक्ष एक संविदा के तहत एक साथ रहते हैं और कोई भी पक्ष विधि द्वारा स्थापित आधारों पर संविदा भंग कर सकता है। संविदा भंग होने की दशा में पीड़ित पक्ष को धन के रूप में प्रतिकर (मेहर) देने की व्यवस्था है। ईसाई धर्म में विवाह एक ईश्वरीय विधान है, विवाह को एक धार्मिक संस्कार भी माना गया है। ईश्वरीय विधान होने के कारण ईसाई धर्म में विवाह-विच्छेद की कोई व्यवस्था नहीं है परंतु कुछ विशेष आधारों पर या विशेष परिस्थितियों में नियमों के अधीन न्यायालय दोनों पक्षों को अलग रहने और पुन: विवाह करने की आज्ञा देता है। इन सब के होते हुए भी किसी धर्म में विवाह-विच्छेद को प्रोत्साहित नहीं किया जाता और यह पूर्णत: मान्य नहीं है। सामाजिक दृष्टि से इसे हेय माना जाता है।

हिंदू विधि में दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के अनुतोष का विषय एक प्रमुख स्थान रखता है। हमारे विधिवेत्ताओं और माननीय न्यायालयों का अभी तक इस विषय पर एक मत नहीं रहा है। कुछ न्यायालयों ने अपने निर्णय में दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के अनुतोष को पूर्णत: उचित और संवैधानिक ठहराया है, परंतु कुछ ने इसके विपरीत मत व्यक्त किया है।

दांपत्य अधिकार और इनका प्रत्यास्थापन क्या है?

विवाहित दंपत्ति (पति-पत्नी) एक साथ रहने के लिए बाध्य हैं तथा उन्हें एक-दूसरे का संसर्ग पाने का अधिकार न केवल विधि ने प्रदान किया है, बल्कि यह अधिकार और कर्तव्य 'वैवाहिक बंधन' में ही निहित है। विवाह बंधन में बंध जाने के पश्चात पति-पत्नी दोनों पर एक-दूसरे के साथ रहने का संपूर्ण दायित्व होता है। परंतु कभी-कभी ऐसा होता है कि दंपत्ति (पति-पत्नी) में से कोई एक दूसरे के साथ रहने से मना करता है या वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने आप को साहचर्य से अलग कर लेता है तो इस स्थिति में पति-पत्नी में से कोई एक उसे अपने साथ रहने के लिए न्यायालय के आदेश से बाध्य कर सकता है। विधि में इसके लिए क्या उपबंध, उपचार और व्यवस्था है, पीड़ित पक्षकार इसमें वास्तविक और व्यावहारिक रूप में किस सीमा तक सफलता पाता है, आदि बातें दांपत्य अधिकार और प्रत्यास्थापन कहलाता है।

प्राचीन व्यवस्था

प्राचीन हिंदू विधि के अनुसार 'विवाह' एक आवश्यक धार्मिक कृत्य एवं पवित्र बंधन है। तब विवाह-विच्छेद की व्यवस्था नहीं थी।

विवाह संस्कार के पश्चात पति-पत्नी दोनों के लिए यह धार्मिक और सामाजिक अधिकार तथा कर्तव्य माना जाता था कि वे संतानोत्पति के लिए एक साथ रहें। यदि उनमें से कोई एक दूसरे से अलग रहता है तो वह अधर्म है और वह पाप का भागी है।

बोधायन धर्मसूत्र में कहा गया है कि 'यदि पति तीन वर्ष तक पत्नी के पास नहीं जाता है तो उसे भ्रूणहत्या का पाप लगता है तथा जो स्त्री अपने पति को अपने पास आने से रोकती है, वह महापाप की भागी है' अत: पति या पत्नी द्वारा अपने आप को साहचर्य से अलग रखने की बात कल्पनातीत थी। परंतु दूसरी ओर

कुछ स्मृतिकारों और टीकाकारों के अनुसार केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में जैसेकि पत्नी के दुराचरण पर, पति की मृत्यु पर, लापता हो जाने पर, संन्यासी हो जाने पर, जातिच्युत होने पर और नपुंसक होने पर पति-पत्नी एक-दूसरे को त्याग सकते थे। किंतु पति अपने दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन अनुतोष के लिए या पत्नी अपने भरण-पोषण के लिए राज्य से मांग नहीं कर सकती थी और न ही वे इन अधिकारों के लिए न्यायालय में वाद ला सकते थे।

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभिक काल में पति का पत्नी पर सांपत्तिक अधिकार माना जाता रहा होगा और इसी आधार पर यह अधिकार पति को प्राप्त था कि यदि उसकी पत्नी उस से अलग हो गई है या छोड़ कर चली गई है तो उसको अपने पति के साथ रहने के लिए बाध्य किया जा सकता था। उस समय इस उपचार का पालन पत्नी को गिरफ्तार करके याचिका करने वाले पति को सौंपकर किया जाता था। बाद में यह अधिकार पत्नी को भी प्राप्त हो गया। आगे चल कर प्रत्यर्थी की गिरफ़्तारी के द्वारा दांपत्य अधिकारों के डिक्री की व्यवस्था समाप्त कर दी गई और प्रत्यर्थी की संपत्ति क़ुर्क़ की जाने लगी। अंग्रेज़ी विधि में बाद में डिक्री के इस प्रवर्तन की प्रक्रिया को भी समाप्त कर दिया गया। परंतु भारतीय विधि में यह व्यवस्था अंग्रेज़ी शासनकाल में ही स्थापित की गई थी और हिंदू विधि का संहिताकरण होने पर उसमें भी इसका विधिवत उपबंध किया गया।

प्राचीन काल से ही न्याय व्यवस्था इस पक्ष में है कि पति-पत्नी को विवाह के उपरांत एक साथ रह कर जीवन व्यतीत करना चाहिए। चूंकि विवाह-विच्छेद को हेय दृष्टि से देखा जाता था, अत: दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए कई बार बल प्रयोग भी किया जाता था। यद्यपि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि इसका प्रयोग किस समय आरंभ हुआ। विधि वेत्ताओं का अनुमान है कि दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के अनुतोष की व्यवस्था यहूदियों ने शुरू की और वहां से आंग्ल विधि में प्रचलित हुई तथा आंग्ल विधि से यह भारतीय विधि में प्रचलित हुई।

दांपत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन उसी समय होता है जब विवाह-विच्छेद की प्रक्रिया पूरी होने से पूर्व ही कोई पक्ष दूसरे पक्ष के साथ रहने से इंकार कर दे और पीड़ित पक्ष अपने अधिकारों की पुन: स्थापना के लिए न्यायालय की शरण ले।

कानूनी व्यवस्था

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 में दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की व्यवस्था की गई है।

हिंदू विवाह अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि जब पति या पत्नी ने बिना किसी उचित कारण के दूसरे पक्षकार के साहचर्य से अपने आपको अलग कर लिया हो तो पीड़ित पक्षकार दांपत्य अधिकार के प्रत्यास्थापन की डिक्री के लिए जिला न्यायालय में आवेदन कर सकता है। यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि आवेदन मंजूर न किए जाने का कोई विधिपूर्ण आधार नहीं है और अनुतोष देने में कोई अन्य बाधा नहीं है तो न्यायालय दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए डिक्री पारित कर सकता है।

यहां यह महत्वपूर्ण है कि साहचर्य से अलग होने का कोई उचित कारण है, तो उचित कारण सिद्ध करने का भार उस पक्ष पर ही होगा जो पक्ष साहचर्य से अलग हुआ है। परंतु पीड़ित पक्षकार (अर्जीदाता) को पहले यह सिद्ध करना होगा कि दूसरा पक्षकार साहचर्य से वास्तव में अलग हो गया है।

डिक्री का अनुपालन

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के नियम 32 में दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के या आदेश के विर्निदिष्ट अनुपालन के लिए उपबंध किया गया है। नियम 32 के अनुसार जिस पक्षकार के विरुद्ध दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए डिक्री पारित की गई है तथा उस डिक्री को आदेशानुसार अनुपालन करने के लिए अवसर मिल चुका है परंतु वह पालन करने में जानबूझ कर असफल रहा है, वहां पर डिक्री उसकी संपत्ति की क़ुर्क़ी के द्वारा की जा सकती है। अर्थात दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की डिक्री प्रतिपक्षी की संपत्ति क़ुर्क़ करके कराई जा सकती है।

दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के अनुतोष की संवैधानिकता

किसी विषय या किसी बात की संवैधानिकता पर विचार करने से पूर्व यह देख लेना उचित होगा कि संविधान में इस संदर्भ में क्या उपबंध हैं। भारत के संविधान में एकांतता के अधिकार और गारंटीशुदा मानवीय मर्यादा के अधिकार का उपबंध किया गया है जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के निम्नलिखित उपबंध में निहित हैं :

अनुच्छेद 14 : विधि के समक्ष समता– राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

अनुच्छेद 21 : प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण– किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

अब यहां यह देखना होगा कि दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 में जो उपचार प्रदान किया गया है क्या वह संवैधानिक रूप से वैध है? वह व्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं करता? क्या वह गारंटीशुदा मानवीय मर्यादा के अधिकार का उल्लंघन करता है? दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन उपचार की संवैधानिकता के संबंध में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने और दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने-अपने निर्णय में अलग-अलग मत व्यक्त किए हैं।

टी. सरीथा बनाम वेंकटसुबय्या मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश (श्री चौधरी) ने मत व्यक्त किया कि अधिनियम की धारा 9 द्वारा उपबंधित दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन का उपचार जंगली और बर्बर उपचार है जो एकातंता के अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा परंतु गारंटीशुदा मानवीय मर्यादा के अधिकार का उल्लंघन करता है। इसलिए विद्वान न्यायाधीश के अनुसार धारा 9 असंवैधानिक है।

न्यायाधीश के अनुसार धारा 9 के द्वारा किसी महिला को उसकी इस स्वतंत्र इच्छा से वंचित किया जाता है कि कब और कैसे उसे प्रजनन करने के लिए साधन बनाया जाए। माननीय न्यायाधीश के अनुसार दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के उपचार की डिक्री द्वारा राज्य, महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भधारण करने के लिए बाध्य करता है। इसलिए उन्होंने अपने निर्णय में यह कहा कि यह उपचार असंवैधानिक है।

न्यायालय का यह मत इस तथ्य पर आधारित था कि यदि पत्नी अत्याचार से पीड़ित है तो

उसे इस बात की स्वतत्रंता मिलनी चाहिए कि वह अपने पति से अलग रहे और सम्मानपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करे। आज जब हम महिलाओं के सशक्तीकरण और उन्हें अधिक अधिकार देने की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का यह दृष्टिकोण उचित प्रतीत होता है, पर संपूर्ण सामाजिक परिवेश को देखते हुए हरविंदर कौर बनाम हरमिंदर सिंह चौधरी के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के विपरीत मत व्यक्त किया है। इस मामले में माननीय न्यायाधीश ने यह मत व्यक्त किया कि अधिनियम की धारा 9 संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन नहीं करती। उन्होंने यह उल्लेख किया कि प्रत्यास्थापन की डिक्री का उद्देश्य विवाह के पक्षकारों के बीच के मनमुटाव को दूर करके उन्हें एक-दूसरे के क़रीब लाना है, जिससे वे मिलजुल कर वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सकें। प्रत्यास्थापन के उपचार का लक्ष्य मेल-जोल है। अत: धारा 9 संवैधानिक है।

उच्चतम न्यायालय ने सरोज रानी (श्रीमती) बनाम सुदर्शन कुमार चड्डा मामले में धारा 9 की वैधता के बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के उपर्युक्त मत को स्वीकार किया है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सार इस प्रकार है :

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (1955 का 25) धारा 9 (सपठित संविधान 1950 अनुच्छेद 14 और 21) के अधीन दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के उपचार में संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन नहीं होता।

इस मामले में अपीलार्थी पत्नी और प्रत्यर्थी पति है, जिनका विवाह वैदिक रीति से 24 जनवरी, 1975 को हुआ था। पति ने 16 मई, 1977 को अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया था। अपीलार्थी पत्नी ने प्रत्यर्थी पति के विरुद्ध दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए वाद फाइल किया। दोनों की सम्मति से एक डिक्री पारित कर दी गई। पति ने एक वर्ष तक सहवास न होने के आधार पर विवाह-विच्छेद के लिए वाद प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने सम्मति डिक्री पर विवाह-विच्छेद मंजूर करने से इंकार कर दिया। अंतत: उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने सम्मति डिक्री को दुरभिसंधिपूर्ण न मानते हुए पति द्वारा किए गए विवाह-विच्छेद के दावे को मंजूर कर लिया। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील किए जाने पर, उच्चतम न्यायालय ने अपील ख़ारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया कि :

- पक्षकारों के बीच कोई दुरभिसंधि नहीं थी।
- यह बात स्पष्ट है कि चाहे जो भी कारण रहा हो, यह विवाह टूट चुका है और पक्षकार अब पति और पत्नी के रूप में नहीं रह सकते।
- यदि हिंदू विवाह अधिनियम में दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की डिक्री के प्रयोजन को समुचित परिप्रेक्ष्य में समझा जाए और यदि अवज्ञा के मामलों में उसके निष्पादन की पद्धति को ध्यान में रखा जाए तो उक्त अधिनियम की धारा 9 संविधान के अनुच्छेद 14 अथवा 21 का उल्लंघन नहीं करती है।

दांपत्य जीवन में जितना सामाजिक और विधिक पहलू महत्व रखता है उतना ही मनोवैज्ञानिक और भावात्मक पक्ष प्रबल होता है। यह कहा जा सकता है कि दांपत्य में कर्तव्य और अधिकार से भी अधिक दोनों पक्षों में प्रेम और समर्पण की भावना सर्वोपरि है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पति-पत्नी में से कोई एक पक्ष यदि बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अपने आप को अलग कर लेता है तो दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की डिक्री द्वारा उनको व्यावहारिक रूप से एक करना संभव प्रतीत नहीं होता। यह बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे हम घोड़े को जबरदस्ती नदी के पास तो ले जा सकते हैं परंतु उसको पानी पीने के लिए मज़बूर नहीं कर सकते। जब एक पक्ष दूसरे पक्ष के साथ रहने का इच्छुक नहीं है तो उसको ज़बरदस्ती दूसरे पक्ष के साथ रहने के लिए बाध्य करना उचित नहीं है। अत: इस परिप्रेक्ष्य में तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश का मत सही प्रतीत होता है कि दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन का उपचार जंगली, बर्बर और अमानवीय है तथा व्यक्ति के एकांतता के अधिकार का हनन करता है।

किंतु संभवत: ऐसा कोई दंपत्ति न होगा जिनके दांपत्य जीवन में किसी छोटी-मोटी बात पर मनमुटाव, ग़लतफहमी या मतभेद के कारण कभी कोई झगड़ा न हुआ हो। इसलिए छोटी-मोटी बात को लेकर एक पक्ष यदि दूसरे पक्ष से अलग हो जाए और उनका मेल-मिलाप न कराया जाए तो यह उचित नहीं होगा और समाज में विवाह-विच्छेद को प्रोत्साहन मिलेगा। अत: दिल्ली उच्च न्यायालय का मत इस परिप्रेक्ष्य में सही है कि दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन का उपचार विवाह के दोनों पक्षों के बीच में मनमुटाव को दूर करके उनको क़रीब लाने का प्रयास करता है, जिससे वे दोनों एक-दूसरे के साथ प्रेम से रह सकें।

हिंदू विवाह अधिनियम में दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की डिक्री के प्रयोजन को समुचित परिप्रेक्ष्य में समझा जाए और यदि अवज्ञा के मामले में उसके निष्पादन की पद्धति को ध्यान में रखा जाए तो उक्त अधिनियम की धारा 9 संविधान के अनुच्छेद 14 अथवा 21 का उल्लंघन नहीं करती। वैवाहिक संबंधों को टूटने से बचाने के लिए दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन का उपचार एक सामाजिक प्रयोजन के रूप में मदद करता है।

वर्तमान हिंदू विधि में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 का संहिताकरण करते हुए प्राचीन व्यवस्था और प्राचीन काल में प्रचलित हिंदू विधि के आधारभूत सिद्धांतों और भावनाओं का भी ध्यान रखा गया है, जिसके कारण आज भी हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार विवाह या दांपत्य जीवन न केवल दो पक्षों का शारीरिक संबंध है बल्कि इसमें आज भी मनोवैज्ञानिक, आत्मिक और भावनाओं के साथ-साथ भारतीय समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक मूल्यों का समावेश भी झलकता है। वैवाहिक जीवन का उद्देश्य न केवल संतानोत्पति है बल्कि यह बौद्धिक, आत्मिक और मनोवैज्ञानिक तथा एक-दूसरे को समझने का और परिवार के निर्माण का सामाजिक, धार्मिक और संवैधानिक कर्तव्य माना जाता है। इसलिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में विवाह-विच्छेद या तलाक का प्रावधान होते हुए भी उसमें कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे विवाह-विच्छेद तक पहुंचने से पूर्व दोनों पक्षों का मेल-मिलाप बना रहे और वे वैवाहिक जीवन यथावत बिताते रहें। इसलिए धारा 9 के अनुसार दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन का भी प्रावधान रखा गया है और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 या 21 का उल्लंघन नहीं करता है। ❑

(लेखक दिल्ली स्थित अधिवक्ता हैं।

ई-मेल : enjmanager_ca@yahoo.co.in)

ख़बरों में

- **पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी नौसेना में शामिल**

देश में बनी पहली परमाणु पनडुब्बी आईएनए अरिहंत को भारतीय नौसेना में शामिल करने के साथ ही भारतीय नौसेना ने मील का एक और पत्थर पार कर लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत किसी भी आक्रमण की पहल का पक्षधर नहीं है लेकिन हिफ़ाजत के लिए वह सभी उपाय करेगा। उन्होंने कहा कि भारत के सुरक्षा हितों के मद्देनज़र समुद्री क्षेत्र की भूमिका तेज़ी से प्रासंगिक होती जा रही है। बदलते माहौल में हमें अपनी सैन्य तैयारियां नये सिरे से करनी होंगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम पांच देशों के उस समूह में शामिल हो गए हैं, जिनके पास परमाणु संपन्न पनडुब्बी बनाने की क्षमता है। वैसल (एटीवी) जैसे कूट नाम वाली यह पनडुब्बी 'सागरिका' (के15) मिसाइल से लैस होगी। इसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर है। अरिहंत की मुख्य विशेषता इसकी मारक क्षमता है। यह समुद्र में आधे किलोमीटर या उससे अधिक गहराई से मिसाइल दागने में सक्षम है। इस छह हज़ार टन की पनडुब्बी में 85 मेगावाट क्षमता का परमाणु रिएक्टर है और इसकी मारक क्षमता की गति 12 से 15 नोट्स और पानी में गति 24 नोट्स तक जा सकती है। इस पनडुब्बी में 95 लोग सवार हो सकते हैं। यह तारपीडो और 12 बैलेस्टिक मिसाइलों सहित दूसरी और मिसाइलों से भी लैस है।

तीस हज़ार करोड़ रुपये की लागत वाली यह परमाणु पनडुब्बी परियोजना 1980 के दशक में शुरू की गई थी। इसका सपना तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1970 के दशक में देखा था।

- **गेहूं, चावल के निर्यात पर रोक**

कम बारिश को देखते हुए सरकार ने बासमती को छोड़कर अन्य सभी क़िस्म के चावल और गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फ़ैसला किया है।

केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने बताया कि इस समय सरकार के पास 13 महीने के अनाज का स्टॉक है। उन्होंने राज्यसभा में ऐलान किया कि राज्य सरकारें किसानों को डीजल की ख़रीद के लिए जो सब्सिडी देंगी, उसका 50 प्रतिशत केंद्र सरकार वहन करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार सरकार ने किसानों को डीजल में सब्सिडी देने की जो घोषणा की है, उसका भी आधा हिस्सा केंद्र वहन करेगा। इसी तरह की मदद अन्य राज्यों को भी दी जाएगी।

श्री पवार ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में बारिश कम होने से धान की फ़सल बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, असम, मणिपुर सहित देश के कुछ अन्य भागों में कम बारिश के कारण खरीफ़ फ़सलों की बुआई पर काफी बुरा असर पड़ा है। देश में अब तक पूर्वानुमान से 19 प्रतिशत कम बारिश हुई है। पश्चिमोत्तर में 38 प्रतिशत और पूर्वोत्तर में 43 प्रतिशत कम बारिश दर्ज़ की गई। इससे ख़ासतौर से धान की बुआई वाले क्षेत्रों में प्रतिकूल असर पड़ा है। अन्य खाद्यान्नों के उत्पादन पर भी असर पड़ने की आशंका है।

श्री पवार ने कहा कि किसानों से ऋण की वसूली के लिए किसी भी तरह की ज़ोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी।

- **गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन**

देश में वर्ष 2008-09 में गेहूं का रिकॉर्ड 8.058 करोड़ टन का उत्पादन हुआ है। इससे पिछले सत्र में यह उत्पादन 7.857 करोड़ टन था। एक अनुमान के मुताबिक 2008-09 में चावल का उत्पादन अब तक के रिकॉर्ड स्तर 9.915 करोड़ टन पर पहुंच जाएगा। वर्ष 2007-08 में यह 9.669 करोड़ टन था।

अनुमान के मुताबिक चावल, गेहूं, मोटे अनाज और दाल सहित खाद्यान्न का सकल उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 31 लाख टन बढ़कर 23.38 करोड़ टन पर पहुंच गया जिसमें गेहूं और चावल की बंपर पैदावार का प्रमुख योगदान रहा। समीक्षाधीन वर्ष में मक्के का उत्पादन 1.929 करोड़ टन रहा जो पिछले सत्र के 1.896 करोड़ टन के मुक़ाबले थोड़ा अधिक है। वर्ष 2008-09 में दलहन की पैदावार घटकर 1.466 करोड़ टन पर आ गई जो पिछले वर्ष 1.476 करोड़ टन थी।

- **सूखा प्रभावित इलाकों में डीज़ल पर सब्सिडी**

केंद्र सरकार ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पंप सेट से सिंचाई करने वाले किसानों को डीज़ल सब्सिडी के तौर पर प्रति हेक्टेयर दो हज़ार रुपये तक की सब्सिडी देगी।

डीज़ल सब्सिडी योजना की अवधि 15 जुलाई से 30 सितंबर, 2009 तक होगी। इसमें केंद्र सरकार 5.50 रुपये प्रति लीटर या 500 रुपये प्रति हेक्टेयर से ज्यादा की सब्सिडी नहीं देगी। शेष सब्सिडी संबंधित राज्य सरकार को वहन करनी होगी।

इसमें पंप सेट से सिंचाई करने पर आने वाले डीज़ल ख़र्च का 50 फीसदी सब्सिडी लागत के रूप में दिया जाएगा। ये सब्सिडी संबंधित राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच 50-50 फीसदी बांटी जाएगी। जिन ज़िलों में 15 जुलाई, 2009 तक 50 फीसदी से कम बारिश हुई है उन जिलों को राज्य सरकारें सूखा प्रभावित घोषित करके डीजल सब्सिडी देंगी। यदि राज्य सरकारें 50 फीसदी से ज्यादा सब्सिडी देने का निर्णय लेती है तो केंद्र सरकार प्रति लीटर 7.50 रुपये की अधिकतम सब्सिडी देगी। सब्सिडी किस प्रकार दी जाएगी इस बारे में संबंधित राज्य सरकारों को निर्णय लेना होगा।

- **सी.रंगराजन पीएमईएसी के अध्यक्ष बने**

रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर और जाने-माने अर्थशास्त्री सी. रंगराजन को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएमईएसी) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पीएमईएसी का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफ़ा दे दिया। श्री रंगराजन पीएमईएसी में सुरेश तेंदुलकर की जगह लेंगे।

श्री रंगराजन वर्ष 2005 से 2008 तक पीएमईएसी के अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्ष '08 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य नामित किया गया था। श्री रंगराजन को आर्थिक मामलों का लंबा अनुभव है। रिज़र्व बैंक के गवर्नर के रूप में उन्होंने कई बड़े क़दम उठाए थे। श्री रंगराजन की नियुक्ति के साथ ही सरकार ने पीएमईएसी का पुनर्गठन कर दिया है। नयी परिषद के अन्य सदस्यों में इकरा के सौमित्र चौधरी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के गोविंद राव, एशियन सोसायटी ऑफ

एग्रीकल्चरल इकॉनमिस्ट्स के विजय शंकर व्यास और नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लायड इकॉनमिक रिसर्च (एनसीएईआर) के सुमन के. बेरी शामिल हैं।

● **मैरीकोम, विजेंदर और सुशील को खेल रत्न**

खेल इतिहास में पहली बार प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार तीन खिलाड़ियों मुक्केबाज एम.सी. मैरीकोम और विजेंदर सिंह तथा पहलवान सुशील कुमार को दिया जाएगा। इससे पहले देश का यह सबसे बड़ा खेल पुरस्कार 1996-97 और 2002-03 में संयुक्त रूप से दो-दो खिलाड़ियों को दिया गया था। पहली बार तीन खिलाड़ियों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। चार बार की विश्व चैंपियन मैरीकोम और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता विजेंदर सिंह इस पुरस्कार को पाने वाले पहले मुक्केबाज होंगे। इसमें सात लाख 50 हज़ार रुपये की पुरस्कार राशि और प्रशस्ति-पत्र दिया जाता है।

बीजिंग ओलंपिक खेलों के कांस्य पदक विजेता सुशील कुमार भी पहले पहलवान हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिलेगा। उन्होंने कुश्ती में 56 साल बाद देश को ओलंपिक में पदक दिलाया था। आमतौर पर खेल रत्न साल में एक बार एक खिलाड़ी को ही दिया जाता है, लेकिन विजेंदर और सुशील के बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए खेल मंत्रालय ने मैरीकोम के अलावा इन दोनों को भी विशेष मामले में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने का फ़ैसला किया है।

क्रिकेटर गौतम गंभीर, बैडमिंटन खिलाड़ी सायना नेहवाल, डबल ट्रैप निशानेबाज रंजन सोढ़ी, हॉकी खिलाड़ी इग्नेस टिर्की और शतरंज खिलाड़ी तानिया सचदेव उन 15 खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्हें अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। बीस वर्षीय सायना अभी विश्व में छठे नंबर की खिलाड़ी हैं। वह इंडोनेशियाई सुपर सीरिज और दो अन्य टूर्नामेंट जीतकर इस पायदान पर पहुंची हैं। सायना के कोच पुलेला गोपीचंद और सुशील को कोचिंग देने वाले महाबली सतपाल द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चुने गए प्रशिक्षकों में शामिल हैं। इसके अलावा हॉकी कोच एस. बलदेव सिंह और मुक्केबाजी कोच जयदेव बिष्ट को भी द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस साल के ध्यानचंद अवार्ड के लिए एथलेटिक्स से ईश्वर सिंह देओल और कुश्ती से सतबीर सिंह दहिया को चुना गया है। एक अन्य महिला मुक्केबाज एल. सरिता देवी को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। सरिता ने पिछले साल विश्व चैंपियनशिप में रजत और 2006 में दिल्ली में हुई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था।

● **सानिया ने जीता चैलेंजर खिताब**

भारतीय शीर्ष टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने अपने दूसरे चैलेंजर टूर्नामेंट में खेलते हुए अमरीका के लेक्जिंगटन में चल रही 50 हज़ार डॉलर इनामी राशि की आईटीएफ प्रतियोगिता में शीर्ष वरीयता प्राप्त जुली कोइन को हराकर ख़िताब अपने नाम कर लिया। सानिया ने पिछली बार 2003 में चैलेंजर टूर्नामेंट में शिरकत की थी। सानिया के लिए एक और अच्छी ख़बर यह रही कि वह गत जुलाई माह की डब्ल्यूटीए सिंगल्स रैंकिंग में तीन पायदान की छलांग लगाकर 80वें स्थान पर पहुंच गई। हालांकि सानिया डब्ल्यूटीए डबल्स रैंकिंग में 10 पायदान के नुक़सान से 49वें स्थान पर खिसक गई हैं।

● **गीतकार गुलशन बावरा का निधन**

'मेरे देश की धरती' जैसे लोकप्रिय गीतों के रचयिता और जाने-माने गीतकार गुलशन बावरा का पिछले दिनों दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया।

वर्तमान पाकिस्तान में जन्मे गुलशन बावरा विभाजन के बाद भारत आ गए थे। अपने 42 साल के फ़िल्मी सफ़र में उन्होंने 'यारी है ईमान मेरा, यार मेरी ज़िंदगी', 'सनम तेरी क़सम', 'अगर तुम न होते', 'आती रहेंगी बहारें' और 'जीवन के हर मोड़ पर मिल जाएंगे हमसफ़र' जैसे यादगार गीत लिखे। 'यारी है ईमान मेरा, यार मेरी ज़िंदगी' गाने के लिए उन्हें फिल्मफेयर पुरस्कार मिला था।

● **धर्मेंद्र और आशा पारेख को लाइफटाइम एचीवमेंट पुरस्कार**

दूसरे नासिक अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव (एनआईएफएफ) के दौरान प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र और अभिनेत्री आशा पारेख को लाइफटाइम एचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

नासिक से अपने जुड़ाव को याद करते हुए धर्मेन्द्र ने कहा कि भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के के जन्म स्थान पर सम्मानित होकर वह अभिभूत हैं। ❑

पुरस्कार एवं विजेता

राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार-2009

एम. सी. मैरीकोम	: मुक्केबाजी
विजेंदर सिंह	: मुक्केबाजी
सुशील कुमार	: कुश्ती

अर्जुन पुरस्कार-2009

मंगल सिंह चंपिया	: तीरंदाजी
सिनीमोल पाउलो	: एथलेटिक्स
सायना नेहवाल	: बैडमिंटन
एल. सरिता देवी	: मुक्केबाजी
तानिया सचदेव	: शतरंज
गौतम गंभीर	: क्रिकेट
इग्नेस टिर्की	: हॉकी (पुरुष)
सुरिंदर कौर	: हॉकी (महिला)
पंकज नवनाथ शीरसत	: कबड्डी
सतीश जोशी	: नौकायन
रंजन सोढी	: निशानेबाजी
पालुमी घटक	: टेबल टेनिस
योगेश्वर दत्त	: कुश्ती
गिरधर दत्त	: कुश्ती
पारूल डी. परमार	: बैडमिंटन (विकलांग)

ध्यानचंद पुरस्कार-2009

ईश्वर सिंह देओल	: एथलेटिक्स
सतबीर सिंह दहिया	: कुश्ती

द्रोणाचार्य पुरस्कार-2009

पुलेला गोपीचंद	: बैडमिंटन
जयदेव बिष्ट	: मुक्केबाजी
एस. बलदेव सिंह	: हॉकी
सतपाल	: कुश्ती

राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार-2009

सामुदायिक खेल विकास	: टाटा स्टील
खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता	: कोई नहीं
खेल अकादमियों का संवर्धन	: टाटा स्टील लि.
चोटी के खिलाड़ियों को सहयोग और खिलाड़ियों को रोज़गार	: रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड

प्रथम स्वतंत्रता संग्राम–1857
प्रकाशन विभाग की चुनिंदा पुस्तकें

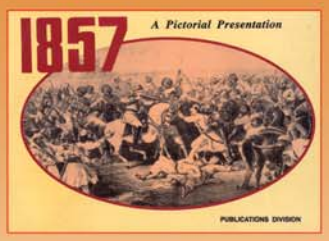

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
सूचना भवन, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली

विक्रय केंद्रः सूचना भवन, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, **नई दिल्ली (24365610)** हाल नं0 196, पुराना सचिवालय, **दिल्ली** (23890205) सी–701, केंद्रीय सदन, बेलापुर, **नवी मुंबई** (27570686) 8, एस्प्लेनेड ईस्ट, **कोलकाता** (22488030) राजाजी भवन, एफ एंड जी ब्लॉक, 'ए' विंग बेसेंट नगर, **चेन्नई** (24917673) बिहार राज्य सहकारी बैंक बिल्डिंग, अशोक राजपथ, **पटना** (2683407) प्रेस रोड, निकट गवर्मेंट प्रेस **तिरुअनंतपुरम** (2330650) हाल नं.1, दूसरी मंजिल, केंद्रीय भवन, सेक्टर–एच, अलीगंज, **लखनऊ** (2325455) ब्लॉक नं. 4, गृहकल्प कॉम्प्लेक्स, एम.जे. रोड, नामपल्ली, **हैदराबाद** (24605383) प्रथम तल, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, **बंगलौर** (25537244) अम्बिका कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, पालदी, **अहमदाबाद** (26588669) हाउस नं. 07, न्यू कालोनी, चेनीकुथी, के.के.बी. रोड, **गुवाहाटी** (2885090)

ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट देखें –

DPDB-H-09/9

प्रकाशक व मुद्रक वीना जैन, अपर महानिदेशक द्वारा प्रकाशन विभाग के लिये ब्रजबासी आर्ट प्रेस लिमिटेड, ई-46/11, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-2, नयी दिल्ली-110 020 से मुद्रित एवं प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. कॉप्लेक्स, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003 से प्रकाशित। संपादक : राकेशरेणु

Licenced under U (DN)-53/2006-08
पंजी सं. 951/57
R.N.951/57

रजि.सं.डीएल (एस)-05/3231/2009-11 तथा डाक व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक में डालने के लिए लाइसेंस-प्राप्त
Reg. No. D.L.(S)-05/3231/2009-11 Licenced to post without pre-payment at RMS, Delhi
26 अगस्त, 2009 को प्रकाशित • 29-30 अगस्त, 2009 को डाक द्वारा जारी

Ranked best school in imparting training in IAS Exam.*
*(Business Sphere, Feb. 2009)

KSG
Passionate about your success...

G.S.
with
DR. Khan
(पूर्व में लैक्चरर, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय)
पी.ओ.डी. तकनीक* द्वारा सामान्य अध्ययन की तैयारी
*केवल खान स्टडी ग्रुप द्वारा
सामान्य अध्ययन में 18 वर्षों के अध्यापन अनुभव से
डॉ. खान द्वारा विकसित एक अनुपम विधि

सामान्य अध्ययन

आपके व्यक्तिगत लक्ष्य में सहभागी

• इतिहास • मनोविज्ञान • लोक प्रशासन

अगला बैच
नवम्बर 2009
पंजीकरण आरंभ

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु
उपलब्ध पत्राचार कोर्स

- सामान्य अध्ययन (English/हिन्दी)
- भूगोल (English/हिन्दी)
- इतिहास (English/हिन्दी)
- लोक प्रशासन (English/हिन्दी)
- समाजशास्त्र (English/हिन्दी)
- मनोविज्ञान (English/हिन्दी)

छात्र-छात्राओं के लिए पृथक होस्टल की सुविधा में सहयोग

विवरण पुस्तिका हेतु रू.50/- का डीडी/एमओ भेजें

Separate Batches
for English & Hindi Medium

KSG

खान स्टडी ग्रुप स्वयं कठिन परिश्रम में विश्वास रखता है; हमें यह अपेक्षा है कि मात्र वे प्रत्याशी ही प्रवेश लें जो कठिन परिश्रम के लिए तैयार हों।
ध्यान रहे: हमें सफलता के किसी शॉर्ट-कट की जानकारी नहीं है।

KHAN STUDY GROUP

2521, Hudson Line, Vijay Nagar Chowk, Near G.T.B. Nagar Metro Station, New Delhi - 110 009
Ph: 011-6455 4955, 2713 0786, 2713 1786, 97173 80832, send us mail: drkhan@ksgindia.com
You can also download Registration Form from our Website: www.ksgindia.com

YH-9/09/1